आकाशवाणी
रामबिहारी विश्वकर्मा

# आकाशवाणी

राम बिहारी विश्वकर्मा

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

चैत्र 1909 (अप्रैल 1987)



मूल्य : 16.00 रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रकाशित।

विक्रय केन्द्र ● प्रकाशन विभाग

सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001

कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, बम्बई-400038

8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069

एल० एल० आडीटोरियम, 736 अन्नासलै, मद्रास-600002

बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004

निकट गवर्नमेंट प्रेस, प्रेस रोड, त्रिवेन्द्रम-695001

10 बी० स्टेशन रोड, लखनऊ-226019

राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद-500004

एस० नारायण एण्ड सन्स, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।

# आमुख

भारतीय प्रसारण उबड़-खाबड़ धरती पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर हो रहा है। इस पुस्तक में इसकी दिलचस्प कहानी और विकास-यात्रा को समझाने का प्रयास किया गया है। भारतीय प्रसारण पर अंग्रेजी-भाषा में अनेक पुस्तकें और लेख, प्रकाशित हुए हैं। परन्तु हिन्दी में रेडियो प्रसारण का इतिहास और विविध-कार्य शैलियों पर बहुत ही कम सामग्री पढ़ने को मिलती है।

इस पुस्तक में मैंने रेडियो प्रसारण के लोक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रथम अध्याय में प्रसारण की विकास-यात्रा में रेडियो प्रसारण के स्वरूप एवं विकास की विवेचना की है। द्वितीय अध्याय में संचार माध्यमों में रेडियो प्रसारण की उपयोगिता और उसका स्थान प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। तृतीय अध्याय में रेडियो में प्रसारित विविध-कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी है। चतुर्थ अध्याय में समाचार-प्रसारण और विदेश सेवा प्रसारण से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डाला है। पंचम अध्याय में प्रसारण की तकनीकी गहराइयों में जाने का प्रयास किया है। छठे अध्याय में प्रसारण संगठन की कार्य-प्रणाली को रेखांकित किया है, जिसमें अनुसंधान प्रकोष्ठ की भूमिका को भी लिया है। सातवें अध्याय में कुछ विविध सामग्रियों को देते हुए, रेडियो की वर्तमान भूमिका को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हित में प्रसारण की संभावनाओं पर भी दस्तक दी गयी है। यह दस्तक कितनी दूर तक सुनाई देगी, कह नहीं सकता, लेकिन संगीत के सात स्वरों की लहरी जो मेरे कानों में गूंजा करती है, उन्हीं सप्त-स्वरों के आधार पर अध्यायों का नामकरण किया गया है।

# अनुक्रम

प्रथम–स्वर

# प्रसारण : स्वरूप एवं विकास

## रेडियो प्रसारण की संक्षिप्त विकास-यात्रा

वर्तमान सदी कालचक्र पर अपना प्रथम चरण रखने ही वाली थी कि इससे पूर्व विज्ञान-जगत में 'विद्युत-चुम्बकीय तरंगों' तथा 'रेडियो संचार' का आविष्कार हो चुका था। इलेक्ट्रानिक से सम्बद्ध इन आविष्कारों का श्रेय मैक्सवेल, हर्ट्ज तथा मारकोनी के अथक प्रयासों को दिया जाता है। प्रारंभ में विज्ञान के इन आविष्कारों का इस्तेमाल तूफानों में फंसे नाविक प्राय: अपनी सुरक्षा की पुकार अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए करते थे। मानव धीरे-धीरे इनके उपयोग की अन्य विधियां भी सोचने लगा। ध्वनि-तरंगों को विद्युत-चुम्बकीय तरंगों में तथा विद्युत-तरंगों को पुन: ध्वनि-तरंगों में परिवर्तित करने के अनेक प्रयोग किये जाने लगे। इसी बीच, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा और रेडियो के विकास में अपेक्षाकृत अधिक तेजी आई। ध्वनि की तरंगें युद्ध के दौरान, गुप्त सूचनाओं से लेकर 'प्रोपेगंडा' तक का माध्यम बनीं। 1916 में विश्व का प्रथम रेडियो समाचार प्रसारित हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, सूचना थी। समाचार पत्रों के छपने से कई घंटे पूर्व यह खबर ध्वनि-तरंगों पर चढ़कर बिजली की तरह फैल गई। लोगों के मन में पहली बार एहसास हुआ कि यह माध्यम तो मुद्रण माध्यम से कई घंटे पहले खबरें दे सकता तो है, क्यों न इसका उपयोग खबरों के प्रसारण के लिए किया जाये? 1919 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक निगम स्थापित किया गया; नाम रखा गया—'रेडियो कारपोरेशन आफ अमेरिका'। अब इस रेडियो निगम के लिए प्रसारण केन्द्र की भी अब आव-आवश्यकता महसूस हुई। शीघ्र ही ईस्ट पिट्सबर्ग में 'रेडियो ब्राडकास्टिंग

स्टेशन' की स्थापना हुई और इस प्रकार 21 दिसम्बर 1922 को विश्व के प्रथम रेडियो प्रसारण केन्द्र ने जन्म लिया। इन्हीं दिनों ब्रिटेन में भी 1922 में एक प्रसारण कम्पनी की स्थापना की गई। उस समय इस कम्पनी का नाम 'ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कम्पनी' था, बाद में इसे निगम का रूप दिया गया तथा पहली जनवरी 1927 को उसका नाम बदलकर 'ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन' रखा गया जो विश्व में अपने संक्षिप्त नाम 'बी० बी० सी०' से प्रसिद्ध हुआ।

## भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारम्भ

### स्वतन्त्रता पूर्व (15 अगस्त 1947 से पूर्व)

भारत में रेडियो का नियमित प्रसारण 23 जुलाई 1927 ई० से प्रारम्भ हुआ। उसी दिन एक गैर-सरकारी भारतीय प्रसारण कम्पनी 'इंडियन ब्राडकास्टिंग कम्पनी' के बम्बई रेडियो स्टेशन का उद्‌घाटन किया गया। परन्तु, भारत में प्रसारण का प्रवेश इससे भी काफी पहले हो चुका था। इसका श्रेय मद्रास प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब को है, जिसने 31 जुलाई 1924 से ही हल्के-फुल्के मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया था। मद्रास में लघु-तंरगों (शार्ट-वेव) पर 10 किलोवाट तथा मध्यम (मीडियम-वेव) तंरगों पर 1/4 किलोवाट के ट्रांसमीटर लगाये गये, परन्तु यह रेडियो क्लब आर्थिक कठिनाईयों के कारण प्रसारण-कार्य जारी नहीं रख सका। इसी बीच, प्रसारण में दिलचस्पी रखने वाले कुछ लोगों ने एक कम्पनी स्थापित की। इस कम्पनी का नाम था—'इंडियन ब्राडकास्टिंग कम्पनी लिमिटेड'। कम्पनी ने भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर बंबई तथा कलकत्ता में डेढ़-डेढ़ किलोवाट क्षमता वाले मीडियम-वेव ट्रांसमीटर लगाये। इन केन्द्रों से पचपन-पचपन किलोमीटर के दायरे में कार्यक्रम सुने जा सकते थे। बंबई केंद्र का उद्‌घाटन 23 जुलाई 1927 को भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड इर्विन ने किया। कलकत्ता केन्द्र का उद्‌घाटन उसी वर्ष 26 अगस्त को बंगाल के गवर्नर (सर स्टैनले जेक्सन) ने किया।

इन्हीं दिनों लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है, 'यंगमैन क्रिश्चियन एसोसिएशन' के रेडियो क्लब ने छोटा ट्रांसमीटर केन्द्र कायम किया। उस समय देश भर में रेडियो सैटों की संख्या मात्र 1600 थी।

'रेडियो ब्राडकास्टिंग कम्पनी' को अपनी आय के लिए मुख्यतया लाइसेंस से प्राप्त आय पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ऐसी स्थिति में कम्पनी लगातार घाटे में रहने लगी। कम्पनी ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि उसकी नाव अब आर्थिक भंवर में फंस चुकी है, बिना सरकारी सहायता के आर्थिक संकट से उसका मुक्त होना कठिन है। भारत सरकार ने कम्पनी की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उसे उद्योग और श्रम (इन्डस्ट्रीज एण्ड लेबर) विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर दिया और उसका नाम भी बदल दिया। कम्पनी का नया नाम 'इंडियन स्टेट ब्राडकास्टिंग सर्विस' कर दिया गया। परन्तु केवल नाम बदल देने तथा उद्योग और श्रम विभाग को सौंप देने मात्र से कम्पनी की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया, कम्पनी का घाटा ज्यों-का-त्यों बना रहा। इसलिए सरकार ने 9 अक्तूबर 1931 को 'इंडियन स्टेट ब्राडकास्टिंग सर्विस' को बन्द कर देने की घोषणा की। सरकार के इस निर्णय पर लोगों में बड़ी जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुई, विशेषतया व्यापारी वर्ग के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। अन्तत: सरकार को जनमत के सामने झुकना पड़ा और प्रसारण-सेवा कुछ और वर्षों के लिए जारी रखने का निश्चय करना पड़ा। प्रसारण में लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए सरकार ने कम्पनी के विकास के लिए 40 लाख रुपये दिये और श्री पी० जी० एडमन्ड्स को उसका 'कन्ट्रोलर आफ ब्राडकास्टिंग' नियुक्त किया।

सरकार ने 5 मई 1932 को यह निश्चित रूप से निर्णय किया कि 'इंडियन स्टेट ब्राडकास्टिंग सर्विस' की सेवा जारी रखी जाये, परन्तु यह सेवा किसी कम्पनी के अधीन न रखकर सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखी जाये। यह फैसला करने के बाद सरकार के लिए अब यह आवश्यक हो गया कि कम्पनी की आय में वृद्धि की जाये तथा सेवा में कुछ सुधार लाया जाये। आय में वृद्धि के लिए सरकार ने ग्रामोफोन-रेकार्डों तथा रेडियो-सैटों पर आयात शुल्क में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। इसके फलस्वरूप 'ब्राडकास्टिंग सर्विस' की आमदनी में दुगुनी वृद्धि हो गई।

जनवरी 1934 में भारत सरकार ने दिल्ली में रेडियो स्टेशन के निर्माण के लिए ढाई लाख रुपये स्वीकृत किये। भारत सरकार को 'ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन' (बी० बी० सी०) के प्रसारणों के बारे में अब तक पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। अत: सरकार ने 'बी० बी० सी०' से अनुरोध

किया कि वह अपने अनुभवी अधिकारियों की भी उधार सेवा उपलब्ध कराये। 'ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन' (बी॰ बी॰ सी॰) ने भारत सरकार का यह प्रस्ताव मान लिया।

'ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन' के एक अधिकारी श्री लायनेल फील्डन अगस्त 1953 में भारत पहुंचे। उन्होंने 30 अगस्त 1935 को 'कन्ट्रोलर आफ ब्राडकास्टिंग' का कार्यभार सम्भाला। भारत सरकार ने उनके लिए एक अलग कार्यालय खोला और प्रसारण के विकास के लिए 20 लाख रुपये की धनराशि दी। उस समय प्रसारण का यह कार्यालय उद्योग तथा श्रम विभाग के अधीन रखा गया था। श्री फील्डन का काम आसान नहीं था, उन्हें बी॰बी॰सी॰ से बिल्कुल भिन्न परिस्थितियों में भारत जैसे विशाल और विविधताओं से पूर्ण देश में कार्य करना था। ऐसे देश में, जिसमें इससे पहले प्रसारण का नाम केवल इने-गिने लोगों ने ही सुना था। श्री फील्डन ने 'बी॰ बी॰ सी॰' के अनुसंधान विभाग के प्रधान श्री एच॰ एल॰ किर्की की सेवाओं की मांग की। श्री किर्की ने भारत के विभिन्न भागों का दौरा करने के बाद एक योजना तैयार की, जिसमें पूरे देश में मध्यम-तरंग (मीडियम-वेव) ट्रांसमीटर लगाने का सुझाव दिया गया था। श्री किर्की अपनी योजना श्री फील्डन को सौंपकर इंग्लैंड चले गये। तत्पश्चात् अगस्त 1936 में 'बी॰ बी॰ सी॰' के श्री सी॰ डब्ल्यू गोयडर भारत आये और उन्होंने चीफ इन्जीनियर का पद सम्भाला। श्री गोयडर को पूरे देश के लिए मध्यम-तरंग (मीडियम-वेव) की व्यवस्था लागू करनी असम्भव-सी लगी, क्योंकि इतने विशाल देश में मध्यम-तरंगों (मीडियम-वेव) की बहुत सारी यूनिटें स्थापित करनी पड़तीं और सरकार इतना धन उपलब्ध कराना नहीं चाहती थी। इसलिए श्री गोयडर ने मध्यम-तरंग (मीडियम-वेव) और लघु-तरंग (शार्ट-वेव) की मिली-जुली सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया। श्री गोयडर ने पहले लघु-तरंग (शार्ट-वेव) की सेवा शुरू करने तथा धन उपलब्ध होने के पश्चात प्रमुख नगरों तथा अन्य स्थानों में बाद में मध्यम-तरंग (मीडियम-वेव) की सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया था। 1936 में नववर्ष के दिन 'आकाशवाणी' के दिल्ली केन्द्र से प्रसारण शुरू हुआ। 'इंडियन स्टेट ब्राडकास्टिंग सर्विस' का नाम बदल कर 'आल इण्डिया रेडियो' रखा गया।

जून महीने में ही दिल्ली केन्द्र से ग्रामीण लोगों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ। 21 अगस्त 1936 को भारत सरकार ने दिल्ली केन्द्र के लिए 14 सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति स्थापित की। 'आकाशवाणी' के केन्द्रों के ट्रांसमीटरों की स्थापना के काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए जनवरी 1937 में 'आल इण्डिया रेडियो' में संस्थापना (इन्स्टालेशन) विभाग खोला गया। इसी वर्ष 14 अप्रैल को एक अनुसन्धान विभाग भी स्थापित किया गया।

'आकाशवाणी' की प्रथम पत्रिका 'इण्डियन लिस्नर' पहले बम्बई से प्रकाशित होती थी। अब उसे दिल्ली से प्रकाशित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अगस्त में इसका स्थानांतरण दिल्ली कर दिया गया। दिल्ली में जिन दिनों रेडियो प्रसारण के विकास की अनेक गति-विधियां चल रही थीं, उन्हीं दिनों (10 सितम्बर 1935 को) मैसूर रियासत में 'आकाशवाणी' नामक प्रसारण केन्द्र खोला गया। नई दिल्ली में रेडियो से समाचार प्रसारण के लिए 'सेन्ट्रल न्यूज आर्गनाइजेशन' का गठन किया गया तथा श्री चार्ल्स बार्न्स ने 9 सितम्बर 1937 को आल इण्डिया रेडियो के समाचार सम्पादक का पद-भार सम्भाला।

पंजाब के गवर्नर सर हर्बर्ट इमर्सन ने उसी वर्ष 16 दिसम्बर को लाहौर रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। लाहौर में 5 किलोवाट का मीडियम-वेव ट्रांसमीटर लगाया गया। यह भारत का पांचवा ट्रांसमीटर था।

दिल्ली में भी 10 किलोवाट का शार्ट-वेव ट्रांसमीटर लगाया गया और सर थामस स्टेवार्ट ने छठे ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया।

4 फरवरी 1938 को बम्बई के गवर्नर ( सर रोजर लुमली ) ने बंबई के शार्ट-वेव स्टेशन का उद्घाटन किया। इसी वर्ष 2 अप्रैल को यूनाइटेड प्राविंसेज के गवर्नर (सर हैरी हैग) ने 5 किलोवाट के मीडियम-वेव ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। पहली जून को दिल्ली में 5 किलोवाट के दूसरे ट्रांसमीटर से सम्प्रेषण शुरू हुआ। 16 जून को मद्रास के गवर्नर (लार्ड एर्सकाइन) ने मद्रास में 0.25 किलोवाट के मीडियम-वेव तथा 10 किलोवाट के शार्ट-वेव ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। मद्रास कारपोरेशन ब्राडकास्टिग सर्विस का कार्य इस वष बंद हो गया।

पहली जुलाई को 'आवाज' पत्रिका का विभाजन कर दिया गया। उर्दू में प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका अब हिन्दी में 'सारंग' नाम से प्रकाशित होने लगी।

2 अप्रैल 1938 को लखनऊ तथा उसी वर्ष 16 जून को 'मद्रास रेडियो स्टेशन' का उद्घाटन किया गया। ये दोनों मध्यम-तरंग वाले केन्द्र थे। 16 जून को मद्रास केन्द्र का उद्घाटन होते ही मद्रास प्रेसीडेंसी क्लब के रेडियो केन्द्र का प्रसारण सर्वदा के लिए बन्द कर दिया गया। जून 1939 में तिरुचिरापल्ली में रेडियो स्टेशन चालू किया गया। इससे पहले, अप्रैल 1937 में 'पेशावर रेडियो स्टेशन' प्रांतीय सरकार से 'आल इण्डिया रेडियो' के हाथ में आ गया था। 31 दिसम्बर 1939 में 13 ट्रांसमीटर लगाये जा चुके थे और उस समय रेडियो सेटों की संख्या एक लाख 40 हजार तक पहुंच गई थी। 1938-39 के दौरान रेडियो प्रसारण में कई नई योजनाओं को कार्य रूप दिया गया। 3 अक्तूबर 1938 को 'स्कूल ब्राडकास्टिंग', का नियमित सेवा के रूप में शुभारम्भ हुआ। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास केन्द्रों के लिए स्कूली शिक्षा प्रसारणों के लिए पम्फलेट छापे गये। अक्तूबर में ही 16 तारीख को 'रूरल ब्राडकास्टिंग स्कीम' का उद्घाटन किया गया। 1939 में 18 जनवरी को एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र को रिले करने का श्रीगणेश हुआ। इस व्यवस्था के अन्तर्गत हर बुधवार को दिल्ली से बम्बई और हर शनिवार को बम्बई से दिल्ली रिले शुरू किया गया। मई महीने में 'बड़ौदा ब्राडकास्टिंग' स्टेशन का उद्घाटन हुआ। पेशावर को रिले केन्द्र का रूप दिया गया। अक्तूबर तक 'आल इण्डिया रेडियो' के केन्द्रों से 17 घंटे 15 मिनट तक का प्रसारण होने लगा था। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदुस्तानी, बंगला, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी तथा पश्तो भाषाओं में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण शुरू हो गया था। दिसम्बर में दिल्ली में फारसी में समाचार सेवा शुरू हो गई थी। रेडियो का उपयोग लोगों को जानकारी देने के अलावा प्रेरित करने के लिए भी किया जाने लगा था। 15 नवम्बर 1939 को तत्कालीन वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने प्रान्तों में संवैधानिक संकट पर अपना भाषण प्रसारित किया।

1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सरकार ने रेडियो का इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया। दिन-प्रतिदिन की खबरें दे, तथा अनेक विषयों पर सरकारी दृष्टिकोण प्रसारण किये जाने लगे। युद्ध के प्रयास के लिए लोगों के हौसले बुलन्द रखने और जनसामान्य का समर्थन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय समाचार संगठन 'सेन्ट्रल न्यूज आर्गेनाइजेशन' के माध्यम से सूचनाएं, टिप्पणियां और वार्ताएं आदि प्रसारित की जाने लगीं। 1945 में भारत सरकार ने रेडियो के विकास पर विशेष बल देने के लिए एक योजना बनाई। 24 अक्तूबर 1941 को सूचना और प्रसारण विभाग की स्थापना की गई। इसके कुछ समय बाद 'आल इण्डिया रेडियो' का मुख्यालय वर्तमान ब्राडकास्टिंग हाउस में खोला गया। 1945 में भारत सरकार ने रेडियो के विकास पर बल देने के लिए एक योजना बनाई। सरकार ने निर्णय किया कि प्रयोग के तौर पर देश के विभिन्न भागों में एक-एक किलोवाट के ट्रांसमीटर लगाये जायें, ब्रिटिश सरकार ने रेडियो की सम्प्रेषण क्षमता बढ़ाने के लिए अत्युच्च क्षमता के लघु तरंगों पर दो ट्रांसमीटर लगाये। इसके साथ ही आकाशवाणी में 'एक्सटरनल सर्विसेज डिवीजन' की स्थापना की गई। युद्ध में जापान के प्रवेश के बाद आल इण्डिया रेडियो से धुंआधार प्रोपेगंडा किया जाने लगा। श्री एस० गोपालन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक दल ने देश के हर भाग और हर व्यक्ति तक प्रथम श्रेणी की मध्यम-तरंग सेवा उपलब्ध कराने की जो योजना तैयार की थी, युद्ध की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो जाने के कारण अब काफी धीमी पड़ गई। इसी बीच 1942 का 'भारत छोड़ो' आंदोलन जोरों पर चलने लगा और विकास की सारी योजनाएं ठप्प पड़ गईं।

पहले निर्माणाधीन कार्यों में एक ही कार्य पूरा हो सका, वह था— नई दिल्ली में 'ब्राडकास्टिंग हाउस' का निर्माण तथा उसका उद्घाटन।

इस समय तक 'आल इण्डिया रेडियो' का स्वरूप काफी अंशों में सुसंगठित हो चुका था। भारत में 14 रेडियो स्टेशन कार्यरत थे, जिनमें से 9 पर 'आल इण्डिया रेडियो' और 5 पर रियासती सरकारों का अधिकार था। 'आल इण्डिया रेडियो' के पास सुसंगठित 'समाचार-सेवा', व्यापक 'विदेश प्रसारण संस्थापना' (इन्सटालेसन) तथा 'अनुसंधान विभाग', एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच कार्यक्रमों को रिले करने और रिकार्डिंगों के आदान-प्रदान की सुव्यवस्थित प्रणाली थी। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन

होने के बाद 3 रेडियो स्टेशन पाकिस्तान की सीमा में चले गये, इनके नाम हैं—लाहौर, पेशावर और ढाका। 'आल इण्डिया रेडियो' के पास बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली के रेडियो स्टेशन भी भारत को मिले। इनके नाम हैं : मैसूर, वड़ौदा, हैदराबाद, औरंगाबाद और त्रिवेन्द्रम।

भारत में प्रसारण के विस्तार की एक योजना 1944 में 'आल इण्डिया रेडियो' के डायरेक्टर-जनरल, अहमद शाह बुखारी के कार्यकाल में ही बनाई गई थी, परन्तु कुछ प्रशासनिक कारणों से इस योजना पर पूर्णरूप से कार्यान्वयन नहीं हो सका था। नई योजनाओं में से एक योजना—'श्रोता अनुसंधान योजना' 1946 ई० में शुरू की जा सकी थी।

देश के स्वतंत्र होने से पूर्व की घटनाओं में 3 जून, 1947 को भारत-विभाजन के बारे में लार्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्री मोहम्मद अली जिन्ना का प्रसारण उल्लेखनीय रहा।

## स्वतन्त्रता के पश्चात्

देश के स्वतंत्र होने के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के प्रथम सूचना और प्रसारण मन्त्री बने। उन्होंने रेडियो प्रसारण के विकास के लिए दो चरणों की एक योजना तैयार की। पहले चरण में जिन सांस्कृतिक तथा भाषायी क्षेत्रों में अभी तक कम शक्ति वाले मध्यम-तरंग के ट्रांसमीटरों की सेवा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी, उन क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर कम शक्ति के मध्यम-तरंग ट्रांसमीटर लगाना और दूसरे चरण में कम क्षमता वाले स्टेशनों के स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक क्षमता के रेडियो स्टेशनों को लगाने का कार्यक्रम था। देश के विभाजन तथा कुछ केन्द्रों के पाकिस्तान में चले जाने के कारण पाकिस्तान की सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में रेडियो केन्द्र खोलना अनिवार्य हो गया। इसलिए स्वतंत्र भारत का पहला रेडियो केंद्र पहली नवम्बर 1947 को जालन्धर में खोला गया और एक दिसम्बर 1947 को जम्मू रेडियो स्टेशन का उद्‌घाटन किया गया। पहली जुलाई 1948 को श्रीनगर में लघु-तरंगों वाला रेडियो स्टेशन चालू हुआ। 1948 में देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसारण की सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार हुआ।

| | |
|---|---|
| 26 जनवरी | 1948 को पटना, |
| 28 जनवरी | " " कटक, |
| 16 फरवरी | " " अमृतसर, |
| 1 जुलाई | " " शिलांग, |
| 16 जुलाई | " " नागपुर, |
| 1 दिसम्बर | " " विजयवाड़ा |
| 16 दिसम्बर | " " बड़ौदा केन्द्र (आल इण्डिया रेडियो के नियंत्रण में आ गया।) |

1948 में ही गोवा में पणजी में एक रेडियो स्टेशन खोला गया, लेकिन उन दिनों यह क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन था। यह क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आने के बाद पणजी से 9 जनवरी 1962 से प्रसारण फिर शुरू हुआ।

पहली फरवरी 1949 को इलाहाबाद और 4 मार्च को अहमदाबाद रेडियो प्रसारण केन्दों का उद्‌घाटन किया गया। 1950 में 8 जनवरी को धारवाड़ और 14 मई को कोजीकोड (कालीकट) रेडियो स्टेशनों का उद्‌घाटन हुआ। इसी वर्ष पहली अप्रैल को त्रिवेन्द्रम, मैसूर, हैदराबाद और औरंगाबाद रेडियो स्टेशनों का 'आल इण्डिया रेडियो' ने अधिग्रहण किया।

प्रायोगिक तौर पर रेडियो स्टेशनों की स्थापना का काम 1950 तक काफी हद तक पूरा कर लिया गया था। देशी रियासतों के पाँच रेडियो स्टेशनों को छोड़कर 1947 में इनकी संख्या केवल 6 थी, परन्तु 1950 में यह संख्या 21 हो गई थी। इस प्रकार यह 'आकाशवाणी' की बहुत अच्छी उपलब्धि कही जा सकती है। परन्तु, 'आकाशवाणी' ने 125 भाषाओं में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रसारण का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उस दृष्टि से 'आल इंडिया रेडियो' अभी काफी पीछे था। इस समय तक राजस्थान, सौराष्ट्र, मध्य भारत और हिमाचल प्रदेश तथा अण्डमान-निकोबार द्वीप-समूह में कोई रेडियो स्टेशन नहीं खोला जा सका था। उस समय (1950 में) 60 हजार घंटे तक प्रसारण होता था, जबकि 1947 में केवल 26,342 घंटे तक प्रसारण किया गया। 1950 में देश की लगभग 21 प्रतिशत जनसंख्या तक प्रसारण की पहुंच थी। 1950 में लाइसेंस प्राप्त रेडियो सैटों की संख्या 5,46,319 थी, जबकि 1947 में 2,75,955 थी।

इस अवधि में 'आकाशवाणी' के 'प्रोग्राम' और 'इंजीनियरिंग' कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्था बनाई गई; 'विदेश सेवा प्रसारण' के लिए एक अलग प्रभाग बनाया गया और कुछ भाषाओं के प्रसारणों में कमी करके कुछ अन्य भाषाओं में नई प्रसारण सेवा शुरू की गई। 1950 में 'आल इण्डिया रेडियो' से 11 भाषाओं में प्रति सप्ताह 116 घण्टे प्रसारण होता था।

## प्रथम पंचवर्षीय योजना

1951 के में देश सुनियोजित विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश हुआ। 'आल इण्डिया रेडियो' के लिए 4.94 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये, परन्तु इसमें से केवल 2.67 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया जा सका। 'आल इण्डिया रेडियो' को परिवहन तथा संचार से भी कम धनराशि निर्धारित की गई थी। 1952 में डा० वी० वी० केसकर सूचना और प्रसारण मंत्री का पद संभाला। केसकर लगभग 10 वर्षों तक लगातार इस पद पर कार्यरत रहे और उन्हें दो पंचवर्षीय योजनाओं में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में वर्तमान कुछ रेडियो स्टेशनों पर उच्च क्षमता के ट्रांसमीटर लगाने और सेवा का विस्तार करने के लिए नये रेडियो स्टेशन खोलने के कार्यक्रम रखे गये थे। 8 जनवरी 1951 को कलकत्ता में, 20 मार्च 1951 को बम्बई में, 6 जून 1954 को अहमदाबाद में, 29 अगस्त 1954 को जालंधर में और 13 अप्रैल 1955 को लखनऊ में 50 किलोवाट के मध्यम-तरंग के ट्रांसमीटर लगाये गये। 12 फरवरी 1953 को नागपुर में कम क्षमता के ट्रांसमीटर, 10 किलोवाट का मध्यम-तरंग ट्रांसमीटर और 10 मई 1953 को गुवाहाटी में 10 किलोवाट का (मध्यम-तरंग) ट्रांसमीटर लगाया गया।

इस दौरान देश के अनेक भागों में नये केन्द्र भी खोले गये। 2 अक्तूबर 1953 को पुणे में एक किलोवाट का मध्यम-तरंग ट्रांसमीटर लगाया गया, लेकिन 13 मार्च 1955 को इसे हटा कर 5 क़िलोवाट का ट्रांसमीटर लगाया गया। पुणे स्टेशन चालू होने के बाद औरंगाबाद का केन्द्र बंद कर दिया गया। 4 जनवरी को राजकोट, 9 अप्रैल को जयपुर, 22 मई को इन्दौर और 16 जून को शिमला में रेडियो स्टेशन कायम किये गये। बंगलौर में 2 नवम्बर 1955 को 50 किलोवाट का (मध्यम-तरंग) ट्रांसमीटर और अजमेर में 11

दिसम्बर 1955 को 20 किलोवाट का नया (मध्यम-तरंग) ट्रांसमीटर लगाकर उसे जयपुर से जोड़ दिया गया। कुल मिलाकर, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 50 किलोवाट के पांच, बीस किलोवाट के तीन, दस किलोवाट के दो और पांच किलोवाट (मध्यम-तरंग) का एक, ढाई किलोवाट (लघु-तरंग) का एक और कम क्षमता वाले 6 ट्रांसमीटर लगाये गये। इनमें से कुछ ट्रांसमीटर पहले स्थापित ट्रांसमीटरों के स्थान पर लगाये गये और कुछ नये स्थानों पर कायम किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश के लगभग एक तिहाई क्षेत्र तथा लगभग 46 प्रतिशत (लगभग 22 करोड़) जनसंख्या तक 'आकाशवाणी' प्रसारण पहुंचने लगा था। 'आल इण्डिया रेडियो' से 'स्वेदेशी सेवा' के अन्तर्गत 46 और 'विदेशी सेवा' के अन्तर्गत 16 भाषाओं में 72 समाचार बुलेटिनों का प्रसारण होने लगा था। लाइसेंस प्राप्त रेडियो सैटों की संख्या 10,29,816 हो गई थी और लगभग एक लाख घंटे वार्षिक प्रसारण किया जा रहा था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान (29 अप्रैल 1953 को) संगीत और वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरू किये गये। 9 दिसम्बर 1954 को 'रेडियो समाचार दर्शन' (न्यूज रील) कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस वर्ष 14 अगस्त को 'सरदार पटेल व्याख्यानमाला' का उद्‌घाटन किया गया। इन्हीं दिनों (8 जून 1953 को) बम्बई में 'आकाशवाणी' में प्रथम सुगम संगीत एकक की स्थापना की गई। लेकिन इन्हीं दिनों 'रेडियो सिलोन' से फिल्मी गीतों और सुगम संगीत के प्रसारण शुरू हो जाने के कारण भारतीय प्रसारण पर काफी असर पड़ा। श्रोता प्राय: 'आल इण्डिया रेडियो' को बन्द करके 'रेडियो सिलोन' सुनने लगते थे।

## द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के उन क्षेत्रों तक भी प्रसारण-सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था जहां अभी तक प्रसारण ठीक से नहीं पहुंच पा रहा था। योजना-अवधि में 31 अक्तूबर 1956 को भोपाल में रेडियो स्टेशन खोला गया। 100 किलोवाट का एक, 20 किलोवाट के सात, कम क्षमता (मध्यम-तरंग) के दो ट्रांसमीटर तथा 100

किलोवाट के दो, दस किलोवाट के सात और कम क्षमता के दो लघु-तरंग ट्रांसमीटर लगाये गये। इनमें से कुछ पुराने ट्रांसमीटरों के स्थान पर लगाये गये। एक 100 किलोवाट का लघु-तरंग ट्रांसमीटर 22 मार्च 1957 को बम्बई में चालू हुआ। इतनी ही क्षमता का एक और ट्रांसमीटर मद्रास में भी लगाया गया। इन ट्रांसमीटरों से देश भर में 'विविध भारती' की सेवा का प्रसारण किया जाने लगा। 3 अक्तूबर 1957 को 'विविध भारती' की सेवा 'रेडियो सिलोन' का मुकाबला करने के लिये शुरू की गई। 1957 में ही 'आल इण्डिया रेडियो' का नाम बदलकर 'आकाशवाणी' रखा गया। दिल्ली से इस अवधि में नाटक, संगीत और रूपक के अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रारंभ किये गये। साहित्यिकी और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम भी शुरू किये गये। कवियों की पहली अखिल भारतीय गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। रेडियो रूरल फोरम भी इसी समय शुरू किया गया। अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए दिल्ली से एक सेवा शुरू की गई। इस योजना के अन्त तक 'आकाशवाणी' के मध्यम-तरंग का प्रसारण देश की 55 प्रतिशत जनसंख्या और 37 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंचने लगा था। 1960 तक लाइसेन्सशुदा रेडियो सैटों की संख्या 21,42,754 तक पहुंच गई। 'आकाशवाणी' से वार्षिक प्रसारण 1,17,265 घण्टे तक होने लगा था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 'आकाशवाणी' का प्रसारण देश के हर भाग तक पहुंचने लगा। 'गोवा रेडियो' ने 9 जनवरी 1962 से अपना प्रसारण फिर शुरू कर दिया। उत्तर क्षेत्र में दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, रांची, जालन्धर, जयपुर, शिमला, इन्दौर, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, चण्डीगढ़, (केवल स्टूडियो), पश्चिम क्षेत्र में बम्बई, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद, राजकोट, वदोदरा (केवल स्टूडियो), दक्षिण क्षेत्र में मद्रास, तिरुचि, तिरुअनंतपुरम, कालीकट (कोजीकोड) हैदराबाद, विजयवाड़ा, बंगलौर, धारवाड़ तथा पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता, कटक, गुवाहाटी, शिलांग (केवल स्टूडियो) में प्रसारण की सुविधाओं के लिए ट्रांसमीटर लगाये जा चुके थे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की एक महत्वपूर्ण घटना है—15 सितम्बर 1959 को दिल्ली में भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रायोगिक तौर पर टेलीविजन सेवा का उद्घाटन।

दूसरी उल्लेखनीय बात थी—1960 में नई दिल्ली में 'तार-प्रसारण सेवा' का प्रारंभ। इसके अन्तर्गत कम आय वर्ग के लोगों को बहुत थोड़ा शुल्क देकर प्रसारण का लाभ उठाने की सुविधा दी जाने लगी।

इसके अतिरिक्त 'आकाशवाणी' ने पुणे केंद्र के यूनेस्को के तत्वावधान में 'रेडियो फार्म फोरम' का कार्य अपने हाथ में लिया। इसकी उपयोगिता देखते हुए संपूर्ण देश में 'रेडियो ग्रामीण मंचों' की स्थापना का लक्ष्य बनाया गया और 17 नवम्बर 1959 को 'रेडियो ग्रामीण मंच' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

इन्हीं दिनों 'उर्दू मजलिस' तथा 'साहित्यिकी' कार्यक्रम भी शुरू किये गये।

## तृतीय पंचवर्षीय योजना

तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्यम-तरंग सेवा का विस्तार करने और 'विदेश प्रसारण सेवा' में और सुधार लाने का कार्यक्रम बनाया गया था। स्टेशनों को पहले से रिकार्ड किये गये कार्यक्रमों को भेजने की व्यवस्था सुचारु बनाने का भी प्रयास किया गया। 'भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड', बंगलौर में बने उपकरणों का इस्तेमाल करने पर विशेष जोर दिया गया। तृतीय पंच-वर्षीय योजना के पूरे होने तक देश में 34 परिपूर्ण केन्द्र, 17 सहायक केन्द्र, 26 विविध भारती केन्द्र, 4 स्टूडियो केन्द्र, 49 रिसीविंग केन्द्र और 110 (82 मध्यम-तरंग (28 लघु-तरंग) ट्रांसमीटर लगाये जा चुके थे। इन ट्रांसमीटरों की कुल क्षमता 1991.15 किलोवाट थी। देश के लगभग 75 प्रतिशत लोग प्रसारणों का लाभ उठा सकते थे।

20 अक्तूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय हमारे प्रसारणों की क्षमता की कमी बेहद खटकने लगी थी। इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कार्यक्रमों को अमल में लाने के स्थान पर देश के सीमावर्ती भागों में ट्रांसमीटर लगाने और रेडियो केन्द्र चालू करने पर विशेष जोर दिया गया। 4 जनवरी 1963 को नगालैंड की राजधानी कोहिमा में और 1 जून 1963 को पोर्टब्लेयर में एक किलोवाट (मध्यम-तरंग) प्रसारण केन्द्र चालू किया गया। 15 अगस्त 1963 को इम्फाल में तथा 20 किलोवाट का लघु-तरंग ट्रांसमीटर कुर्सियांग में और 20 किलोवाट का (मध्यम-तरंग) ट्रांस-मीटर गुवाहाटी में लगाया गया। श्रीनगर में 20 किलोवाट का एक अतिरिक्त

(मध्यम-तरंग) ट्रांसमीटर चालू किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए शिमला में 100 किलोवाट (मध्यम-तरंग) का ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव किया गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो नये केन्द्र तथा ट्रांसमीटर स्थापित किये गये, उनका विवरण निम्नलिखित है :

## (अ) नये रेडियो स्टेशन

1. कुर्सियांग—2 जून 1962 को 2 किलोवाट (लघु-तरंग) के ट्रांसमीटर के स्थान पर 20 किलोवाट का (लघु-तरंग) ट्रांसमीटर लगाया गया।
2. कोहिमा—4 जनवरी 1963 को एक किलोवाट (मध्यम-तरंग) ट्रांसमीटर
3. पोर्टब्लेयर—2 जून 1963 को एक किलोवाट (मध्यम-तरंग) ट्रांसमीटर
4. इम्फाल—15 जून 1983 को एक किलोवाट (मध्यम-तरंग) ट्रांसमीटर

## (ब) वर्तमान प्राथमिक मध्यम-तरंग सेवाओं के प्रसारण विस्तार के लिए लगाये गये ट्रांसमीटर

1. भोपाल, 2 अक्तूबर 1962 (मध्यम-तरंग) 1 किलोवाट
2. रांची, 28 अक्तूबर 1962 (मध्यम-तरंग) 5 किलोवाट
3. वाराणसी, 28 अक्तूबर 1962 को (मध्यम-तरंग) 10 किलोवाट
4. राजकोट, 28 अक्तूबर 1962 को (मध्यम-तरंग) 20 किलोवाट
5. गुवाहाटी, 6 फरवरी 1963 को (मध्यम-तरंग) 20 किलोवाट
6. बीकानेर, 28 अप्रैल 1963 को (मध्यम-तरंग) 10 किलोवाट
7. श्रीनगर, 1 मई 1963 को (मध्यम-तरंग) 20 किलोवाट
8. सम्बलपुर, 26 मई 1963 को (मध्यम-तरंग) 20 किलोवाट
9. कुड़प्पा, 17 जून 1963 को (मध्यम-तरंग) 20 किलोवाट
10. सिलीगुड़ी, 7 जुलाई 1963 को (मध्यम-तरंग) 20 किलोवाट
11. विशाखापत्तनम, 4 अगस्त 1963 को (मध्यम-तरंग) 10 किलोवाट
12. रायपुर, 2 अक्तूबर 1963 को (मध्यम-तरंग) 20 किलोवाट
13. सांगली, 6 अक्तूबर 1963 को (मध्यम-तरंग) 20 किलोवाट

14. तिरुनेलवेली 1 दिसम्बर 1963 को (मध्यम-तरंग) 5 किलोवाट
15. ग्वालियर 15 अगस्त 1964 को (मध्यम-तरंग) 5 किलोवाट

(स) विविध-भारती कार्यक्रमों को रिले करने के लिए स्थापित एक किलोवाट ट्रांसमीटर :

1. बंगलौर (17 अगस्त 1962)
2. इन्दौर (17 अगस्त 1962)
3. कटक (17 अगस्त 1962)
4. जयपुर (17 अगस्त 1962)
5. विजयवाड़ा (17 अगस्त 1962)
6. कलकत्ता (17 अगस्त 1962)
7. राजकोट (28 अक्तूबर 1962)
8. हैदराबाद (14 मार्च 1963)
9. नागपुर (31 मार्च 1963)
10. तिरुचिरापल्ली (31 मार्च 1963)
11. कानपुर (15 सितम्बर 1963)
12. लखनऊ (2 अक्तूबर 1963)
13. पटना (2 अक्तूबर 1963)
14. पुणे (28 मार्च 1964)

1965 में 'आकाशवाणी' के केन्द्रों से 1,81,657 घण्टे का क्षेत्रीय प्रसारण तथा 'स्वदेशी सेवा' में विविध भारती के 54,483 घन्टे के विशेष प्रसारण हुए। इस दौरान 'आकाशवाणी' के कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करने के लिए 'ट्रांसक्रिप्सन सेवा' का एक एकक खोला गया। यह एकक विदेशी रेडियो संगठनों को उत्कृष्ट कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करता है। 1964 में भारतीय केन्द्रों में 1700 टेप रिकार्डिंगों का और विदेशों से 2500 स्क्रिप्टों का आदान-प्रदान किया गया। 'ट्रांसक्रिप्सन सर्विस' में प्रमुख नेताओं, प्रमुख संगीताचार्यों, मशहूर पुराने कलाकारों और शास्त्रीय तथा लोक संगीत के 10,000 से अधिक टेप रखे गये हैं।

इस अवधि में दिल्ली में उच्च क्षमता के 2 लघु तरंग ट्रांसमीटर लगाये गये। रामपुर में एक सहायक केन्द्र खोला गया जिसका उद्घाटन 28

नवम्बर 1965 को किया गया। शिलांग में भी 6 मार्च 1966 को एक सहायक केन्द्र चालू किया गया। 23 नवम्बर 1966 को मथुरा और ऐजल में आकाशवाणी केन्द्र खोले गये।

'विविध भारती सेवा' का विस्तार करने पर भी जोर दिया गया। कालीकट, जोधपुर अहमदाबाद, और तिरुअनंतपुरम से 'विविध भारती सेवा' का प्रसारण शुरू किया गया।

रेडियो लाइसेंसों की प्रणाली को पहले की अपेक्षा और सरल बनाया गया। भारत और पाकिस्तान के उर्दू श्रोताओं के लिए प्रतिदिन 9 घण्टे की उपमहाद्वीपीय सेवा शुरू की गई।

विश्वविद्यालय के छात्रों की सहायता के लिए एक कार्यक्रम 'यूनिवर्सिटी आफ् द एयर' शुरू किया गया। संस्कृत पाठों का प्रसारण भी प्रारंभ किया गया।

समाचार कार्यक्रमों में भी परिवर्तन किये। 'टापिक फार टुडे' और 'फोकस' कार्यक्रमों को मिलाकर एक नया कार्यक्रम 'इन द न्यूज' 17 जुलाई 1966 से शुरू किया गया, बाद में इसे ही 'स्पाटलाइट' बना दिया गया। इसी वर्ष जून में आकाशवाणी के 10 केंद्रों में 'कृषि-गृह एकक' (फार्म एण्ड होम यूनिट) स्थापित किये गये और उनसे कृषि प्रसारण शुरू किया गया।

भारत सरकार ने 4 सितंबर 1964 को श्री अशोक के० चन्दा की अध्यक्षता में सूचना और प्रसारण माध्यम समिति नियुक्ति की। इस समिति ने 'आकाशवाणी' के संगठन तथा कार्यों के बारे में 219 सिफारिशें कीं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में रेडियो और टेलीविजन के लिए अलग-अलग स्वतंत्र संगठन बनाने का सुझाव दिया, जिसमें कहा गया था कि 'आकाशवाणी' को ऐसा अर्द्धस्वायत्त निगम बनान चाहिए, जिसमें नीति पर तो सरकार का, परन्तु दिन-प्रतिदिन के कार्यों में किसी का दखल नहीं होना चाहिए। समिति ने स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा-शर्तों में सुधार लाने तथा 'विदेशी प्रसारण' सेवा को और सुचारु बनाने का भी सुझाव दिया।

## चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 नवम्बर 1967 को 'व्यापारिक विज्ञापन प्रसारण सेवा' प्रारंभ की गई तथा इस सेवा को 'आकाशवाणी' से अलग

कर दिया गया। एक नवम्बर 1967 को पांडिचेरी में आकाशवाणी केन्द्र का उद्घाटन किया गया। 10 फरवरी 1968 को परभणी में सहायक केन्द्र चालू किया गया। कलकत्ता के निकट मांगरा में 22 सितम्बर 1969 को अत्युच्च क्षमता का (मध्यम-तरंग) ट्रांसमीटर चालू किया गया। पहली जनवरी 1971 को 100 किलोवाट का (मध्यम-तरंग) ट्रांसमीटर, अप्रैल 1971 में अलीगढ़ में 2×250 किलोवाट का (लघु-तरंग) ट्रांसमीटर, 25 जून 1971 को लेह में रेडियो स्टेशन तथा 8 जुलाई 1971 को राजकोट में अत्युच्च क्षमता का ट्रांसमीटर चालू किया गया। 1969 तक देश में ट्रांसमीटरों की संख्या 127 हो चुकी थी और लघु-तरंग सेवा लगभग पूरे देश में उपलब्ध होने लगी थी। मध्यम-तरंग सेवा का लाभ भी 73 प्रतिशत जनसंख्या तक प्राप्त होने लगा था। देश में आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या 66 हो चुकी थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान एक अलग चेनल पर युवाओं के लिए 'युववाणी सेवा' (21 जुलाई 1969 से) शुरू की गई।

देश में छोटे समाचारपत्रों की सुविधा के लिए अंग्रेजी में धीमी गति के बुलेटिनों का प्रसारण शुरू किया गया।

1970 के अन्त तक देश में रेडियो लाइसेंसों की संख्या 1,17,43,602 तक पहुंच चुकी थी।*

## चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 जनवरी 1972 को सिलचर तथा सितम्बर 1974 में तवांग में आकाशवाणी केन्द्र खोले गये। पहली दिसम्बर 1975 को ऐज़ल में 10 किलोवाट का (मध्यम-तरंग) ट्रांसमीटर लगाया गया। इसके बाद 2 फरवरी 1976 को दरभंगा में रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया।

पहली अप्रैल 1976 को आकाशवाणी से दूरदर्शन को अलग कर दिया गया। अगस्त 1977 में बी०जी० वर्गीज की अध्यक्षता में आकाशवाणी के बारे में विचार करने के लिए एक कार्यदल नियुक्त किया गया। इस कार्य-

*1985-86 के केन्द्रीय बजट के अनुसार, रेडियो सैटों पर अब लाइसेंस-शुल्क नहीं लिये जायेंगे।

दल ने फरवरी 1978 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी, जिसमें आकाशवाणी को स्वायत्त संगठन बनाने की सिफारिश की गई थी। 12 मार्च 1978 को इस रिपोर्ट को आधार मानकर संसद में एक विधेयक पेश किया गया, जिसका नाम 'आकाश भारती' विधेयक था। यह विधेयक पारित नहीं हो सका। मई 1979 में आकाश भारती विधेयक में कुछ सुधार करके इसे 'प्रसार भारती' विधेयक का नाम दिया गया, परन्तु जनता पार्टी की सरकार के पतन होने के बाद यह विधेयक पारित नहीं हो सका। श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुन: प्रधानमन्त्री बनने के बाद 28 नवम्बर 1980 को पार्थसारथी की अध्यक्षता में 14 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इसका उद्देश्य मन्त्रालय तथा सम्बद्ध प्रचार तथा प्रसार माध्यमों की संगठनात्मक संरचना से सम्बद्ध मामलों तथा प्राथमिकता के विषयों के संबंध में अपना परामर्श देना है। इस समिति ने अभी तक 4 विषयों पर सिफारिशें की हैं :

1. आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन,
2. प्रसारण माध्यमों के लिए समाचार-नीति,
3. देश में रंगीन टेलीविजनों का प्रारम्भ, और
4. प्रकाशन प्रभाग की प्रकाशन नीति।

1. आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में समिति ने सिफारिश की है कि अनुबन्ध पर काम करने वाले इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माना जाये और विभिन्न वर्गों के स्टाफ आर्टिस्टों की कार्य-समीक्षा करके उन्हें पेंशन संबंधी सुविधाएं दी जायें।

2. राष्ट्रीय प्रसारण माध्यम के रूप में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का यह विशेष दायित्व है कि वे समाचार इस प्रकार दें कि उससे लोगों को सूचना मिलें, शिक्षित किया जाये तथा उन्हें प्रबुद्ध बनाया जाये। अत: समाचार नीति के स्पष्ट निर्धारण तथा सामयिक कार्यक्रमों के लिए व्यापक मार्गनिर्देश तैयार करना आवश्यक है। समिति ने इस संबंध में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यों को सुचारु बनाने के लिए कुछ मार्ग-निर्देशों की भी सिफारिश की है।

सरकार ने स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन देने की सिफारिश को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है।

समाचार के बारे में भी नीति सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। तथा इस सम्बन्ध में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को व्यापक मार्ग-निर्देश दिये गये हैं।

रंगीन टेलीविजन के बारे में भी सिफारिश को मान लिया गया है। इस समय सलाहकार समिति आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग के कार्यों तथा दूरदर्शन की कार्य-प्रणाली के कुछ पहलुओं पर विचार कर रही है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान आकाशवाणी के अनेक प्रसारण केन्द्र खोले गये तथा ट्रांसमीटर लगाये गये :

सिल्चर (15-1-72), तवांग (23-9-74), दरभंगा (2-2-76), रोहतक (8-5-76), छतरपुर (1-8-76) औरंगाबाद (19-9-76), जलगांव (16-10-76) मंगलौर (11-12-76), अम्बिकापुर (26-12-76), जगदलपुर (22-1-77), रत्नगिरि (30-1-77), रीवां (2-10-77), नजीबाबाद (27-1-78) और गंगतोक (2-10-82) में आकाशवाणी के केन्द्र खोले गये। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली मद्रास और बम्बई में एफ० एम० सेवा चालू की गई। आकाशवाणी के अनेक केन्द्रों में स्थाई स्टूडियो और अन्य प्रसारण सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

इस समय देश में 87 प्रसारण केन्द्र और 167 ट्रांसमीटर हैं। आकाशवाणी का प्रसारण देश के लगभग 78 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंचता है और भारत की लगभग 89 प्रतिशत जनसंख्या को प्रसारण सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। इस समय विविध भारती सेवा का प्रतिदिन 12 घन्टे 50 मिनट प्रसारण होता है और प्रत्येक रविवार को 13 घन्टे 50 मिनट प्रसारण सुना जाता है। व्यापारिक प्रसारण सेवा से 1982-83 में 15.31 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। आकाशवाणी से 68 राष्ट्रीय बुलेटिन प्रतिदिन प्रसारित किये जाते हैं और इनकी अवधि प्रतिदिन 10 घन्टे 20 मिनट होती है। विदेशी श्रोताओं के लिए 24 भाषाओं में 63 बुलेटिनों का विदेशी श्रोताओं हेतु प्रसारण किया जाता है। विदेश सेवा प्रभाग प्रतिदिन 15 भाषाओं में 20 घन्टे 55 मिनट का प्रसारण करता है। भारतीय भाषाओं में प्रभाग 12 घन्टे 15 मिनट का प्रसारण करता है। 1980 में हमारे देश में कुल 1,78,68,506 लाइसेंसशुदा रेडियो सैट थे।

इस समय आकाशवाणी से जो प्रसारण होते हैं, उनमें हैं—ग्रामीण कार्य-क्रम, युवा, समाचार, विविध भारती तथा व्यापारिक सेवा, संगीत, वार्ता,

नाटक, रूपक, न्यूजरील, खेल, राज्यों से चिट्ठियां, लोकरुचि समाचार तथा विशिष्ट श्रोताओं के लिए कार्यक्रम जैसे—महिला, बाल, ग्रामीण, युववाणी, औद्योगिक, जनजाति तथा सैनिक आदि।

आकाशवाणी ने पिछले वर्ष एशियाई खेलों के आयोजन तथा इस वर्ष गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन एवं राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्ष सम्मेलन जैसे कार्य-क्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया और विभिन्न देशों को ध्वनि-रिकार्डिंगों, सम्पादन तथा प्रत्यंकन और कैप्सूल तैयार करने तथा सीधा प्रसारण करने आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायीं। आकाशवाणी ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थानीय महत्व वाले 80 कार्यक्रम प्रसारित किये जाने का लक्ष्य रखा है। आशा है कि इस योजना के अन्त तक आकाशवाणी के 6 नये स्थानीय केन्द्र चालू हो जायेंगे। ये निम्नलिखित स्थानों में स्थापित किये जायेंगे।

1. नागरकोयल (तमिलनाडु)
2. आदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश)
3. क्योंझर (उड़ीसा)
4. कोटा (राजस्थान)
5. शोलापुर (महाराष्ट्र)
6. डीफू (असम)

आकाशवाणी इस समय देश में एकता की भावना बढ़ाने, आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज करने तथा सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में जन मानस में आशा एवं उत्साह का संचार करने की दिशा में निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है। दूरदर्शन के तेजी से विस्तार के बावजूद हमारे देश में इस माध्यम को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

द्वितीय-स्वर

# जन-सचार का सशक्त माध्यमः रेडियो

भारत की प्राचीन काल से ही यह परम्परा रही है कि हम चाहे जहां भी रहें, हमेशा दूसरों की भलाई और सुख के लिए कार्य करें। हमारे प्रत्येक कार्य का लाभ अधिक-से-अधिक लोगों को मिले और समाज के अधिक-से-अधिक लोगों को सुख पहुंचे। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी का यह आदर्श रखा गया—"बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" । इस आप्त वाक्य में सभी को सुखी देखने की आदर्श भावना का परिचय मिलता है। हमारे देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत के कुछ दिनों बाद जब 'आल इण्डिया रेडियो' नाम के संगठन की स्थापना की गई, तो इसके नियंत्रक (कंट्रोलर आफ ब्राडकास्टिग) श्री लायनेल फील्डन ने कहा था, "निश्चय ही (भारत जैसे) विशाल देश में प्रसारण जितनी शिक्षा दे सकता है, एकता ला सकता है तथा जितना निर्देश दे सकता है, उतना कोई माध्यम नहीं कर सकता।" उनकी बात आज भी अक्षरश: उतनी ही सही लगती है, जितनी कि 1935 के असपास सही थी।

भारत में उपलब्ध जन संचार के माध्यमों में रेडियो प्रसारण सबसे सशक्त माध्यम है। भारत जैसे विशाल देश में, जहां अनेक प्रकार की विभिन्नताएं विद्यमान हैं, जहां मुद्रण माध्यम की पहुंच अभी बहुत कम है, लोगों को सूचना देने और शिक्षित करने में आकाशवाणी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस समय देश के लगभग 90 प्रतिशत लोगों तक रेडियो प्रसारण पहुंच रहा है। इतने विशाल देश में, जहां 68 करोड़ 40 लाख लोग निवास करते हैं, सभी को मनोरंजन उपलब्ध कराना, जानकारी देना और शिक्षित करना

विशाल कार्य है। परन्तु आकाशवाणी ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारत में प्रसारण के विकास के लिए पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। 23 जुलाई 1927 को देश के प्रथम प्रसारण केन्द्र का बम्बई में उद्घाटन करते हुए भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड इर्विन ने कहा था, "इसकी दूरी तथा व्यापक क्षेत्र इसके लिए पर्याप्त संभावना प्रदान करते हैं। भारत के दूर-दराज के गांवों में ऐसे तमाम लोग हैं, जिनको दिन-भर के काम से थकने के बाद शाम काटना पहाड़ जैसा लगता है। ऐसे बहुत परिवार हैं, जिसके सदस्य सामाजिक परम्पराओं के कारण अपने घर से बाहर मनोरंजन के लिए नहीं जा पाते, ऐसे लोगों के लिए प्रसारण एक वरदान सिद्ध होगा। मनोरंजन तथा शिक्षा दोनों ही के लिए इसकी बहुत संभावनाएं हैं।"

विकासशील राष्ट्रों में भारत पहला देश है, जिसने रेडियो प्रसारण शुरू किया। विकासशील देशों में प्रसारण पर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उसे राष्ट्र के निर्माण और सामाजिक-विकास की प्रक्रिया में हमेशा योगदान करना होता है। हमारे देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था है, परन्तु देश में अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रसारण को यथासंभव प्रयास करना चाहिए।

भारत में श्रोताओं के अनेक वर्ग समूह हैं, जिनकी रुचियां, विचार और पूर्वाग्रह भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। (भिन्न रुचिर्हि लोक:।) यदि किसी कार्यक्रम से बहुसंख्यक लोगों को संतोष मिल रहा है, तो उसी कार्यक्रम से किसी अल्पसंख्यक वर्ग को असंतोष और आम्लान हो सकता है। इसी प्रकार यदि कोई प्रसारण अल्प-संख्यक वर्ग के लिए हितकारी है, तो एक बड़े वर्ग को उससे असंतोष हो सकता है। परन्तु, रेडियो का प्रसारण भिन्न रुचि वाले लोगों के लिए किया जाता है। उसे राजा से लेकर रंक तक सभी को प्रसन्न रखना पड़ता है। रेडियो एक ओर जहां जन-सामान्य की रुचि के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, वहीं वह अपने विशेष श्रोता वर्ग को भी भूलता नहीं। रेडियो पर यदि साहित्यिकी, संसद-समीक्षा, सामयिकी, स्पाट लाइट और रूपक जैसे कार्यक्रम होते हैं, तो वहीं बाल-कार्यक्रम, युव-वाणी, महिला-कार्यक्रम, सैनिकों के लिए कार्यक्रम, ग्रामीण तथा जन-जातीय कार्यक्रम भी होते हैं। एक ओर, शास्त्रीय संगीत का प्रसारण होता है, तो

दूसरी ओर सुगम संगीत और फिल्मी गीतों के भी कार्यक्रम होते हैं। अर्थात रेडियो प्रसारण का कार्य, कुल मिलाकर, जटिलताओं से भरा हुआ है। रेडियो मनोरंजन के साथ-साथ लोगों को स्थिति की वास्तविकताओं और समस्याओं से अवगत कराता है। साथ-ही-साथ यह उनकी आकांक्षाओं और प्रयासों की भी अभिव्यक्ति करता है। रेडियो प्रसारण सामयिक जीवन के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी देता है और इस प्रकार सामाजिक और आर्थिक विकास तथा सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाने में सहायक होता है। इन सब कार्यों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हुए भी उसे सच्चाई के साथ पेश करने की कोशिश करनी पड़ती है। उसका कार्य—

"सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः॥"

अर्थात "सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, परन्तु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय-सत्य बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है।"— सच्चाई प्रस्तुत करना है, परन्तु अच्छे (प्रिय) ढंग से।

हमारे देश में जन संचार के जितने भी उपलब्ध माध्यम (रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, समाचार-पत्र, प्रकाशन, विज्ञापन, लोकनृत्य नाटक, कठपुतलियां आदि) हैं, उनमें रेडियो प्रसारण की पहुंच सबसे अधिक है। आजकल टेलीविजन, यद्यपि अपने श्रव्य-दृश्य गुणों के कारण बड़ी तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है, परन्तु अभी काफी दिनों तक रेडियो की उपयोगिता बनी रहेगी। तकनीकी दृष्टि से टेलीविजन की पहुंच अभी हर जगह संभव नहीं है, जबकि रेडियो उन स्थानों तक पहुंच रहा है; जो बहुत दुर्गम है, जहां अभी भी बिजली की लाइनें या अन्य आधुनिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। उपग्रह की सुविधा मिलने के बावजूद टेलीविजन प्रसारण अभी देश के केवल 1500 गांवों तक ही पहुंच पाया है। देश के पांच लाख गांवों तक पहुंचने के लिए उसे अभी बहुत कुछ प्रयास करना है।*

हमारे देश में जब प्रसारण शुरू हुआ, तो उसका उद्देश्य भारतीय जनता के हितों की पूर्ति नहीं, अपितु ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की पूर्ति करना था। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो 'आल इण्डिया रेडियो'

*दूरदर्शन अब देश की 70% जनसंख्या तक पहुंचने का दावा करने लगा है।

के विदेश सेवा प्रभाग, ने जापान के खिलाफ 'प्रोपेगंडा' करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 'आल इण्डिया रेडियों' के 'कन्ट्रोलर' श्री फील्डन ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद व्यावसायिक प्रसारक (प्रोफेसनल ब्राडकास्टर) थे, उन्होंने भारत के विभिन्न वर्गों के हितों की कभी उपेक्षा नहीं की और यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार उनके इस दृष्टिकोण से अप्रसन्न रहने लगी थी और अन्तत: उन्हें अपना पद त्याग कर वापस जाना ही पड़ा। श्री फील्डन के समय विभिन्न कार्यक्रमों का विकास यहां की सांस्कृतिक परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास किया गया।

श्री फील्डन के बाद 1940 में श्री अहमद शाह बुखारी ने 'आल इण्डिया रेडियो' के डायरेक्टर-जनरल के रूप में पद भार संभाला। उनके समय कार्यक्रमों को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया। श्री बुखारी रेडियो पर ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के पक्ष में थे जो 'हिन्दुस्तानी' हो और जो भाषा हर व्यक्ति की समझ में आसानी से आ जाये। परन्तु, साथ ही उनका विचार था कि जन्माष्टमी अथवा इस प्रकार के धार्मिक अवसरों पर संस्कृत-मिश्रित भाषा इस्तेमाल करने में कोई हर्ज की बात नहीं। किन्तु, उनके कार्यकाल के दौरान उनके मातहत कुछ व्यक्ति आवश्यकता से अधिक उर्दू के हिमायती थे, यहां तक कि उस समय कई कार्यक्रमों के नाम उर्दू में ही रखे जाते थे और वह भी ऐसी उर्दू जो पेशावर या पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के लोग ही अच्छी प्रकार बोलते-समझते थे। इतना ही नहीं 'आल इण्डिया रेडियो' की तत्कालीन पत्रिका 'आवाज' (उर्दू) का जब 'हिन्दुस्तानी' संस्करण निकलने लगा था, तो लिपि के अलावा उसका सब कुछ उर्दू ही होता था। उस समय अनेक लोगों ने इसका विरोध किया।

1947 में जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तो हमारे प्रसारणों का उद्देश्य परि-स्थितियों के अनुरूप बिलकुल भिन्न हो गया। समाज के हर वर्ग के लोगों को राष्ट्र के नव-निर्माण में, सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दायित्व आ पड़ा। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना और प्रसारण मन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कार्यकाल में देश की एकता और अखंडता बनाये रखने और भाषाई भेदभाव को कम करने पर विशेष बल दिया।

सरदार पटेल के कार्यकाल में इस बात पर बल दिया गया कि जिस व्यक्ति का निजी जीवन उच्च स्तर का न हो उसे सार्वजनिक सेवा में न रखा जाये।

विकासशील देशों में रेडियो प्रसारण के महत्व को देखते हुए 'यू स्को' ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हर पांच व्यक्ति पर कम-से-कम एक रेडियो सैट या ट्रांजिस्टर होना चाहिए। एशिया में प्रसारण संगठनों के बारे में एक सर्वेक्षण में 'यूनेस्को' ने कहा है कि इन संगठनों को सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के निम्नलिखित विषयों में प्रमुख भूमिका निभानी है :

1. कृषि,
2. साक्षरता,
3. परिवार नियोजन,
4. पाठ्यक्रमेतर शिक्षा,
5. औपचारिक शिक्षा,
6. औद्योगिक आयोजना तथा वृद्धि, और
7. राष्ट्रीय एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग।

1966 में बैंकाक में आयोजित 'एशिया में शिक्षा तथा विकास की सेवा में प्रसारण' विषय पर आयोजित 'यूनेस्को' सम्मेलन की रिपोर्ट में बताया गया है कि विकासशील देशों में प्रसार माध्यमों के संचालन तथा उद्देश्य संबंधी नये दृष्टिकोण के तीन निम्नलिखित सिद्धांत हैं :

1. प्रसारण मूलत: एक सार्वजनिक विश्वास और दायित्व है, जो उन लोगों को सौंपा गया है, जो रेडियो और टेलीविजन का संगठन, संचालन तथा नियंत्रण करते हैं।
2. रेडियो तथा टेलीविजन को अपने मौलिक कार्यों को वास्तव में प्रभावी तथा सार्थक ढंग से पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रसारण को आधुनिक तथा गतिशील समाज बनाने में, मूल उद्देश्यों को पूरा करने के मामले में, सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियां महत्वपूर्ण और अनिवार्य शक्ति मानें।

3. जानकारी देने, सूचनाओं का प्रसार करने तथा रचनात्मक दिशाओं में जनमत को प्रभावित करने के मामले में प्रसारण के अन्दर महान संभावनाएं भरी पड़ी हैं और इन संभावनाओं का उपयोग इस आधुनिक समाज को बनाने के लिए अपेक्षित कौशल की जानकारी देने तथा सामाजिक वातावरण पैदा करने के लिये किया जाना चाहिए।

किसी भी प्रसारण संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने इस उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार निभाये। विशाल जनसंख्या वाले इस देश में यदि हम यह मान लें कि यहां तीन करोड़ रेडियो सैट हैं, तो इसका तात्पर्य है कि लगभग 25 व्यक्तियों पर औसतन एक रेडियो सैट पड़ेगा। परन्तु, यह स्थिति सब जगह समान रूप से लागू नहीं हो सकती। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में करीब सौ व्यक्तियों पर एक रेडियो सैट मिलेगा। यहां तक कि कई ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं, जहां कई गांवों में लोगों को रेडियो सुनने को नहीं मिलता। इस प्रकार उन क्षेत्रों में समाज में जागरूकता पैदा करने और लोगों को जानकारी देने का उद्देश्य पूरा करने में आकाशवाणी पूरी तरह सफल नहीं रहा है। लोगों को सूचनाएं और जानकारी देने से पहले वहां की सामाजिक समस्याओं और तनावों के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। जब तक समस्याओं के बारे में पर्याप्त जानकारी न हो, तब तक आकाशवाणी उन समस्याओं का निदान ढूंढ़ने में कैसे सफल हो सकता है? आकाशवाणी को चाहिए कि वह लोगों को संविधान में प्रदत्त उनके अधिकारों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराये। अधिकारों की जानकारी होने के बाद ही उनमें जागरूकता आ सकती है। जैसे—खेतिहर मजदूरों या भूमिहीन लोगों को यह जानकारी देना अनिवार्य है कि सरकार ने कानून द्वारा उन्हें क्या-क्या अधिकार दिये हैं। श्रमिकों, बंधक-मजदूरों, तथा स्त्रियों को उनके अधिकारों और सामाजिक दायित्वों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तभी वे अधिकारों को प्राप्त करने के लिये सचेष्ट हो सकते हैं। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि आकाशवाणी केवल अधिकारों की जानकारी करा करके वर्ग-संघर्ष पैदा करे। उसे अन्य उपायों और सुझावों के बारे में भी आवश्यक जानकारी देनी होगी। समाज में जो लोग अपने अधिकारों से वंचित रह गये हैं, जिन्हें उचित वेतन नहीं मिल पा रहा है, अथवा जिन्हें नागरिकों के समान

अधिकार नहीं मिल सके हैं, ऐसे लोगों को उनके अधिकारों का एहसास दिलाना आकाशवाणी के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

हमारे देश में अनेक धर्म, जाति और मजहब आदि हैं, इसके कारण देश के किसी-न-किसी भाग में साम्प्रदायिक तनाव और संघर्ष पैदा होने की आशंका रहती है। कुछ लोग संकीर्ण भावनाओं को लेकर तनाव पैदा कर देते हैं, वर्ग-संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, ऐसी स्थिति में आकाशवाणी का यह दायित्व है कि वह निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाकर लोगों को जानकारी दे।

यों तो आकाशवाणी के श्रोताओं का सबसे अधिक समय मनोरंजन कार्यक्रमों को सुनने में व्यतीत होता है, परन्तु खबरों का महत्व प्रभाव की दृष्टि से सबसे अधिक है। रेडियो के श्रोता केवल मनोरंजन के लिए ही रेडियो नहीं सुनते हैं, अपितु वे उससे कुछ-न-कुछ जानकारी हासिल करने की भी उम्मीद लगाये रहते हैं। जिन क्षेत्रों में अखबार नहीं पहुंच पाते, वहां के लोगों के लिए तो रेडियो का समाचार किसी आप्त वाक्य से कम नहीं होता। दैवी विपत्तियों के समय लोग कई बार आशा टिकाये रेडियो सुनते रहते हैं। दंगों के समय वे प्राय: रेडियो को ही विश्वसनीयता का आधार मानते हैं। कोई भी श्रोता कानों के माध्यम से जब कोई खबर सुनता है, तो उसके मन पर उसका भावात्मक प्रभाव पड़ता है।

भारतीय संविधान के 38 वें अनुच्छेद में कहा गया है, "सूचना देने का दायित्व राष्ट्र पर है।" परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राष्ट्र अपने प्रसारण माध्यमों से लोगों को केवल अनेक प्रकार के आंकड़े ही देता रहे। आंकड़े प्राय: उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दिये जाते हैं। रेडियो को भरसक निष्पक्षतापूर्वक जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि यही उसकी विश्वसनीयता का प्रमुख आधार है। चुनाव के बारे में रेडियो के समाचारों पर भला कौन विश्वास नहीं करता? रेडियो प्रसारण श्रोताओं के लिए है, इसलिए जिन बातों में श्रोताओं की दिलचस्पी ज्यादा होती है, उनका प्रसारण करना भी रेडियो का परम दायित्व है। प्रसारण में लोकरुचि का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। प्रसारण के जिन कार्यक्रमों को अधिकतर श्रोता ठीक नहीं समझते हैं, उन्हें श्रोताओं पर थोपा नहीं जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, आम लोग प्राय: गंभीर शास्त्रीय संगीत सुनना कम पसन्द करते हैं। इसका प्रमाण एक

घटना से देना पर्याप्त होगा। 1950 के बाद डा० बी० वी० केसकर के कार्यकाल में शास्त्रीय संगीत और अन्य आदर्श संगीत कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जाने लगा था। परिणाम यह हुआ कि लोग 'आल इंडिया रेडियो' को बन्द करके 'रेडियो सिलोन' सुनने लगे। फिर क्या था, लोकमत को देखते हुए सरकार को बाध्य होकर हल्के-फुल्के फिल्मी संगीतों से भरी 'विविध भारती' सेवा का कार्यक्रम शुरू करना पड़ा। इस समय विविध भारती कार्यक्रम का 70 प्रतिशत समय फिल्मी संगीत को दिया जाता है।

अभी पिछले वर्ष जब नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, तो पूरे देश में खेलों के प्रति लोगों में बहुत उत्साह बढ़ चला था। इसे देखते हुए प्रतिदिन लगभग 150 घंटे का प्रसारण किया गया, ताकि लोगों की खेल संबंधी दिलचस्पी और जिज्ञासा को पूरा किया जा सके। इसी प्रकार देश में जब कोई राष्ट्रीय महत्व के बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो प्राय: उनका आंखों देखा हाल देश के कोने-कोने में पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जैसे हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण और गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी का आंखों देखा हाल तथा गणतंत्र दिवस की पूर्व-संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का प्रसारण आदि किया जाता है। आकाशवाणी के प्रसारणों में प्राय: तत्परता, सत्यता और निष्पक्षता बनाये रखने के लिए प्रयास किया जाता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं और बोलियां तथा हर क्षेत्र की सांस्कृतिक परम्पराएं प्राय: भिन्न-भिन्न हैं। लोगों को दूसरी भाषा के प्रसारण में प्राय: उतनी दिलचस्पी नहीं होती, जितनी कि अपनी मातृ-भाषा के प्रसारणों में। आकाशवाणी का भरसक यह प्रयास रहा है कि श्रोताओं को उनकी ही भाषा में प्रसारण सुनने को मिलें। आकाशवाणी की 'स्वदेशी सेवा' में देश की 21 प्रमुख भाषाओं के अतिरिक्त 246 जनजातीय तथा अन्य बोलियों में प्रसारण किया जाता है।

आकाशवाणी ने साम्प्रदायिक-सद्भाव, अस्पृश्यता-निवारण, परिवार-कल्याण कार्यक्रमों तथा संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जनवरी-अक्तूबर 1982 के दौरान आकाशवाणी के केन्द्रों से 14,349 कार्यक्रम संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे द प्रसारित किये गये। विभिन्न

विकास योजनाओं के बारे में ग्रामीण तथा शहरी क्षत्रों के लोगों को भेंट-वार्ता, नाटक, रूपक तथा कहानियों के माध्यम से जानकारी दी गई। विभिन्न विकास कार्यक्रमों से होने वाले लाभों के बारे में सफलता की कहानियां तथा भेंट-वार्ताएं आदि प्रसारित की गईं।

कृषि तथा ग्रामीण कार्यक्रमों के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए आकाशवाणी लगातार प्रयास कर रहा है। किसानों को अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों, उर्वरकों, खेती के नये-नये उपकरणों और उनकी तकनीकों, मौसम आदि के बारे में समय-समय पर जानकारी दी जाती है, जिससे किसान लाभान्वित हो सकें। जनजातीय क्षेत्रों के किसानों तथा अन्य लोगों के लिए भी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इस समय देश के 51 आकाशवाणी केन्द्रों में कृषि तथा गृह (फार्म एण्ड होम) प्रसारण की यूनिटें नियमित प्रसारण करती हैं। अभी हाल में उद्यमियों को छोटे-छोटे उद्योग-धंधे शुरू करने और आमदनी बढ़ाकर अपना जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिए भी प्रसारण कार्यक्रम शुरू किये गये हैं।

हमारे देश में, जहां अधिकतर लोग अशिक्षित हैं तथा क्रय-शक्ति बहुत कम है, कृषि तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन संचार के मामले में रेडियो प्रसारण मनोरंजन तथा शिक्षा का बहुत अच्छा माध्यम है। हमारे देश में स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए प्रसारण कार्य किया जाता है। इसके लिए स्थानीय लोगों को रेडियो कार्यक्रमों में सहयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। प्रसारकों तथा श्रोताओं के बीच दो-तरफा आदान-प्रदान होना चाहिए। इसके लिए प्रसारण कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। यदि हम शिक्षा प्रसारण को ही लें तो देखेंगे कि आजकल रेडियो पर जो 'स्कूल ब्राडकास्ट' किये जाते हैं, उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विशेष उपयोगिता नहीं रहती। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर बहुत कम है। साक्षरता दर 1951 में 16.7 प्रतिशत थी, जबकि 1981 में यह 36.2 प्रतिशत रही। ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो बच्चे स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते और यदि पढ़ने जाते भी हैं, तो उनमें से अधिकतर पाठ्यक्रमों के बोझ से दबकर या अन्य कारणों से बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। रेडियो पर जो 'स्कूल ब्राडकास्ट, होते हैं, उनका अपेक्षित लाभ उन्हें इसलिए भी नहीं मिल पाता, क्योंकि

उनका प्रसारण-समय उनके लिए उपयुक्त नहीं रहता। जिस समय ये प्रसारण होते हैं, उस समय ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी अपने घरेलू कार्यों में अथवा अपने परिवार को किसी काम में सहायता देने में लगे रहते हैं। इसलिए प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल की कक्षाओं के लिए 'पाठ' उन बच्चों के समय और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किये जाने चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए परीक्षा की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए और रेडियो के पाठों द्वारा उन्हें पूरक शिक्षा दी जानी चाहिए। पुन: ये पाठ वहां की क्षेत्रीय भाषाओं, अथवा स्थानीय भाषाओं में होने चाहिएं। इस सम्बन्ध में वहां की भौगोलिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब विकेन्द्रित प्रसारण व्यवस्था लागू हो और स्थानीय केन्द्रों से प्रसारण किये जायें।

भारत भाषा की दृष्टि से तथा सामाजिक दृष्टि से इतनी विविधताओं से भरा देश है कि यहां विकेन्द्रित प्रणाली के अतिरिक्त अन्य जन-संचार-प्रणाली अधिक सफल नहीं हो सकती। इस दृष्टि से भारत की तुलना सोवियत संघ से की जा सकती है, जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परन्तु वहां अन्य देशों के सभी नागरिकों के लिए रूसी भाषा पढ़ना अनिवार्य है, परन्तु हमारे देश में हिन्दी या अंग्रेजी पढ़ना इस रूप में अनिवार्य नहीं है।

विकास सम्बन्धी कोई भी कार्यक्रम स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए तैयार करना चाहिए तथा इसके लिए विकेन्द्रित प्रसारण व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो सैट उपलब्ध कराने से लोग प्रसारण का अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठा सकते हैं।

बाढ़ या तूफान के बारे में चेतावनियां प्रसारित की जाती हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों के लाभ के लिए अनेक प्रसारण किये जाते हैं। ग्रामीण बैंकों से किसानों और खेतिहर मजदूरों को मिलने वाले ऋण और अन्य सुविधाओं के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास और प्रगति के बारे में सूचना प्रदान की जाती है। आकाशवाणी अनेक प्रकार के अन्धविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने में भी काफी सहायक सिद्ध हुआ है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, यह ध्यान में रखते हुए उनके अन्धविश्वासों को दूर करने का प्रयास

किया जाता है। अभी दो-तीन वर्ष पहले पूर्ण सूर्यग्रहण के बारे में आकाशवाणी ने अनेक वार्ताओं और कार्यक्रमों का प्रसारण किया।

## मनोरंजन

आकाशवाणी का एक प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन है। लोगों की मनोरंजन की दिलचस्पी को देखते हुए 3 अक्तूबर 1957 से विविध भारती की सेवा शुरू की गई है। मद्रास और बम्बई में अत्युच्च क्षमता के ट्रांसमीटर लगाये गये हैं और इनसे फिल्मी गीत, संगीत, भक्ति-संगीत, सुगम-संगीत तथा कई अन्य उच्चरित शब्द कार्यक्रम जैसे—लघु नाटक, संक्षिप्त वार्ताएं तथा भेंट-वार्ताएं आदि प्रसारित किये जाते हैं। इसके साथ ही देश में इस समय 29 प्रसारण केन्द्रों से व्यापारिक सेवा शुरू की गई है। व्यापारिक प्रसारण केन्द्रों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कार्यक्रमों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। राष्ट्रीय चैनलों पर भी पहली अप्रैल 1982 से व्यापारिक विज्ञापन सेवाएं शुरू की गई हैं, ताकि विज्ञापन सन्देश अधिकाधिक लोगों तक पहुंचें। इन व्यापारिक सेवाओं से विज्ञापनदाताओं की काफी हद तक सेवा करने में सफलता मिली है। विविध भारती सेवा से पूर्व विज्ञापनदाताओं का काफी धन रेडियो सिलोन को चला जाता था। विविध भारती के अलावा शास्त्रीय-संगीत, वाद्य-वृन्द, लोक-संगीत और सुगम-संगीत के कार्यक्रम भी श्रोताओं और संगीत-प्रेमियों के लिए बहुत रुचिकर सिद्ध हुए हैं। जुलाई 1952 में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें पुराने मशहूर कलाकारों के रिकार्डों पर आधारित 'प्रोग्राम' प्रस्तुत किये जाते हैं। मंगलवार और शुक्रवार को प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष संगीत प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष रेडियो संगीत सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं।

## शिक्षा तथा जानकारी

युवा वर्ग को राष्ट्रीय विकास के प्रयासों में सम्मिलित करने के लिए और देश में सुयोग्य नागरिकों का विकास करने के लिए आकाशवाणी से युवा कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। युववाणी कार्यक्रम युवाओं की सेवा है, जिसका

संचालन युवा स्वयं युवाओं के लिए करते हैं। इस कार्यक्रम में युवाओं को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनमें देश की विकास प्रक्रिया में सहभागी बनने की भावना विकसित हो। इस समय आकाशवाणी के 75 केन्द्रों से प्रधान चैनलों पर युवा कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

बालकों को बचपन से ही अपनी प्रतिभा विकसित करने के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रमों में बाल-कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। बाल-कार्यक्रम प्रायः सभी केन्द्रों से वहां की क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे भाग लेते हैं।

आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से सप्ताह में एक या दो बार 20 से 30 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। कई केन्द्रों से ग्रामीण महिलाओं और श्रमजीवी महिलाओं के लिए अलग-अलग कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और स्वयंसेवी महिला संगठनों द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में श्रोता-क्लबों को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

परिवार-कल्याण सम्बन्धी अभियानों को लोकप्रिय बनाने के लिए आकाशवाणी के केन्द्र पर्याप्त सहायता करते हैं। बच्चों के जन्म पर नियंत्रण, छोटा परिवार रखने, पोषाहार तथा मातृ-शिशु-स्वास्थ्य आदि के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लोगों को योजना कार्यक्रमों के बारे में तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया जाता है। देश के वैज्ञानिक समुदाय से सम्पर्क बनाये रखने के लिए आकाशवाणी के कई केन्द्रों में वैज्ञानिक प्रकोष्ठ (सैल) खोले गये हैं। समय-समय पर होने वाली वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी हासिल कराने में ये 'सैल' उपयोगी भूमिका निभाते हैं।

भारत में प्रसारण कार्यक्रमों के प्रारम्भिक काल से ही 'स्कूल ब्राडकास्ट' कार्यक्रम पर जोर दिया जाता रहा है। विभिन्न राज्यों के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। देश के 29

प्रसारण केन्द्रों से हिन्दी के और 30 केन्द्रों से संस्कृत के पाठ प्रसारित किये जाते हैं।

सैनिकों के लिए प्रतिदिन 'जयमाला' कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के कई केन्द्रों से सैनिकों के पुनर्वास, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा शुरू किये गये कई कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी जाती है।

देश के विभिन्न प्रतिष्ठानों, कारखानों और उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आकाशवाणी के 27 केन्द्रों से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। 1982 को 'उत्पादकता वर्ष' के रूप में मनाया गया। इस दौरान उत्पादन से संबंधित कई विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। क्षेत्रीय भाषाओं में हर सप्ताह में दो से लेकर चार दिन, 20 से 25 मिनट की अवधि के कार्यक्रमों का प्रसारण होता है।

आकाशवाणी का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना भी है। इसके लिए सरकार तथा जनता के बीच सम्पर्क का प्रमुख माध्यम आकाशवाणी है। आकाशवाणी से समाचार बुलेटिनों के अलावा 'सामयिकी', 'करेंट अफेयर्स', 'संसद-समीक्षा', 'टुडे इन पार्लियामेंट', 'न्यूज रील', 'स्पाट लाइट', 'तब्सरा', 'समाचार दर्शन' आदि कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी विभिन्न वर्गों के श्रोताओं से अपना सम्पर्क बनाये रखता है। आकाशवाणी से 'साहित्यिकी' तथा 'लोक-रुचि' कार्यक्रम भी प्रसारित किये जाते हैं।

आकाशवाणी के लगभग 6 दशकों के इतिहास में श्री लायनेल फिलडन से लेकर अब तक अनेक नीति-नियामक अधिकारी इस संगठन से सम्बद्ध रहे, परन्तु आकाशवाणी के उद्देश्य और प्रयोजन लगभग एक-से बने रहे—मनोरंजन, सूचना और शिक्षा, कलात्मक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियों और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना तथा सरकार की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रस्तुत करना।

तृतीय-स्वर

# प्रसारण की विविध भंगिमाएं

विश्व के किसी भी प्रसारण संगठन में 50 प्रतिशत से अधिक समय संगीत कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है। आकाशवाणी के संबंध में भी यही बात लागू होती है। वास्तव में प्रसारण का प्रमुख उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है, अतः इसके लिए लोगों को ऐसी बातें लगातार नहीं सुनाई जा सकती, जिन्हें वे पसन्द नहीं करते। यों तो रेडियो प्रसारण कार्यक्रमों में लोगों को जानकारी देने तथा शिक्षित करने की दृष्टि से समाचार और वार्ताओं का अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, तथापि यदि लोकप्रियता की दृष्टि से देखा जाये तो मनोरंजन कार्यक्रमों, विशेषकर संगीत का स्थान सर्वोपरि है। संगीत में भी अधिकतर लोग हल्के-फुल्के संगीत कार्यक्रमों को सुनना अधिक पसन्द करते हैं। अतः इस अध्याय में सर्वप्रथम संगीत तथा अन्य कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की जा रही है। तत्पश्चात् समाचार के बारे में विचार किया जायेगा।

## संगीत

भारत में संगीत की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इस गौरवमयी परम्परा में शास्त्रीय संगीत का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। 'आल इण्डिया रेडियो' के प्रथम कंट्रोलर श्री फील्डन ने प्रसारण के बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखा है, "विभिन्न घरानों द्वारा शास्त्रीय संगीत के नियमों की व्याख्या अब इतनी पूर्णता पर पहुंच चुकी है कि उससे थोड़ा भी इधर-उधर जाना लोगों को असह्य हो जाता है।" श्री फिल्डन ने यह भी महसूस किया कि यदि शास्त्रीय संगीत और सुगम-संगीत नवोदित कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किये जायें, तो भारतीय संगीत का स्वरूप ऐसा हो सकता है कि उसे आम लोग भी सुन और समझ सकेंगे। देश के स्वतंत्र होने

से पूर्व संगीत कार्यक्रम प्राय: तवायफों और मिराशियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, बहुत से लोग यह नहीं चाहते थे कि इतनी उत्कृष्ट कला ऐसे लोगों द्वारा प्रस्तुत की जाये जिनका निजी जीवन अच्छा न हो। देश के स्वतंत्र हो : के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने जब सूचना मंत्री का पद संभाला तो एक निर्देश जारी किया गया कि जिनके निजी जीवन के बारे में सार्वजनिक रूप से अफवाहें जुड़ी हों उन्हें प्रसारण की अनुमति न दी जाये। इस आदेश का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि नाचने-गाने वाली लड़कियां, जिन्हें प्राय: 'बाईजी' कहा जाता था, रेडियो पर कार्यक्रम देने से रोक दी गई और उनके स्थान पर नये-नये कलाकार आने लगे। 1952 में डा० केसकर ने जब सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पदभार संभाला तो संगीत कार्यक्रमों की एक निश्चित रूपरेखा तय की गई। नये कलाकारों की कला की परख करने के लिये स्वर-परीक्षा की प्रणाली शुरू की गई। शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए सक्रिय प्रयास किय जा : लगा।

1952-53 में शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तरी भारत के रेडियो प्रसारण केन्द्रों से कर्नाटक संगीत और दक्षिणी भारत के केन्द्रों से हिन्दुस्तानी संगीत के सम्प्रेषण शुरू किये गये। दिल्ली से संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हर शनिवार को 21.30 से 23.00 तक शास्त्रीय संगीत का प्रसारण किया जाता था और इसे अन्य केन्द्र रिले करते थे। शास्त्रीय संगीत के अत्यधिक प्रसारण के कारण श्रोताओं को इससे अरुचि होने लगी और रेडियो सिलोन के कार्यक्रम श्रोताओं में दिनों-दिन अधिक लोकप्रिय होने लगे। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का पहला प्रसारण 20 जुलाई 1952 से शुरू हुआ। आज भी श्रोताओं को हिन्दुस्तानी और कर्नाटक शैली में अच्छे-से-अच्छा शास्त्रीय संगीत उपलब्ध कराने के लिये यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इस समय आकाशवाणी के केन्द्रों से लगभग 27,000 हिन्दुस्तानी तथा 3,000 कर्नाटक शैली के कलाकारों के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। रेडियो ने शास्त्रीय संगीत को जन-जन तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इससे पहले देश में शास्त्रीय संगीत कुछ रियासतों, सामन्ती घरानों और समृद्ध वर्ग के केवल कुछ लोगों तक ही सीमित था। इस कार्यक्रम में पुराने संगीताचार्यों तथा उस्तादों के रिकार्डों पर आधारित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये जाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली से देश के विभिन्न भागों के लोक संगीत और

सुगम-संगीत कार्यक्रम का हर महीने 60 मिनट का प्रसारण किया जाता है। 1980 में 47,407 घंटे शास्त्रीय संगीत का प्रसारण हुआ जो कुल कार्यक्रमों का 12 प्रतिशत है।

आकाशवाणी की प्रसारण सेवा ने कर्नाटक संगीत को भी लोगों तक पहुंचाने में उल्लेखनीय योगदान किया है। कर्नाटक संगीत उत्तरी भारत के संगीत की अपेक्षा अधिक व्यापक और प्रतिष्ठित परम्परा वाला है। आकाशवाणी से प्रसारण के पूर्व भी यह दक्षिणी भारत में काफी लोकप्रिय था।

नवयुवकों और प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली से हर मंगलवार को और मद्रास से हर शुक्रवार को शास्त्रीय-संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। मंगलवारीय संगीत सभा हिन्दुस्तानी संगीत, शुक्रवारीय संगीत सभा कर्नाटक शैली के कार्यक्रमों का प्रसारण करती हैं। ये सभाएं 1974 में शुरू की गयीं।

## स्वर परीक्षा

हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक शैली क संगीत के कार्यक्रमों के लिए कलाकारों को चुनने हेतु दो स्वर-परीक्षा परिषदें (आडिसन बोर्ड) बनाई गईं। इसमें प्राय: संगीत के किसी प्रतिष्ठित विद्वान् की अध्यक्षता में बोर्ड कायम किया जाता है और स्टाफ का भी कोई व्यक्ति इसमें सदस्य होता है। दिल्ली के अतिरिक्त आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों में भी स्थानीय संगीत स्वर-परीक्षा के बोर्ड बनाये गये।

## वाद्य-वृन्द तथा समूह-गान

हमारे देश में वाद्य-वृन्द की स्थापना अक्तूबर 1952 में हुई। वाद्य-वृन्द कार्यक्रम पंडित रविशंकर और टी०के० जयराम अय्यर के निर्देशन में शुरू किया गया। वाद्य-वृन्द का एक एकक दिल्ली में और दूसरा मद्रास में है। इस समय आकाशवाणी में 20 हज़ार से अधिक कलाकार हैं। इन वाद्य-वृन्द एककों का उद्देश्य भारतीय रागों और अन्य सामूहिक गायनों के आधार पर 'आर्केस्ट्रा' तैयार करना और विभिन्न प्रकार के वाद्यों का संतुलित रूप प्रस्तुत करना है। संगीत की नई-नई धुनें निकालने और वाद्य-वृन्द के संतुलन

के लिए आकाशवाणी के अतिरिक्त बाहर के मशहूर संगीतकारों को भी इसमें शामिल किया जाता है। दिल्ली के वाद्य-वृन्द एकक में हिन्दुस्तानी और मद्रास में कर्नाटक शैली में वाद्य-वृन्द की प्रतियोगिताएं होती हैं।

इस समय आकाशवाणी में 13 सामूहिक दल कार्य कर रहे हैं। आकाशवाणी के 6 अन्य केन्द्रों—बंगलौर, कोहिमा, नागपुर, जयपुर, जालन्धर और श्रीनगर में भी समूह-गान की योजना का विस्तार किया गया है। ये दल विभिन्न भाषाओं और बोलियों में देश-भक्ति और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर आधारित सामूहिक-गानों को लोकप्रिय बनाने में सहायक होते हैं। इन समूह-गान दलों द्वारा तैयार कार्यक्रमों को आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों को भेज दिया जाता है।

## लोक-संगीत

विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां का लोक-संगीत हमारे देश जैसा समृद्ध हो। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कुल समय का लगभग 3.4 प्रतिशत भाग लोक-संगीत के कार्यक्रमों को दिया जाता है। 1980 में 15,399 घंटे लोक-संगीत का प्रसारण हुआ। हमारे लोक-संगीत की समृद्ध परम्परा के विविध रूपों की लोगों को जानकारी देने के लिये राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर सुगम और लोक-संगीत के मासिक कार्यक्रम भी प्रसारित किये जाते हैं।

## सुगम-संगीत

8 जून 1953 को बम्बई में आकाशवाणी के प्रथम सुगम-संगीत 'यूनिट' की स्थापना की गई। इसके बाद पांचवीं योजना के दौरान सुगम-संगीत की कई यूनिटें खोली गईं। अनेक केन्द्रों में सुगम-संगीत तैयार करने के लिए एकक स्थापित किये गये। इस योजना को दिनों-दिन और व्यापक बनाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत संगीत कार्यक्रम तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए पेशेवर कलाकारों [प्रोफेशनल आर्टिस्ट] को कार्यभार सौंपा जाता है। इसका उद्देश्य फिल्मी संगीत पर आकाशवाणी की निर्भरता को कम करने में सहयोग देना है। इस समय यह योजना 17 केन्द्रों में चलाई जा

रही है। शास्त्रीय संगीत की तुलना में सुगम संगीत अब अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। 1980 में 32465 घंटे सुगम संगीत का प्रसारण हुआ जो कुल प्रसारण कार्यक्रमों के समय का 8.29 प्रतिशत है।

## संगीत-प्रतियोगिता

हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत में नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ऐसी पहली प्रतियोगिता अप्रैल 1974 में हुई थी। इस प्रतियोगिता में 16 से 24 वर्ष तक की आयु के कलाकार भाग ले सकते हैं। आकाशवाणी की वार्षिक संगीत प्रतियोगिताओं में प्रति वर्ष 2000 से अधिक युवा कलाकार भाग लेते हैं। इसमें उत्कृष्ट कलाकारों को पुरस्कृत भी किया जाता है। पिछले वर्ष वाद्य-प्रतियोगिताओं में हारमोनियम को भी शामिल किया गया। श्री लायनेल फिल्डन के कार्यकाल के दौरान श्री जॉन फील्डस नामक संगीतकार जब दिल्ली स्टेशन पर पश्चिमी संगीत के प्रधान नियुक्त किये गये थे, तो उन दिनों हारमोनियम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

## संगीत-पाठ

आकाशवाणी संगीत की शिक्षा देने के लिए संगीत-पाठों का प्रसारण करता है। आकाशवाणी के स्टूडियों में उस्ताद कुछ शागिर्दों को संगीत के पाठ पढ़ाते हैं और इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में संगीत की श्रोताओं को राग, ताल, तथा संगीत के उपकरणों आदि के बारे में जानकारी दी जाती है।

## पश्चिमी संगीत

आकाशवाणी के चार प्रमुख केन्द्रों से पश्चिमी संगीत प्रसारित किया जाता है। इसमें से अधिकतर संगीत टेप-रिकार्ड किया हुआ या ग्रामोफोन के डिस्को पर तैयार किया होता है। हमारे देश में पश्चिमी संगीत के प्रेमियों की संख्या बहुत कम है, तथापि इस वर्ग को भी अपनी दिलचस्पी का कार्यक्रम सुनने के लिए आकाशवाणी यह सुविधा उपलब्ध कराता है। 1980 में कुल कार्यक्रमों का लगभग 4.34 प्रतिशत अर्थात् कुल 16981 घंटे पश्चिमी संगीत कार्यक्रम प्रसारित किये गये। श्री फील्डन के समय में भी पश्चिमी संगीत

कार्यक्रमों के बारे में प्राय: यह विचार किया जाता था कि इस विशाल देश में जहा पश्चिमी संगीत के श्रोताओं की संख्या बहुत कम है, कार्यक्रम प्रसारित किये जायें या नहीं। परन्तु कार्यक्रम तैयार करने वालों का यह विचार भी है कि पश्चिमी संगीतकारों ने ऐसी अनेक रचनाएं प्रस्तुत की हैं जो सम्पूर्ण मानव जाति की धरोहर हैं, अत: अधिक-से-अधिक श्रोताओं को उनका लाभ मिलना ही चाहिए।

## आधुनिक-संगीत

आकाशवाणी के श्रोताओं की दृष्टि से आधुनिक संगीत का प्रमुख तात्पर्य सुगम-संगीत अथवा शास्त्रीय संगीत के अलावा अन्य कार्यक्रमों से है। शास्त्रीय संगीत में भी कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, जो अपेक्षाकृत सुगम रूप से प्रस्तुत किये जाते हैं। जैसे—उत्तरी भारत में ठुमरी, दादरा और टप्पा तथा दक्षिणी भारत में ज्वाली तथा पादम।

## भक्ति-संगीत

आकाशवाणी प्रसारण की प्रात:कालीन सभा 6 बजे शुरू होने पर 'वंदे मातरम्' के साथ मंगल-ध्वनि प्रस्तुत की जाती है और उसके तुरंत बाद 30-40 मिनट का भक्ति-संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। उत्तरी भारत में आकाशवाणी के केन्द्रों से प्राय: मानसगान-पाठ प्रसारित किया जाता है, जो प्रसिद्ध सन्त कवि गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस पर आधारित होता है। भक्ति संगीत कार्यक्रम के अन्तर्गत वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के धर्म-ग्रन्थों के अंशों को समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रात: काल लगभग एक घंटे का समय भक्ति संगीत कार्यक्रमों को दिया जाता है।

सन्ध्याकालीन सभा में भी भक्ति-संगीतों से मिला-जुला कार्यक्रम 'सांध्य गीत' (आधे घंटे का) कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है।

## विविध भारती

1930 के बाद के वर्षों में चलचित्रों के प्रचार के फलस्वरूप अनेक प्रकार के कार्यक्रम लोकप्रिय हुए। ये कार्यक्रम प्राय: दिलचस्प और लुभावने होते थे। फिल्मी संगीत को भी इसी वर्ग में मान लिया गया।

डा० केसकर के कार्यकाल में फिल्मी-संगीत को घटिया और फूहड़ बताकर लगभग प्रतिबंध-सा लगा दिया गया था। उस समय इस बात की कोशिश की गई कि फिल्मी-संगीत के स्थान पर अच्छे किस्म का हल्का-फुल्का मनोरंजन और संगीत श्रोताओं को उपलब्ध कराया जाये, जो नैतिक और साहित्यिक दृष्टि से भी अच्छी किस्म का हो। लोग पौराणिक आख्यानों पर आधारित देवी-देवताओं की कहानियों और संगीत से ऊबने लगे थे। वे चाहते थे कि वास्तविक जीवन के आसपास का जीवन्त और दिल को छू देने वाला संगीत उन्हें सुनने को मिले। फिल्म-निर्माता दर्शकों और श्रोताओं की इच्छा के अनुरूप कथानकों में ऐसे शास्त्रीय, लोक-संगीत तथा सुगम-संगीत का समावेश करते थे। श्रोताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग गंभीर संगीत सुनना नहीं चाहता था। परिणामस्वरूप लोग 'रेडियो सिलोन' (जो उन्ही दिनों शुरू हुआ था) सुनने लगे।

आकाशवाणी के अधिकांश श्रोता जब शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम शुरू होता था, रेडियो बंद करके रेडियो सिलोन के कार्यक्रम सुनने लगे थे। अन्तत: आकाशवाणी के अधिकारियों को बाध्य होकर विविध भारती की सेवा शुरू करनी पड़ी। श्रोताओं को हल्का-फुल्का मनोरंजन और संगीत उपलब्ध कराने के लिए यह लोकप्रिय सेवा 3 अक्तूबर 1957 को शुरू की गई। विविध-भारती कार्यक्रम का 70 प्रतिशत समय फिल्मी संगीत को दिया जाता है और शेष समय भक्ति-संगीत, सुगम-संगीत और उच्चरित शब्द कार्यक्रमों—लघु नाटकों, संक्षिप्त-वार्ताओं तथा भेंट-वार्ताओं आदि को दिया जाता है। इस समय प्रतिदिन (रविवार छोड़कर) 12 घंटे 50 मिनट के कार्यक्रम विविध भारती पर प्रसारित किये जाते हैं। रविवार को ये प्रसारण 13 घंटे 50 मिनट तक होता है। विविध भारती के प्रसारण के लिए बम्बई और मद्रास में दो अत्युच्च क्षमता (100 कि. वा) के ट्रांसमीटर लगाये गये हैं। केन्द्र उन क्षेत्रों में भी दूसरे स्तर की सेवा उपलब्ध कराते हैं, जहां स्थानीय ट्रांसमीटरों से पूरी सेवा नहीं हो पाती।

## व्यापारिक-सेवा

सरकार ने चन्दा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए पहली नवम्बर 1967 से व्यापारिक प्रसारण सेवा

शुरू की । इस समय 29 व्यापारिक केन्द्रों से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं । व्यापारिक प्रसारणों से 1982-83 में 15.51 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ । व्यापारिक सेवा केन्द्रों को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने कार्यक्रमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं । अधिक-से-अधिक लोगों तक विज्ञापन संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य से आकाशवाणी के केन्द्रों से प्रधान चैनलों पर भी पहली अप्रैल 1982 से विज्ञापन देने की एक 'स्कीम' शुरू की गई है ।

आकाशवाणी अपना व्यापारिक कारोबार विज्ञापन एजेंसियों के जरिए करता है । एजेंसियों का पंजीकरण करने के लिए आवश्यक है कि उनका कारोबार 50 हजार रुपये से अधिक हो । 1982 में 400 पंजीकृत एजेंसियां थीं । आकाशवाणी को इन विज्ञापनों से काफी आमदनी होती है, परन्तु उसका दायित्व देश और समाज के प्रति भी है, इसलिए वह केवल धन-अर्जित करने को ही अपना उद्देश्य नहीं मानता है । आकाशवाणी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ परिष्कृत रुचि का विकास करना है और विज्ञापन संदेशों को अपने श्रोताओं तक उचित रूप से पहुंचाना है ।

## प्रायोजित-कार्यक्रम

आकाशवाणी के व्यापारिक केन्द्रों (कमर्शियल स्टेशनों) से प्रायोजित कार्यक्रम 3 मई 1970 में शुरू किये गये । इनमें संगीत, खेलकूद, कूट-प्रश्न, वृत्त और 'स्किट' आदि शामिल रहते हैं । प्रायोजित कार्यक्रमों के साथ-साथ 'स्पाट' भी प्रसारित किये जाते हैं । ये स्पाट 7 सेकण्ड, 15 सेकण्ड, 30 सेकण्ड और 60 सेकिण्ड के होते हैं । अधिकतर स्पाट 15 सेकण्ड के होते हैं । 7 सेकिण्ड वाले स्पाट को प्राय: ड्यूटी पर नियुक्त उद्घोषक बोलता है और इसे प्राय: 'टाइम-चेक' (समयरोध) कहा जाता है ।

अगस्त 1980 में केन्द्र निदेशकों के सम्मेलन में ये सिफारिश की गई थी कि प्राइमरी चैनलों पर भी कुछ विज्ञापन दिये जा सकते हैं । इस सिफारिश के आधार पर अब प्राइमरी चैनलों पर भी विज्ञापन सेवा शुरू कर दी गई है ।

## उच्चरित-शब्द कार्यक्रम

प्रसारण संगठनों द्वारा प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में संगीत के बाद उच्चरित-शब्द कार्यक्रमों का स्थान है। प्राचीन काल में सूचना और जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उच्चरित शब्दों के माध्यम से पहुंचती थी। गुरु अपने ज्ञान की जानकारी अपने शिष्यों को बोलकर ही देता था। इसी प्रकार परिवार में माता-पिता तथा अन्य लोगों से बच्चों को जानकारी प्राप्त होती थी। बाद में मध्य युग में मुद्रण का विकास होने के बाद मुद्रित शब्द जन-संचार के प्रमुख माध्यम बने। इलेक्ट्रोनिक मीडिया का विकास होने पर रेडियो ने उच्चरित-शब्दों के प्रमुख स्रोत का स्थान ग्रहण किया। आजकल रेडियो प्रसारण के माध्यम से लाखों लोगों तक शब्द पहुंच रहे हैं। पुस्तकों में अल्प-विराम, अर्ध-विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिह्न, भाववाचक चिह्न, टेढ़े-अक्षर, छोटे टाइप और बड़े-टाइप के अक्षर, और अनुच्छद बनाना आदि अनेक बातें शामिल हैं। परन्तु रेडियो प्रसारण में इन सारी बातों की जरूरतें केवल शब्दों के उतार-चढ़ाव और बोलने के ढंग में सिमट गई हैं। वक्ता के शब्द कानों के माध्यम से श्रोताओं के मन-मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। हां, यह अवश्य है कि प्रसारण की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। डा० नारायण मेनन ने 'रेडियो' [टाईम्स आफ इण्डिया अगस्त 1950] में एक लेख में लिखा है, "इस भाषा में शब्दों की ध्वनि ही मुख्य बात होनी चाहिए, आकार नहीं। ध्वनि अनुरोध कर सकती है, निंदा कर सकती है, सन्देह पैदा कर सकती है, हिचकिचाहट पैदा कर सकती है, अनुमोदन कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, यह भाषण में गीत और जीवन ला सकती है और अनुप्रास तथा शब्द-ध्वनि का पूरी तरह उपयोग कर सकती है।"

उच्चरित शब्द कार्यक्रमों में वार्ता, परिचर्चा, नाटक, रूपक, विशेष श्रोताओं के लिए कार्यक्रम, समाचार तथा सामयिक प्रसारण, विदेश प्रसारण और राष्ट्रीय कार्यक्रम शामिलहैं।

## वार्ता तथा परिचच

आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रतिवर्ष वार्ताएं तथा परिचर्चाएं प्रसारित की जाती हैं। वार्ताओं तथा परिचर्चाओं का अखिल भारतीय कार्यक्रम 29

अप्रैल 1953 से शुरू हुआ। रेडियो वार्ता तथा परिचर्चा के मुख्य विषयों का निर्धारण तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वार्ता का समय प्राय: 10 या 15 मिनट रखा जाता है। इस संबंध में आकाशवाणी प्राय: रचनात्मक भूमिका निभाता है और उच्च व्यावसायिक स्तर का परिचय देता है। परिचर्चा के लिए प्राय: ऐसे विषयों को चुना जाता है जिन पर कई पहलुओं से विचार किया जाता है। ये विषय राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के कोई विषय हो सकते हैं। इन वार्ताओं तथा परिचर्चाओं का आयोजन करते समय आकाशवाणी को सेंसर की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। उसे हस्तक्षेप केवल तभी करना चाहिए जब कोई आपत्तिजनक या साम्प्रदायिक बात हो या राजनैतिक-सामाजिक दृष्टि से अनुचित हो। परन्तु इस समय वस्तुस्थिति यह है कि आकाशवाणी परिचर्चाओं में भरसक ऐसे वक्ताओं को आमंत्रित करता है, जिनके बारे में यह निश्चित है कि वे कोई सार्वजनिक विवाद नहीं खड़ा करेंगे। आकाशवाणी को वार्ताओं तथा परिचर्चाओं में ऐसे विषयों को भी सम्मिलित करना चाहिए, जिनसे लोगों को विचार करने की प्रेरणा मिले।

बातचीत तो हम सभी कर सकते हैं, परन्तु वार्ता में किसी खास विषय पर कुछ खास चीज बतानी होती है। यह आसान काम नहीं होता। इसके लिए रेडियो-आलेख (स्क्रिप्ट) तैयार करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह निर्धारित समय की अवधि का (5 या 10 मिनट) का हो और उसमें ठोस, संक्षिप्त तथा सही तर्क दिये गये हों। उसे जो कुछ भी कहना है उतने ही समय में ठीक से कहना है। उसे विषय के बारे में स्पष्ट होना चाहिए और बिना किसी घुमाव या लाग-लपेट के अपनी बात स्पष्ट तौर पर कहनी चाहिए। भाषा बोझिल, दुरुह तथा अलंकारपूर्ण नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बहुत अच्छे लेखक तो हो सकते हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वे बहुत अच्छे प्रसारक [ब्राडकास्टर] भी हों।

परिचर्चाएं स्वाभाविक, जीवन्ततापूर्ण तथा जोरदार होनी चाहिएं। इनमें संजीदगी के साथ-साथ सच्चाई होनी चाहिए। ये विषय से हटकर नहीं होनी चाहिए। वार्ता का मुख्य उद्देश्य किसी खास विषय पर दिलचस्प तरीके से जानकारी देना है न कि उसे साहित्यिक मोड़ देना। प्रसारण का उद्देश्य केवल सम्प्रेषित ही नहीं करना है, बल्कि उसे कार्य के लिए प्रेरित भी करना है।

यदि आकाशवाणी से सामयिक और विवादास्पद मामलों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार नहीं किया जा सकता तो वार्ताओं तथा परि-चर्चाओं के कार्यक्रम की कोई विशेष उपयोगिता नहीं रह जाती ।

## नाटक

रेडियो नाटकों का प्रसारण 1928 से ही प्रारम्भ हो गया था । नई दिल्ली केन्द्र से 3 जनवरी 1936 को 'मनतोष' नामक बंगला नाटक का उर्दू रूपान्तर प्रसारित हुआ । इस मूल नाटक के लेखक क्षीरोदचन्द्र चटर्जी थे । नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत पहला रेडियो नाटक 26 जुलाई 1956 को प्रसारित किया गया । शुरू में रेडियो नाटक भी रंग-मंचीय नाटकों जैसे ही होते थे । राजनारायण मेहरा के नाटक 'नल दमयन्ती' को अधिकांश व्यक्ति रेडियो का प्रथम हिन्दी नाटक मानते हैं । इसका प्रथम प्रसारण 13 नवम्बर 1936 को हुआ । कुछ प्रसिद्ध रेडियो नाटक लेखकों के नाम निम्नलिखित हैं :

सआदत हसन मंटो, कृष्ण चन्दर, उपेन्द्र नाथ 'अश्क', उदयशंकर भट्ट, डा० रामकुमार वर्मा, सेठ गोविन्द दास, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर, चिरंजीत, मोहन राकेश, राजा राम शास्त्री और धर्मवीर भारती । प्रसारण कार्यक्रमों में संगीत के बाद नाटक सबसे दिलचस्प कार्यक्रम माना जाता है । आकाशवाणी के कार्यक्रमों का लगभग 3.7 प्रतिशत समय रेडियो नाटकों और रूपकों पर दिया जाता है । 1980 में कुल कार्यक्रमों से रेडियो नाटकों के प्रसारण पर 13,270 घंटे 10 मिनट समय दिया गया । आकाशवाणी के केन्द्रों से हर वर्ष पांच हजार नाटकों का प्रसारण होता है । नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली से हर महीने में एक बार नाटक का प्रसारण होता है उसे प्रादेशिक केन्द्र या तो रिले करते हैं या अपने क्षेत्र की भाषाओं में अनुवाद करके प्रसारित करते हैं । 31 दिसम्बर 1981 तक अखिल भारतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 334 रेडियो नाटकों का प्रसारण किया जा चुका था । रेडियो नाटकों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, परिवार-कल्याण, दहेज-प्रथा का उन्मूलन तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने जैसे सामाजिक उद्देश्यों पर नाटक के माध्यम से प्रकाश डालना है । लेकिन यह सब कुछ करते हुए भी नाटक द्वारा

मनोरंजन मुख्य उद्देश्य है। नवम्बर 1980 से 'अपनी धरती अपना देश' नामक रेडियो नाटक श्रृंखला भी शुरू की गई है।

रेडियो नाटकों के लिए कलाकारों की पहले स्वर-परीक्षा ली जाती है। स्वर परीक्षा आकाशवाणी के निकटतम केन्द्र से आवदेनपत्र लेकर की जाती है। कलाकार की प्रतिभा के आधार पर उसे 'बी', 'बी उच्च' अथवा 'ए' जैसी उच्च श्रेणियों में रखा जाता है। उच्च श्रेणी के कलाकारों को तीन सौ रुपये शुल्क के रूप में मिलता है। 'ए' श्रेणी के कलाकार को 150 रुपये, 'बी हाई' श्रेणी के लिए 100 रुपये से लेकर 125 रुपये तक तथा 'बी' श्रेणी के कलाकारों को 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक दिये जाते हैं। नये कलाकारों को प्राय: 25 रुपये से 40 रुपये तक दिये जाते हैं। रेडियो नाटक लेखन के लिए भी शुल्क निर्धारित किया गया है। 15 मिनट के रेडियो नाटक लेखक को 100 रुपये से 200 रुपये तक, 30 मिनट के रेडियो नाटक लेखक को 250 रुपये से 350 रुपये तथा एक घंटे के रेडियो नाटक लेखक को 400 रुपये से 500 रुपये तक दिये जाते हैं। जिन नाटकों को अखिल भारतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसारित किया जाता है उसके लेखकों को 1000 रुपये तक पारिश्रमिक दिया जाता है। नाटकों के अनुवाद करने वाले लेखकों को भी नाटक की अवधि के अनुसार 150 रुपये से 500 रुपये तक दिये जाते हैं। रेडियो नाटक प्रोड्यूसर की देख-रेख में तैयार किये जाते हैं।

रेडियो नाटकों में पात्र की मनोदशाओं का चित्रण शब्दों के माध्यम से किया जाता है। इन नाटकों में भरसक आम आदमी की समस्याओं का चित्रण करने का प्रयास किया जाता है, जिससे श्रोताओं को प्रेरणा मिले। रेडियो नाटक केवल शहरी क्षेत्रों में ही नहीं सुने जाते हैं, इसलिए रेडियो नाटक प्रोड्यूसर का यह दायित्व होता है कि वह अधिकतर ऐसे नाटकों को प्रस्तुत करें, जिनमें गली-कूचों में रहने वाले लोगों के अन्तर्द्वन्द्वों को बाह्य रूप देने की कोशिश की गई है। कुछ प्रमुख रेडियो नाटक निम्नलिखित हैं :

| नाटक | प्रसारण की तिथि | लेखक |
|---|---|---|
| अन्धाजोगी | 12-1-39 | एफ०सी० माथुर |
| मन्दिर | 8-10-39 | एस०सी० सरकार |
| पूरन भगत | 12-6-40 | कृष्ण लाल प्रेम |

| नाटक | प्रसारण की तिथि | लेखक |
|---|---|---|
| सीता स्वीकार | 16-3-40 | आचार्य चतुरसेन शास्त्री |
| मालती माधव | 13-7-46 | जे०एन० श्रीवास्तव |
| गंगावतरण | 1-4-47 | एस०एन० चौबे |
| पहाड़ के देवता | 17-5-47 | राज माथुर |
| सागर मन्थन | 24-5-47 | कृष्ण चन्द्र देव बृहस्पति |
| कलिंग की विजय | 25-5-47 | हरीशचन्द्र खन्ना |
| उद्धव संदेश | 14-6-47 | एस०एन० चौबे |
| नव प्रभात | 16·8-47 | सेठ गोविन्ददास और चन्द्र गुप्त विद्यालंकार |
| विश्वामित्र | 1938 | उदय शंकर भट्ट |
| मुक्तिपथ | 1944 | ,, ,, |
| अन्त:पुर का छिद्र | 1940 | गोविन्द बल्लभ पन्त |
| कलिंग विजय | 1937 | जगदीश चन्द्र माथुर |
| औरंगजेब की आखिरी रात | 8-6-42 | डा० रामकुमार वर्मा |
| अन्धायुग | 1954 | धर्मवीर भारती |
| बिल्वमंगल की आंखें | 31-5-63 | चिरंजीत |
| घर का किवाड़ | 4-10-63 | निर्मला दर |
| हम हिन्दुस्तानी | 29-11-70 | चिरंजीत |
| जहर का कोई रंग नहीं | 29-11-74 | रेवती सरन शर्मा |
| रंगीन रोशनदान | 1-6-79 | के०पी०सक्सेना |
| विद्रूप | 26-2-76 | मुद्राराक्षस |
| यक्षप्रिया | 11-3-75 | कैलाश भारद्वाज |
| एक और अजनबी | 1977 | मृदुला गर्ग |
| एक फूल का पतझड़ | 22-2-77 | कांति देव |
| तीसरा डंक | 16-2-73 | राजेन्द्र कुमार शर्मा |
| काले सूरज की शव यात्रा | 24-7-75 | मुद्राराक्षस |

**रूपक**

लायनेल फील्डन के कार्यकाल के दौरान रूपक को प्राय: अधिक महत्व नहीं दिया गया था, उन दिनों इसे कविता, धार्मिक तथा अन्य विविध कार्य-

क्रमों की सूची के अन्तर्गत रखा गया था। रेडियो रूपकों का प्रमुख उद्देश्य लोगों को मनोरंजन के साथ-साथ जानकारी देना है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम की ही तरह रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम भी श्री जगदीश चन्द्र माथुर के कार्यकाल में 15 अगस्त 1956 से शुरू किया गया। प्रसिद्ध रेडियो ब्राडकास्टर मेलविल डिमेलो को 'लाली एण्ड दी लायन्स आफ गिर' के लिए इतालिया पुरस्कार दिया गया। मेलविल डिमेलो ने प्रोड्यूसर (रूपक) के पद पर रहते हुए कुछ बहुत ही अच्छे रूपक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्राय: देश के सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं और विकास आदि के बारे में कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। पिछले वर्ष सुब्रह्मण्यम भारती के जीवन, भारतीय वायु सेना और नौ सेना के बारे में विशेष रूपक प्रसारित किये गये। इस वर्ष जनवरी से दिसम्बर के बीच मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में 11 प्रसारणों का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रसारणों में यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि 2001 ई० तक भारत में मनुष्य की क्या स्थिति हो सकती है। कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण की प्रारम्भिक तिथियां निम्नलिखित हैं :

| क्रम संख्या | अखिल भारतीय कार्यक्रम | प्रसारण की तिथि |
|---|---|---|
| 1. | संगीत (साप्ताहिक) | 20-7-1952 |
| 2. | वार्ता (Talks) | |
| | (अंग्रेजी) (साप्ताहिक) | 29-4-1953 |
| 3. | वार्ता (हिन्दी) (साप्ताहिक) | अगस्त, 1963 |
| 4. | परिचर्चा (अंग्रेजी) | 29-4-1953 |
| 5. | परिचर्चा (हिन्दी) | अगस्त 1952 |
| 6. | नाटक (मासिक) | 26-7-1956 |
| 7. | रूपक | 16-3-1956 |

## विशेष श्रोता वर्गों के लिए कार्यक्रम

आकाशवाणी के लगभग सभी केन्द्रों से विशेष-श्रोता वर्गों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम 15 मिनट से लेकर 90 मिनट तक के होते हैं। इनका प्रसारण प्राय: केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं, श्रोताओं, उपलब्ध प्रतिभाओं तथा अन्य कई बातों को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में

एक बार या प्रतिदिन किया जाता है । ये कार्यक्रम प्राय: श्रोताओं के एक विशेष वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किये जाते हैं । ये प्राय: ठोस कार्यक्रम होते हैं और इनमें समाचार, वार्ता, संगीत, नाटक और रूपक आदि अनेक कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं । कार्य-क्रम को प्रस्तुत करने वाला एक व्यक्ति कम्पीयर का काम करता है और श्रोताओं से सम्पर्क बनाये रखने का कार्य करता है । वह प्राय: अपना कोई ऐसा नाम रखता है, जिससे श्रोता उससे आसानी से तादात्म्य सम्बन्ध कायम कर लेते हैं । विशेष श्रोताओं के वर्ग में यों तो अनेक वर्गों को शामिल किया जा सकता है, परन्तु उनमें सबसे प्रमुख हैं – ग्रामीण, महिला, युवा, बच्चे, औद्योगिक श्रमिक और जनजातीय, लोग तथा सैनिक आदि ।

## ग्रामीण-कार्यक्रम

भारत में ग्रामीण-कार्यक्रमों का प्रसारण सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रान्त अर्थात् नार्थ-वेस्टर्न फ्रंटियर प्राविन्स(जो अब पाकिस्तान में है ) में 1935 में शुरू हुआ । इंगलैण्ड की मारकोनी कम्पनी ने उस क्षेत्र में ग्रामीण-प्रसारण के लिए रेडियो ट्रांसमीटर उपहार में दिया था । उसी वर्ष इलाहाबाद (नैनी) कृषि विश्वविद्यालय में भी ग्रामीण प्रसारण शुरू हुआ । लेकिन इसका नियमित प्रसारण 1950 में शुरू हुआ । उन दिनों इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य खेती के व्यावहारिक पहलुओं के बारे में किसानों को जानकारी और सलाह देना था, ताकि उत्पादन तथा मुनाफा और बढ़ सके । देहाती लोगों को स्वास्थ्य, सफाई,बच्चों के पालन-पोषण, पोषाहार, परिवार-नियोजन और घरेलू आय-व्यय के बारे में जानकारी देना, देश व विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देकर उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाना और दिन-भर की सख्त मेहनत के बाद उन्हें मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराना भी इन प्रसारणों का उद्देश्य था । कृषकों तथा ग्रामीण लोगों के कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के प्रसारण समय का कुल 6.3 प्रतिशत समय दिया जाता है । जून 1966 में आकाशवाणी के 10 केन्द्रों में कृषि एवं गृह एकक की स्थापना की गई । इस समय लगभग 64 प्रसारण केन्द्रों से देहाती कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है । आकाशवाणी के 51 केन्द्रों में (फार्म और होम) कृषि तथा गृह एकक खोले

गये हैं। ये एकक कृषि-अनुसंधान के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में किसानों को जानकारी देते हैं। खेती की नई तकनीकों और बीजों आदि के बारे में किसानों तक जानकारी पहुंचाने में आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। किसानों को अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल करने, खेती के वैज्ञानिक तरीके और तकनीक अपनाने, नव-उद्यमियों को कुटीर-उद्योग शुरू करने आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। किसानों को पशु-पालन और बागवानी के बारे में भी विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जानकारी दी जाती है। शुष्क क्षेत्रों में या बाढ़ वाले इलाकों, पहाड़ी या दलदली वाले इलाकों या किसी खास प्रकार की भूमि में कौन-सी फसल ज्यादा उपयुक्त रहेगी, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। इन प्रसारण कार्यक्रमों में किसानों का सक्रिय योगदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण कार्यक्रम सलाहकार समितियां भी बनाई गई हैं। इन समितियों में विकास विभागों के अधिकारी और प्रगतिशील किसान भी शामिल होते हैं। उनके विचार-विमर्श से ग्रामीण कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनमें सुधार लाने के उपाय किये जाते हैं। किसानों को साक्षर बनाने के लिए आकाशवाणी कृषि विद्यालय (फार्म स्कूल आन दी एयर) भी शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए विषयों पर पाठों की एक श्रृंखला के लिए किसानों का पंजीकरण किया जाता है।

प्रसारण के साथ-साथ पंजीकृत श्रोताओं को प्रत्येक पाठ्य-क्रम के अन्त में छपी हुई सामग्रियां दे दी जाती हैं। इनमें सफल श्रोताओं को पुरस्कार भी दिये जाते हैं। आकाशवाणी से रेडियो कृषि शिक्षा और कृषि जनता कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

ग्रामीण कार्यक्रमों की अवधि प्राय: 30 से 75 मिनट तक की होती है। इस समय देश में 25 हजार से अधिक रेडियो ग्रामीण मंच हैं। देहाती मंचों की शुरुआत 17 नवम्बर 1958 को हुई थी। आकाशवाणी के केन्द्रों से इन मंचों के लिए सप्ताह में दो बार 30-30 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। विद्यालंकार अध्ययन दल ने (यह अध्ययन दल ग्रामीण प्रसारण कार्यक्रमों के बारे में विचार करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कायम किया गया था।) अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि हमारे देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रमों के

लिए अलग ट्रांसमीटर लगाये जायें और उनके माध्यम से केवल किसानों की दिलचस्पी वाले कार्यक्रमों का ही प्रसारण किया जाये। देहाती कार्यक्रमों के लिए यह आवश्यक है कि उसमें स्थानीय भाषा और बोलियों का यथा संभव इस्तेमाल किया जाये।

## महिला-कार्यक्रम

आकाशवाणी से जो कार्यक्रम प्रसारित किये जाते उनमें 1.8 प्रतिशत समय महिला कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है। घर-गृहस्थी चलाने के लिए किफायती तरीके अपनाने, बच्चों के पालन-पोषण और समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने के बारे में अनेक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके आकाशवाणी महिला श्रोता वर्ग की उल्लेखनीय सेवा करता है। आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से सप्ताह में एक या दो बार 20 से 30 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। श्रम-जीवी और ग्रामीण महिलाओं के लिए अलग-अलग कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनेक श्रोता-क्लबों की भी स्थापना की गई है। शुरू में केवल महिलाओं के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण अनावश्यक माना जाता था। प्राय: यह तर्क दिया जाता था कि सामान्य श्रोताओं की ही तरह महिलाएं भी वार्ता, नाटक, रूपक और संगीत का आनन्द ले सकती हैं, तो फिर इनके लिए अलग से कार्यक्रम प्रसारित करने की क्या आवश्यकता है ? परन्तु कुछ लोगों का यह विचार है कि महिलाओं के लिए कार्यक्रम अलग से अवश्य होने चाहिएं। उनमें खाना पकाने, सिलाई, कढ़ाई और बुनाई की जानकारी दी जानी चाहिए। अच्छी पत्नी, अच्छी मां, अच्छी बहू और अच्छी पड़ोसन बनने के लिए उन्हें किन गुणों का विकास करना चाहिए अथवा अपने शारीरिक सौन्दर्य को बनाये रखने के लिए विभिन्न प्रकार के मौसमों में उन्हें किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए आदि बातों के कारण उन्हें श्रोताओं के एक अलग वर्ग में रखना ही चाहिए। महिला-श्रोताओं के लिए प्रसारण करते समय उनके विभिन्न वर्गों की रुचियों तथा शिक्षा स्तर का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है।

कुछ महिलाएं बहुत अधिक पढ़ी-लिखी और समझदार होती हैं, तो कुछ बहुत गंवार और अनपढ़ होती हैं। आकाशवाणी को इन सभी वर्गों के श्रोताओं का ध्यान रखना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1976 से महिला दशाब्दी मनाने

की घोषणा की है। इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इस समय आकाशवाणी के 67 केन्द्रों से महिला कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है।

इस समय विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्वयं सेवी संगठनों द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु समय-समय पर जो योजनाएं चलाई जाती हैं तथा कार्यक्रम शुरू किये जाते हैं, उन्हें भी प्रसारित किया जाता है।

## बाल-कार्यक्रम

बाल-कार्यक्रम आकाशवाणी के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा का विकास करने, जिज्ञासा को शान्त करने और ज्ञान की ललक को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आकाशवाणी के केन्द्रों का लगभग 1.14 प्रतिशत समय बाल-कार्यक्रमों पर दिया जाता है। इस समय आकाशवाणी के 72 केन्द्रों से बाल-कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। बाल-कार्यक्रमों में बच्चों के दो ग्रुप होते हैं—पहला 3 से 6 वर्ष और दूसरा 6 से 14 वर्ष। कार्यक्रम प्राय: क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं। परन्तु दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से अंग्रेजी में एक अतिरिक्त बाल-कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता है। बाल-कार्यक्रमों के अन्तर्गत कहानी, नाटक, स्किट, पहेली, कूट-प्रश्न (क्विज) लघु भेंट, वार्ता आदि का प्रसारण किया जाता है। बाल-कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए इलाहाबाद, बंगलौर, तिरुचिरापल्ली, बम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ता के केन्द्रों में इन कार्यक्रमों को तैयार करने की विशेष यूनिटें भी खोली गई हैं। 1979 में अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर बच्चों की समस्याओं पर आकाशवाणी से अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये थे। उन कार्यक्रमों में विकलांग और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।

## युवा-कार्यक्रम

इस समय आकाशवाणी के प्राइमरी चैनलों पर युवा-कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर

से अलग ट्रांसमीटरों पर युववाणी सेवा प्रसारित की जाती है। परन्तु अन्य केन्द्रों के पास अलग ट्रांसमीटर न होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। युववाणी सेवा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को देश के निर्माण कार्यों में सहभागी बनाना है। युववाणी कार्यक्रम का संचालन प्रायः युवा करते हैं और वे युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। युववाणी कार्यक्रम के लिए दिल्ली में एक अतिरिक्त चैनल दिल्ली 'डी' उपलब्ध कराया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 31 जुलाई, 1969 को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया। युववाणी में पर्याप्त मनोरंजन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें भारतीय तथा पश्चिमी-संगीत के बारे में भी पर्याप्त कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है। कई गम्भीर समस्याओं पर युवाओं के विचारों द्वारा उनका हल प्रस्तुत कराया जाता है। युववाणी कार्यक्रम व्यावसायिक तथा तकनीकी दोनों ही दृष्टियों से बहुत सफल रहा है। 1980 में कुल कार्यक्रमों में से 11,164 घन्टे 48 मिनट कार्यक्रम युवाओं के लिए प्रसारित किये गये। शिमला, नागपुर और तिरुचि के युववाणी कार्यक्रमों में अनौपचारिक शिक्षा को भी शामिल किया जाता है। युववाणी कार्यक्रमों में युवाओं को इच्छानुसार अपने विषय का चुनाव तथा उसे प्रस्तुत करने की छूट रहती है। 1977 में दिल्ली युववाणी से रामू दामोदरन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम 'इकोज आफ ए जेनरेशन' को ए०बी०यू० पुरस्कार प्रदान किया गया था। युववाणी कार्यक्रमों में प्रायः 15 से 30 वर्ष तक की आयु के युवक और युवतियां भाग लेते हैं।

## शिक्षा-कार्यक्रम

आकाशवाणी के प्रसारण कार्यक्रमों में से 3.11 प्रतिशत समय शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों पर दिया जाता है। 1980 में कुल प्रसारण समय में से 12473 घंटे शिक्षा कार्यक्रमों के प्रसारण पर दिये गये। आकाशवाणी के 48 केन्द्रों से 16 भाषाओं में शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। देश में सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आकाशवाणी से अनौपचारिक शिक्षा के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। विश्व में कुल निरक्षर लोगों में से 50 प्रतिशत निरक्षर भारत में हैं। अतः आकाशवाणी द्वारा प्रसारित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का बहुत महत्व है। 15 से 25 वर्ष के ग्रामीण युवकों के लिए श्रीनगर, नागपुर, तिरुचि, शिमला और जयपुर

से शिक्षा पाठ प्रसारित किये जाते हैं। स्कूली बच्चों के लिए भी पाठ प्रसारित किये जाते हैं। नवम्बर 1937 में पहला स्कूली शिक्षा कार्यक्रम कलकत्ता से शुरू किया गया था। दिसम्बर 1938 तक कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास से स्कूली शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा था अनौपचारिक शिक्षा पाठ सम्बद्ध क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किये जाते हैं। शिक्षा पाठ ऐसे समय प्रसारित करना ठीक नहीं होता जिस समय अधिकतर बच्चे अपने माता-पिता को कामों में मदद देने के लिए घर से दूर चले गये हों। इसलिए प्रसारण के समय पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। शहरी क्षेत्रों के लिए जो कक्षा-पाठ प्रसारित किये जाते हैं उन क्षेत्रों के शिक्षा पाठ्यक्रमों को ध्यान में रख कर होने चाहिएं। स्कूली-शिक्षा प्रसारण का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के जरिए बच्चों को शिक्षा देना है। शिक्षा पाठ की उपयोगिता पूरक होनी चाहिए। साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन पाठों का लाभ वास्तव में छात्रों को मिल पा रहा है या नहीं। पाठ्यक्रमों के प्रसारण के बारे में समय से पूर्व जानकारी मिल जानी चाहिए और विद्यालयों में रेडियो सैट उपलब्ध होने चाहिएं, जिनसे छात्रों को प्रसारण का समुचित लाभ मिल सके। कुछ विद्यालयों में रेडियो सैटों को प्राय: चोरी से बचाने या सुरक्षित रखने के लिए किसी कमरे में बन्द कर दिया जाता है और छात्र प्राय: सुनने से वंचित रह जाते हैं। अत: इन सैटों को बाहर रख दिया जाय या प्रधानाध्यापक के कमरे से एम्पलीफायर लगाकर बाहर सुनने की व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाये, जिससे प्रसारण सुनते समय छात्र अध्यापकों की भी सहायता ले सकें। तमिलनाडु में 1496 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में ग्रामीण श्रोताओं के लिए सायंकालीन प्रसारण किये जाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में 500 प्राथमिक विद्यालयों में हिन्दी की शिक्षा देने की एक प्रायोगिक योजना शुरू की गई है। शिक्षा पाठ प्रसारणों का अभीष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि देश के 3 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में रेडियो सैट या ट्रांजिस्टर उपलब्ध कराये जायें और इस बात का पक्का ध्यान रखा जाये कि उनसे नियमित रूप से कार्यक्रमों को सुनने की व्यवस्था हो।

दिल्ली स्थित विश्वविद्यालयों, मदुरई विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय से 'यूनिवर्सिटी आफ द एयर' नाम के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते

हैं। इनका उद्देश्य बी० ए० पत्राचार पाठ्यक्रम की पूरक सुविधा उपलब्ध कराना है। दिल्ली बी से 246.9 मीटर पर सवेरे 7.05 मिनट पर युववाणी प्रसारण के अन्तर्गत हिन्दी और अंग्रेजी में 40 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। मदुरई विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम को सहयोग देने के लिए तमिलनाडु के सभी केन्द्रों से रात 10.30 बजे शिक्षा पाठ प्रसारित किये जाते हैं।

अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी कई राज्यों में रेडियो पाठ्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। असम में 1978-79 से गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ केन्द्रों से विज्ञान अध्यापकों के लिए शिक्षा पाठ प्रसारित किये जाते हैं। केरल, गुजरात और तमिलनाडु में भी इस प्रकार के पाठों का प्रसारण किया जाता है। ये कार्यक्रम अध्यापकों, शिक्षा अधिकारियों और राज्य शिक्षा संस्थानों के सहयोग से चलाये जाते हैं। भाषा पाठों का प्रसारण इस समय आकाशवाणी के 59 केन्द्रों से किया जाता है।

## खेल-कार्यक्रम

हमारे जीवन की गतिविधियों में खेल कार्यक्रमों का बहुत महत्व है। इनके महत्व को देखते हुए आकाशवाणी से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों का पर्याप्त प्रसारण किया जाता है। प्रतिदिन हिन्दी और अंग्रेजी में खेल बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं। इसके अलावा हर सप्ताह खेल—न्यूज रील' और 'मासिक खेल पत्रिका' प्रसारण होता है। हिन्दी में खेल समाचार शाम 7 से 7.05 मिनट और अंग्रेजी 8.00 से 8.05 मिनट तक प्रसारित किये जाते हैं। 'स्पोर्ट्स' न्यूज रील हर सोमवार को शाम 8.15बजे से 8.25 बजे तक और खेल कार्यक्रम (हिन्दी) महीने में एक बार शाम 9.30 मिनट से 10.00 बजे तक प्रसारित किया जाता है। खेल प्रसारणों में आंखों देखा हाल सबसे ज्यादा सुना जाता है। खेल प्रसारणों के महत्व का इस बात से भली-भांति अनुमान लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए अब खेल निदेशक का पद कायम किया गया है। नई दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सहायक निदेशक पद के समकक्ष खेल कार्यक्रम आयोजक नियुक्त किये गये हैं। नवें एशियाई खेलों के दौरान सेन्ट्रल रेडियो कन्ट्रोल रूम ने प्रसारण की हर

सुविधा उपलब्ध कराई थी। देश को खेल प्रसारण के क्षेत्र में 1982 के एशियाई खेलों के प्रसारण में अभूतपूर्व सफलता मिली। खेल कार्यक्रमों का आंखों देखा हाल प्रति-दिन लगभग 150 घन्टे, विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के साक्षात्कारों के लगभग 50 कैप्सूल तथा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में खेल प्रतियोगिताओं का प्रसारण किया गया। प्रतिदिन 20 भाषाओं में विशेष कार्यक्रम प्रसारित हुए। इस दौरान 17 विदेशी संगठनों को प्रसारण सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। विदेशी संगठनों के सदस्यों तथा कर्मचारियों के उपयोग के लिए एक सूचना गाइड प्रकाशित की गई।

एशियाई खेलों के बाद बंगलौर, कलकत्ता, हैदराबाद, जालन्धर, लखनऊ, और तिरुअनन्तपुरम में भी नई दिल्ली की ही तरह खेल 'सैल' खोलने का प्रस्ताव किया गया है। भोपाल, कटक, पटना, गुवाहाटी, जयपुर और श्रीनगर के केन्द्रों में भी ऐसे 'सैल' खोलने का इरादा है 1982-83 के दौरान एशियाई खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं के अलावा भारत-इंगलैण्ड टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला, विम्बलडन टेनिस, हाकी विश्व कप, तथा एशिया कप हाकी, भारत पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला, भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला, डूरण्ड कप फुटबाल और अन्य कई प्रतियोगिताओं का आंखों देखा हाल प्रसारित किया गया। क्रिकेट और अन्य खेलों के लिए कमन्टेटरों का चुनाव करने के लिए दिल्ली में सेंन्ट्रल स्क्रीनिंग कमेटी कायम की गई है जिसमें दो पैनल बनाये हैं। एक पैनल क्रिकेट के लिए तथा दूसरा अन्य खेलों के लिए है। खेल कार्यक्रमों के लिए सलाहकार समिति का पुनर्गठन भी किया गया है।

## सैनिक-कार्यक्रम

आकाशवाणी से सैनिकों के लिए प्रतिदिन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। प्रधान (प्राइमरी) चैनलों पर तथा 14 व्यापारिक प्रसारण सेवा विविध भारती के 29 केन्द्रों से अनेक मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद एवं सूचनात्मक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

आकाशवाणी के कुल प्रसारण समय का 4.64 प्रतिशत समय सशस्त्र सेनाओं के लिए दिया जाता है। सैनिकों के लिए 'जयमाला' कार्यक्रम बहुत

लोकप्रिय कार्यक्रम है । आकाशवाणी के कुछ केन्द्रों से सैनिकों के लिए अलग से कार्यक्रम भी प्रसारित किये जाते हैं । सैनिकों के लिए कार्यक्रम दूसरे विश्वयुद्ध के समय ब्रिटिश काल से ही प्रसारित किये जाते हैं । सीमान्त क्षेत्रों में नियुक्त सैनिकों के लिए विशेष सैनिक सभाओं के कार्यक्रम भी प्रसारित किये जाते हैं ।

## औद्योगिक-श्रमिक

आकाशवाणी के 28 केन्द्रों से औद्यौगिक श्रमिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं । औद्योगिक श्रमिक दिनों-दिन समाज के प्रमुख अंग बनते जा रहे हैं, इसलिए उनकी विशेष जरूरतों और दिलचस्पियों को ध्यान में रखते हुए प्रसारणों का होना बहुत जरूरी है । श्रमजीवी वर्ग की जीवन दशाओं और उनके कार्यों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है । औद्योगिक श्रमिकों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके अधिकारों और सुविधाओं के बारे भी उन्हें जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए । औद्योगिक श्रमिकों को सम्बद्ध प्रसारण कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के पास अधिक-से-अधिक श्रोता मंचों की स्थापना करनी चाहिए । अभी केवल कुछ ही केन्द्रों के पास श्रोता मंच कायम किये गये हैं । औद्योगिक श्रमिकों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में प्राय: 20 से 25 मिनट की अवधि के कार्यक्रमों का प्रसारण होता है । कुछ क्षेत्रों में ये कार्यक्रम सप्ताह में दो दिन तथा कुछ क्षेत्रों में चार दिन प्रसारित किये जाते हैं । गुवाहाटी, कुर्सियांग और सिलचर के प्रसारण केन्द्रों से चाय-बागान मजदूरों के लिए अलग से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं । वर्ष 1982 उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाया गया । इसलिए इस सिलसिले में भी अनेक कार्यक्रम प्रसारित किये गये ।

## जनजातीय-कार्यक्रम

जनजातीय श्रोताओं के लिए आकाशवाणी के 24 प्रसारण केन्द्रों से लगभग 90 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं । भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातीय लोगों के लिए उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अनेक भाषाएं तथा बोलियां हैं । जसे मणिपुर में 29 और नागालैण्ड में 18 बोलियां हैं, परन्तु इन सभी बोलियों

और भाषाओं में प्रसारण की सुविधा उपलब्ध करना तब तक सम्भव नहीं है जब तक इन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में ट्रांसमीटर नहीं लगा दिये जाये। मध्यप्रदेश में जगदलपुर में ट्रांसमीटर लग जाने से जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के जीवन में काफी परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन का श्रेय आकाशवाणी को जाता है। हमारे देश में लगभग 4 करोड़ जनजातीय श्रोता है, जिन्हें प्रसारण का लाभ पहुंचाना आकाशवाणी का दायित्व है। 1980 में प्रसारण के कुछ समय का लगभग 2.45 प्रतिशत अर्थात 9,577 घन्टे समय जनजातीय कार्यक्रमों के लिए दिया गया।

## विशेष श्रोता प्रसारण

(31 अक्तूबर 1983 तक की स्थिति)

| क्रम | कार्यक्रम | प्रसारण केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | स्कूल प्रसारण | 44 |
| 2. | सैनिकों के लिए कार्यक्रम | 14 (इसके अतिरिक्त विविध भारती पर-29) |
| 3. | औद्योगिक कार्यक्रम | 24 |
| 4. | देहाती कार्यक्रम | 53 |
| 5. | फार्म तथा घर एकक | 64 |
| 6. | महिलाओं के कार्यक्रम | 67 |
| 7. | बाल कार्यक्रम | 72 |
| 8. | जनजातीय कार्यक्रम | 24 |
| 9. | युववाणी कार्यक्रम | 5 |
| 10. | विश्वविद्यालय प्रसारण कार्यक्रम | 33 |
| 11. | युवा कार्यक्रम प्रसारण | 75 |
| 12. | भाषा-पाठ | 59 |

परिवार कल्याण सम्बन्धी प्रचार अभियानों को लोकप्रिय बनाने में आकाशवाणी के प्रसारणों की महत्वपूर्ण भूमिका है, देश के लगभग सभी केन्द्रों से परिवार

को छोटा रखने, बच्चों के जीवन पर नियंत्रण रखने, मातृ-शिशु स्वास्थ्य तथा पोषाहार आदि के बारे में आकाशवाणी के केन्द्रों से समय-समय पर कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। विज्ञापन सेवा में भी परिवार नियोजन के सन्देश प्राय: शामिल किये जाते हैं।

## भाषा-पाठ

आकाशवाणी के केन्द्रों से विभिन्न भाषाओं के पाठ प्रसारित किये जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रसारण केन्द्रों से भरसक ऐसी भाषाओं के पाठों का भी प्रसारण किया जाता है, जो भाषाएं वहां आम बोलचाल में प्राय: इस्तेमाल नहीं की जातीं। देश के 29 प्रसारण से हिन्दी और 30 प्रसारण केन्द्रों से संस्कृत के पाठ प्रसारित किये जाते हैं। आकाशवाणी के केन्द्रों से तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, मलयालम और मराठी के पाठ प्रसारित किये जाते हैं। धारवाड़, मैसूर, बंगलौर और भद्रावती से उर्दू के सबक प्रसारित किये जाते हैं। ये भाषा पाठ राष्ट्रीय एकता का संवर्द्धन करने में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। देश के उत्तरी भागों के प्रसारण केन्द्रों से प्राय: दक्षिणी भारत की भाषाओं और दक्षिणी भारत के प्रसारण केन्द्रों से प्राय: उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का प्रसारण किया जाता है।

## कार्यक्रम सलाहकार समितियां

आकाशवाणी के लगभग सभी केन्द्रों पर कार्यक्रमों के बारे में सलाह देने के लिए समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों का समय-समय पर पुनर्गठन भी किया जाता है। पिछले वर्ष संस्कृत कार्यक्रम सलाहकार परिषद तथा खेल कार्यक्रमों की प्रथम सलाहकार समिति की बैठकें भी आयोजित की गईं।

देश में प्रथम सलाहकार समिति 21 अगस्त 1936 को दिल्ली में गठित की गई थी। इस समिति का गठन इस प्रकार था :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कन्ट्रोलर आफ ब्राडकास्टिंग | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक, दिल्ली रेडियो स्टेशन | सचिव |
| 3. | प्रो० बी० एन० गांगुली | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | डा० एस० के० सेन | सदस्य |
| 5. | पंडित हक्सर | ,, |
| 6. | श्री शिवराज बहादुर | ,, |
| 7. | श्री गुलाम मुहम्मद | ,, |
| 8. | श्रीमती आसफ अली | ,, |
| 9. | श्रीमती के० कृष्णाराव | ,, |
| 10. | प्रो० मिर्जा अहमद सैद | ,, |
| 11. | राजा चरणजीत सिंह | ,, |
| 12. | सर एम० यामिन खां | ,, |
| 13. | लाला श्री राम | ,, |
| 14. | राय बहादुर रामकिशोर | ,, |
| 15. | डा० जाकिर हुसैन | ,, |

## अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

पिछले वर्ष (12-16 अप्रैल, 1982 तक) नई दिल्ली में एशियाई प्रसारण संघ (ए० बी० यू०) के कार्य दल का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें एक विषय था : जेनेवा में 'वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रेडियो कान्फ्रेंस' के आगामी सम्मेलन में उच्च आवृत्तियों की प्रसारण सेवा के आयोजन के लिए सम्भावित नीति के अंतर्गत क्या कदम उठाये जायेंगे ?

इस सम्मेलन में आई०आर०आई०बी० (ईरान), एन०एच०के० (जापान), पी०बी०सी० (पाकिस्तान), आर०टी० पी० आर० सी०, (पीपुल्स रिपब्लिक आफ चीन), एस० ए० बी०/एस० ए० आर० (सऊदी अरब), टी० आर० टी० (तुर्की) तथा बी० बी० सी० (लन्दन) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

## प्रतियोगिताएं

पिछले वर्ष अक्तूबर 1982 में सिंगापुर में टेलीविजन के लिए ए०बी०यू०, होसो बंका प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आकाशवाणी के संगीत-रूपक 'श्रीटिंकुर' को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।

## आकाशवाणी को प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का विवरण

| कार्यक्रम का नाम | प्रोड्यूसर तथा प्रसारण केन्द्र का नाम | समारोह/वर्ष |
|---|---|---|
| लाली एण्ड द लायन्स आफ गिर | मेलविल डिमेलो (आकाशवाणी, दिल्ली) | इतालिया पुरस्कार —1964 |
| किसान भाइयों के लिए | आकाशवाणी, रायपुर | ए०बी०यू०, विशेष पुरस्कार 1968 |
| हाइवे नम्बर 2 | कारस्टेन डिरेक्स (संगीत जर्मन गणराज्य के कार्यक्रम सलाहकार) | ए०बी०यू० विशेष पुरस्कार—1968 |
| फाम माउन्टेन्स | रजनीकांत राव (आकाशवाणी—विजयवाड़ा) | जापान पुरस्कार—1972 |
| मिनिस्टरीज ऑफ कर्नाटक | एल०जी० सुमित्रा (आकाशवाणी–बंगलौर) | होसो बंका फाउंडेशन पुरस्कार—1975 |
| इकोज ऑफ ए जनरेशन | रामू दामोदरन (आकाशवाणी-युववाणी) दिल्ली | ए०बी०यू०, रेडियो पुरस्कार—1976 |
| द बाथ फेस्टीवल आफ मारगाजी | श्री राम भारती (आकाशवाणी-युववाणी) दिल्ली | होसो बंका फाउडेशन पुरस्कार – 1978 |
| आल बड्स टू ब्लूम | अरुण शर्मा (आकाशवाणी—गुवाहाटी) | विशेष जापान पुरस्कार—1979 |
| शिव तांड्वम | येला वेंकटेश्वर राव (आकाशवाणी—हैदराबाद) | विशेष प्रतियोगिता प्रमाण-पत्र—1979 |
| कॉशन डैन्जर एहेड | अरूण शर्मा (आकाशवाणी – गुवाहाटी) | ए०बी०यू० विशेष पुरस्कार—1980 |

## रेडियो संगीत सम्मेलन

रेडियो संगीत सम्मेलन आकाशवाणी का प्रमुख संगीत समारोह है । पहला रेडियो संगीत सम्मेलन 23 अक्टूबर 1954 को हुआ था । तब से हर वर्ष इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है । आकाशवाणी के पंन्द्रह केन्द्रों पर संगीत सभाएं आयोजित की जाती हैं । दिल्ली में हिन्दुस्तानी तथा मद्रास में कर्नाटक संगीत के पुरस्कार पाने वालों का चुनाव किया जाता है । इन सम्मेलनों के आयोजन से संगीत के युवा प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए उपयुक्त अवसर उपलब्ध हो जाता है । 1959 के रेडियो संगीत सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था, "इसने कला के उस्तादों को ही नहीं, अपितु उभरते युवा संगीतकारों को भी प्रर्याप्त प्रोत्साहन दिया है । इन वार्षिक प्रतियोगिताओं के फलस्वरूप कर्नाटक और हिन्दुस्तानी शैली के संगीत अपेक्षाकृत और निकट आये हैं और इन दोनों प्रकार के संगीतों को समझने और आनन्द लेने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है ।"

## स्मारक व्याख्यानमालाएं

आकाशवाणी की ओर से प्रति वर्ष सरदार पटेल स्मारक व्याख्यानमाला (अंग्रेजी में) तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला (हिन्दी में) का आयोजन किया जाता है । इसमें विभिन्न विषयों के प्रख्यात विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है । उनके द्वारा व्यक्त विचारों को आकाशवाणी के प्राय: सभी केन्द्रों से रिले किया जाता है ।

### सरदार पटेल स्मारक व्याख्यानमाला

14 जनवरी, 1955 को

डा० बी० वी० केसकर (सूचना और प्रसारणमंत्री) के कार्यकाल में सरदार पटेल स्मारक व्याख्यानमाला शुरू की गई । इस व्याख्यानमाला में स्वर्गीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (1955), श्री जे०बी०एस० हाल्डेन (1957), डा० जाकिर हुसैन (1958), श्री वेरियल एल्विन (1961), श्री मोरारजी देसाई (1963), एम० एस० स्वामीनाथन (1973) तथा जगजीत सिंह (1971) जैसे प्रख्यात व्यक्तियों ने अपने विचारों से लोगों को लाभान्वित किया है ।

1979 में प्रो० जे० डी० सेठी ने 'गांधियन वैल्यूज एण्ड द ट्वेंटिएथ सेंचुरी चैलेंजेज' (गांधीवादी मूल्य एवं बीसवीं सदी की चुनौतियों) विषय पर सारगर्भित व्याख्यान दिया। यद्यपि इससे पहले भी महात्मा गांधी से सम्बन्धित विषयों पर व्याख्यानमाला के अंतर्गत विचार प्रस्तुत किए जा चुके हैं जैसे—1968 में श्रीमन नारायण ने 'गांधी—मानव एवं उनके विचार, (गांधी—द मैन एण्ड हिज थाट) तथा 1969 में के०जी० सैयदीन ने मानव एवं चिंतक के रूप में गांधी के महत्वपूर्ण विषय पर भाषण दिया था।

पटेल स्मारक व्याख्यानमाला (1955) के प्रथम प्रमुख वक्ता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। उस व्याख्यानमाला का विषय था-'दि गुड एडमिनिस्ट्रेटर' (अच्छा प्रशासक)

**1982 में 'ग्रामीण विकास के लिए प्रबंध'**

विषय पर बंगलौर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के निदेशक प्रो० एन० एस० रामास्वामी ने भाषण दिया था।

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला में पिछले वर्ष का विषय था—'स्वतंत्र भारत में सामाजिक क्रान्ति : इतिहास के परिप्रेक्ष्य में'—डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला कार्यक्रम 1969 में शुरू हुआ था और इसमें गुरु नानक पर प्रमुख भाषण डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था।

## पटेल स्मारक व्याख्यानमाला

| वर्ष | विषय | वक्ता |
|---|---|---|
| 1955 | द गुड एडमिनिस्ट्रेटर | चक्रवर्ती राजगोपालाचारी |
| 1956 | द न्यू एरा आफ साइंस | डा० के० एस० कृष्णन |
| 1957 | द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आफ लाइफ | प्रो० जे० बी० हाल्डेन |
| 1958 | एजूकेशनल रीकंस्ट्रक्शन आफ इंडिया | डॉ० जाकिर हुसैन |
| 1960 | द स्टेट एंड सोसाइटी इन लैटर मिडिल एज | डा० ताराचंद |
| 1961 | ए फिलास्फी आफ लाइफ | डा० वारियर एल्विन |

| वर्ष | विषय | वक्ता |
|---|---|---|
| 1962 | रीसर्जेंस आफ इंडिया: रिफार्मेशन आफ रिवोल्यूशन | के० पी० एस० मेनन |
| 1963 | इंटीग्रेशन एंड कन्सालिडेशन आफ इंडिया | मोरारजी देसाई |
| 1964 | द ग्रेट इंटीग्रेटर : द सैंट सिंगर | डा० वी० राघवन |
| 1965 | सैक्यूलरिज्म | एम० सी० सीतलवाड |
| 1966 | कश्मीर रिट्रास्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट | पी०बी० गजेन्द्र गडकर |
| 1967 | द फिजिशियन एंड द सोसाइटी | डा० जैकब चांडी |
| 1968 | गांधी द मैन एंड हिज थाट | श्रीमन नारायण |
| 1969 | गांधीज सिग्नीफिकैंस एज ए मैंन एंड थिंकर | डा० के० जी० सैयदीन |
| 1970 | क्राइसिस आफ हायर एजुकेशन इन इंडिया | डा०के०एन० राज |
| 1971 | द पास्ट एंड प्रीज्यूडिस | डा० कु०रोमिला थापर |
| 1972 | साइंस एंड सोसायटी | प्रो० एम०जी०के०मेनन |
| 1973 | आवर एग्रीकल्चर फ्यूचर | डा०एम०एस० स्वामीनाथन |
| 1974 | द इवोल्यूशन आफ फारेन पालिसी | पी० एन० हक्सर |
| 1975 | द कम्यूनिकेशन्स रिवोल्यूशन | डा० नारायण मेनन |
| 1976 | स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इन द इंडियन इकॉनामी | प्रो० ए० एम० खुशरू |
| 1977 | कांस्टीट्यूशन एंड सोसिओ-इकोनामिक चेंज | जस्टिस श्री एच०आर० खन्ना |
| 1978 | साइंस एंड टेक्नालोजी इन टू थाउजेंड ए०डी० | डा० जगजीत सिंह |
| 1979 | गांधियन वैल्यूज एंड ट्वेंटिएथ सेंचुरी चैलेंजेज (रेलिवेंस आफ गांधियन) | डा०जे० डी० सेठी |
| 1980 | ए करेक्टर फॉर इकोनोमिक्स लैंड | बी० बी० वोहरा |
| 1981 | टूरिज्म इन इंडिया | सोम एन० चिब |

## डा० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला

| वर्ष | विषय | वक्ता |
|---|---|---|
| 1969 | गुरु नानक | डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी |
| 1970 | नये दशकों में महिला का स्थान | महादेवी वर्मा |
| 1971 | दुनिया नई पुरानी | डा० विद्या प्रकाश दत्त |
| 1973 | संचार और विकास | डा० श्यामाचरण दुबे |
| 1975 | प्राचीन पश्चिम एशिया और भारतीय संस्कृतियों के समान सन्दर्भ | डा० भागवत शरण उपाध्याय |
| 1976 | मूल अधिकार और कर्तव्य | डा० प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी |
| 1977 | व्यक्ति और व्यवस्था | सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्या-यन 'अज्ञेय' |
| 1978 | भारत में ऊर्जा-स्रोत एवं सम्भावना | डा० अजितराम वर्मा |
| 1979 | सामान्य सूत्र-हिन्दी | डा० माधुरी सत्यनारायण |
| 1980 | जनसमाज और संस्कृति—एक समग्र दृष्टि | विष्णु प्रभाकर माचवे |
| 1981 | बुद्धिजीवी और सामाजिक दायित्व | डा० शिवमंगल सिंह 'सुमन' |

चतुर्थ-स्वर

# सम्प्रेषण देश-विदेश तक

## समाचार सेवा प्रभाग

रेडियो प्रसारण का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा तथा जानकारी देना है। आकाशवाणी के कुल प्रसारण-समय का लगभग एक चौथाई समय समाचार प्रसारणों के लिए दिया जाता है। 1980 में कुल 90609 घंटे 44 मिनट समाचार प्रसारित किये गये।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विश्व के सबसे बड़े समाचार-प्रसारण संगठनों में से एक है। आजकल यह प्रभाग स्वदेशी सेवा (होम सर्विस) में प्रतिदिन 19 भाषाओं में 68 बुलेटिनों का प्रसारण करता है। इनकी अवधि प्रतिदिन 10 घंटे 20 मिनट की होती है। आकाशवाणी से 60 भाषाओं और बोलियों में प्रतिदिन 25 घंटे 30 मिनट की अवधि के 123 और बुलेटिनों का भी प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 1937 में 'सेन्ट्रल न्यूज आर्गेनाइजेशन' के रूप में अस्तित्व में आया। श्री लियानेल फिलडन द्वारा आल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर-जनरल का पद सम्भालने (1935) से पहले कलकत्ता रेडियो स्टेशन से अंग्रेजी और बंगला में तथा बम्बई रेडियो स्टेशन से अंग्रेजी और 'हिन्दुस्तानी' में समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते थे। दिल्ली रेडियो स्टेशन से अप्रैल 1937 में सवेरे अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी में बुलेटिन शुरू किये गये। उन्हीं दिनों श्री चार्ल्स बर्न्स ने 'सेन्ट्रल न्यूज आर्गेनाइजेशन' के समाचार सम्पादक (न्यूज एडीटर) का पद सम्भाला। शुरू में बुलेटिन 'रायटर' एजेंसी की खबरों के आधार पर तैयार हुए थे। प्रारम्भ में यह निश्चित किया गया कि आकाशवाणी के सभी केन्द्रों को दिल्ली से टेलीफोन पर खबरें दी जायें, लेकिन यह तरीका बहुत खर्चीला था, साथ ही टेलीफोन लाइनों की विश्वसनीयता पर भी सन्देह था। इसलिए प्रादेशिक

केन्द्रों के ट्रांसमीटरों द्वारा रिले करने की प्रणाली अपनाई गई। अक्तूबर 1939 तक 'आल इंडिया रेडियो' के सभी केन्द्र 'सेन्ट्रल न्यूज आर्गेनाइजेशन' से समाचार बुलेटिनों को या तो टेलीफोन पर प्राप्त कर लेते थे या उनको रिले करते थे। उन दिनों 'हिन्दुस्तानी' के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली और पश्तो में भी समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते थे। उन्हीं दिनों केन्द्रीय समाचार संगठन (सी०एन०ओ०) ने विदेशी भाषाओं में भी प्रसारण शुरू कर दिया। देश के स्वतंत्र होने के बाद 1948 में विदेश सेवा (एक्सटरनल सर्विसेज) को 'सेन्ट्रल न्यूज आर्गेनाइजेशन' से अलग कर दिया गया और उसका एक अलग निदेशक नियुक्त कर दिया गया। स्वदेशी सेवा संगठन का नाम 'समाचार सेवा प्रभाग' (न्यूज सर्विसेज डिवीजन) और विदेश सेवा संगठन का नाम 'एक्सटरनल सर्विसेज डिवीजन' रखा गया। परन्तु स्वदेशी तथा विदेशी सेवाओं के लिए सभी बुलेटिनों को तैयार करने का दायित्व समाचार सेवा प्रभाग पर ही रहा।

1949 में समाचारों की 'पूल' प्रणाली प्रारम्भ की गई। 1945 में विदेश समाचार प्रभाग द्वारा पश्तो, नेपाली, हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, बर्मी, जापानी और चीनी भाषाओं में प्रसारण किये जाते थे। उन दिनों विदेश प्रसारणों का मुख्य उद्देश्य 'प्रोपगंडा' करना था और वह प्रोपगंडा 'फार इस्टर्न ब्यूरो' (एफ०ई०बी०) के संकेतों पर निर्धारित होता था। परन्तु हमारा देश अब स्वतंत्र है और हमारी विदेश सेवा प्रसारण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर भारत के दृष्टिकोण को उचित रूप से लोगों तक पहुंचाना और देश की सही तस्वीर पेश करना है।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों में समाचार प्रसारण कार्यक्रम सबसे संवेदनशील और प्रतिष्ठापूर्ण कार्यक्रम है। यह श्रोताओं को सवेरे 6 बजे से लेकर रात के लगभग 11 बजे तक *देश-विदेश की तमाम खबरों की जानकारी देता रहता है। आकाशवाणी के समाचारों की तत्परता का मुकाबला टेलिविजन को छोड़कर किसी अन्य माध्यम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाचार पत्र प्राय: 24 घंटे में एक बार प्रकाशित होते हैं, जबकि रेडियो से हर क्षण के समाचार समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। चुनाव परिणामों की

*15 अगस्त 1985 से शुरू कार्यक्रम के अनुसार अब रात 12 बजे तक समाचार सुने जा सकते हैं।

घोषणा अथवा बजट के समाचारों के मामले में इसकी तत्परता पर सहसा श्रोताओं को आश्चर्य-सा हो सकता है; इधर घटना हो रही है और उधर ताजा समाचार श्रोताओं तक पहुंच रहा है ।

## संगठन एवं कार्य

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का कार्य एक निदेशक की देख-रेख में होता है जो केन्द्रीय सूचना सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक वर्ग का एक सदस्य होता है । समाचार सेवा प्रभाग के निदेशक का पद उप-महानिदेशक पद के समकक्ष होता है । उसकी सहायता के लिए एक संयुक्त निदेशक और कई उपनिदेशक होते हैं । परन्तु इस पुस्तक के लिखने के समय समाचार सेवा प्रभाग में निदेशक के बाद 7 संयुक्त निदेशक और केवल एक उपनिदेशक (प्रशासनिक) हैं ।

समाचार सेवा प्रभाग में एक केन्द्रीय समाचार कक्ष होता है जिसे 'जनरल न्यूज रूम' कहते हैं । इसमें एक एडीटर-इन्चार्ज होता है तथा उसकी सहायता के लिए कुछ अन्य सहायक समाचार सम्पादक होते हैं जो खबरों की 'पूल कापियां' तैयार करने में उसकी सहायता करते हैं । ये 'पूल कापियां' कई स्रोतों से प्राप्त खबरों के आधार पर बनाई जाती हैं । खबरों का मुख्य स्रोत प्राय: संवाद एजेंसियां (पी०टी०आई०,यू०एन०आई०, हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारती) आकाशवाणी के संवाददाता, रिपोर्टर तथा अंशकालिक सम्वाददाता, विदेशी रेडियो के अनुश्रवणों द्वारा प्राप्त खबरें, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियां, विदेशी दूतावासों द्वारा जारी की गई बुलेटिनें तथा समीक्षाएं और संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी की गई सामग्रियां होती हैं ।

इन 'पूल कापियों' के आधार पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं, जनाकांक्षाओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए समाचार बुलेटिन तैयार किये जाते हैं और उन्हें विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भेज दिया जाता है । परन्तु हिन्दी में 'पूल' को आधार मानकर बुलेटिन प्राय: स्वतन्त्र रूप से तैयार किये जाते हैं । समाचार सेवा प्रभाग में देश की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं के बुलेटिनों का प्रसारण होता है, इसके लिए हर भाषा-एकांश में समाचार-वाचक और अनुवादक होते हैं ।

# आकाशवाणी

## केन्द्रीय बुलेटिन

| क्रम संख्या | भाषा | संख्या | समय | अवधि | रिले केन्द्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हिन्दी | 10 | 0602 बजे | 2½ मिनट | |
| | | | 0800 ,, | 10 ,, | सभी स्टेशन |
| | | | 1305 ,, | 5 ,, | |
| | | | 1410 ,, | 10 ,, | |
| | | | 1445 ,, | 25 ,, | धीमी-गति |
| | | | 1700 ,, | 5 ,, | |
| | | | 1805 ,, | 5 ,, | |
| | | | 1900 ,, | 5 ,, | खेल |
| | | | 2045 ,, | 15 ,, | सभी स्टेशन |
| | | | 2300 ,, | 5 ,, | |
| 2. | अंग्रजी | 10 | 0600 बजे | 2½ मिनट | |
| | | | 0810 ,, | 10 ,, | सभी स्टेशन |
| | | | 1200 ,, | 2 ,, | |
| | | | 1300 ,, | 5 ,, | |
| | | | 1400 ,, | 10 ,, | |
| | | | 1420 ,, | 25 ,, | धीमी-गति |
| | | | 1705 ,, | 5 ,, | |
| | | | 2000 ,, | 5 ,, | खेल |
| | | | 2100 ,, | 15 ,, | सभी स्टेशन |
| | | | 2300 ,, | 5 | |

| क्रम संख्या | भाषा | संख्या | समय | अवधि | रिले केन्द्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | अरुणाचल असमी | 1 | 1645 बजे | 15 मिनट | डिब्रूगढ़ |
| 4. | असमी | 3 | 0705 बजे | 10 मिनट | गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ |
| | | | 1310 ,, | 10 ,, | |
| | | | 1905 ,, | 18 ,, | |
| 5. | उर्दू | 3 | 1850 बजे | 10 मिनट | औरंगाबाद, परभणी |
| | | | 1350 ,, | 10 ,, | इलाहाबाद, भोपाल |
| | | | 2115 ,, | 10 ,, | भागलपुर, दिल्ली, दरभंगा, गोरखपुर, हैदराबाद, जम्मू, जलंधर, लेह, लखनऊ, पटना, रामपुर, रांची, वाराणसी, श्रीनगर और शिमला |

| क्रम संख्या | भाषा | संख्या | समय | अवधि | रिले केन्द्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | उड़िया | 3 | 0715 बजे | 10 मिनट | कटक, |
| | | | 1320 ,, | 10 ,, | सम्बलपुर और |
| | | | 1915 ,, | 10 ,, | जैपुर |
| 7. | कन्नड़ | 3 | 0735 ,, | 10 ,, | बंगलौर, |
| | | | 1310 ,, | 10 ,, | मंगलौर, धारवाड़, भद्रावती, मैसूर |
| 8. | कश्मीरी | 2 | 0745 ,, | 10 ,, | श्रीनगर |
| | | | 1825 ,, | 15 ,, | ,, |
| 9. | गुजराती | 3 | 0745 ,, | 10 ,, | अहमदाबाद |
| | | | 1320 ,, | 10 ,, | राजकोट |
| | | | 1950 ,, | 10 ,, | भुज |
| 10. | डोगरी | 2 | 0830 ,, | 10 ,, | जम्मू |
| | | | 1915 ,, | 15 ,, | जम्मू |
| 11. | तमिल | 3 | 0715 ,, | 10 ,, | मद्रास |
| | | | 1240 ,, | 10 ,, | तिरुचि |
| | | | 1915 ,, | 10 ,, | तिरुनेल-वेली, कोयम्बतूर |
| 12. | तेलुगु | 3 | 0705 ,, | 10 ,, | हैदराबाद |
| | | | 1230 ,, | 10 ,, | विजयवाड़ा |
| | | | 1905 ,, | 10 ,, | विशाखापत-नम, कुडप्पा |
| 13. | नेपाली | 1 | 1925 बजे | 10 मिनट | कुर्सियांग |

| क्रम संख्या | भाषा | संख्या | समय | अवधि | रिले केन्द्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | पंजाबी | 3 | 0830 बजे | 10 मिनट | जालंधर |
| | | | 1340 ,, | 10 ,, | दिल्ली |
| | | | 1930 ,, | 10 ,, | ,, |
| 15. | बंगाली | 3 | 0725 ,, | 10 ,, | कलकत्ता |
| | | | 1330 ,, | 10 ,, | कुर्सियांग |
| | | | 1935 ,, | 10 ,, | सिलीगुड़ी, अगरतला |
| 16. | मराठी | 3 | 0830 ,, | 10 ,, | बम्बई, नागपुर, पुणे |
| | | | 1330 ,, | 10 ,, | सांगली, रत्नगिरी |
| | | | 2005 ,, | 10 ,, | औरंगाबाद परभणी, जलगांव |
| 17. | मलयालम | 3 | 0725 ,, | 10 ,, | तिरुअनंत-पुरम |
| | | | 1250 ,, | 10 ,, | त्रिचूर और |
| | | | 1925 ,, | 10 ,, | कालीकट |
| 18. | संस्कृत | 2 | 0700 ,, | 5 ,, | सभी केन्द्र |
| | | | 1810 ,, | 5 ,, | ,, |
| 19. | सिन्धी | 2 | 0840 बजे | 10 ,, | बम्बई, |
| | | | 1815 ,, | 10 ,, | अहमदा-बाद, भुज, जयपुर |

केन्द्रीय बुलेटिनों के अलावा देश के प्राय: हर राज्य में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किये जाते हैं। उन्हें केन्द्रीय सूचना सेवा का एक अधिकारी—सहायक समाचार सम्पादक (ए०एन०ई०) तैयार करता है। उसकी सहायता के लिए केन्द्रीय सूचना सेवा का ही एक संवाददाता होता है। कई अंशकालिक संवाददाता भी होते हैं जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य रत होते हैं और स्थानीय सूचनाएं प्रादेशिक समाचार एककों को भेजते रहते हैं।

देश में इतने बुलेटिनों और इतनी भाषाओं में प्रसारण के बावजूद हर भाग में समाचारों का निर्बाध प्रसारण नहीं सुनाई पड़ता। हमारे देश में अत्युच्च आवर्तियों (वी०एच०एफ०) पर ट्रांसमीटरों को लगाना आवश्यक है, ताकि स्वदेशी प्रसारण लघु तरंगों (शार्ट वेव) पर साफ-साफ सुने जा सकें। भारत की विविधता तथा विशालता को देखते हुए ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़ाना अत्यावश्यक है।

आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों पर प्राय: यह आरोप लगाया जाता है कि वे मंत्रियों के भाषणों और बयानों को तोते की तरह दोहराते रहते हैं और उनके बयानों और भाषणों को उच्च प्राथमिकता देते हैं। कई बार सर-कारी खबरों को शामिल करने की भी आलोचना की जाती है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि बुलेटिनों में प्रधानमंत्री की खबरों को प्राय: प्रमुखता दी जाती है। परन्तु आकाशवाणी की नीति के अनुसार व्यापक जनहित की सभी खबरें समाचार में होती हैं। केवल दुख और तूफान की खबरें ही समाचार नहीं कही जातीं। लोगों की दिलचस्पी केवल वैसी ही खबरों में नहीं होती, राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में भी होती है तथा लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं उनसे जुड़ी रहती हैं। 1975 में केन्द्र निदेशकों के एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, "इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम और लोगों के विचारों को नहीं देते हैं, परन्तु (वास्तव में आकाशवाणी एक सरकारी विभाग है) प्रमुख रूप से इसका कार्य भारत सरकार के विचारों को प्रस्तुत करना है। भारत सरकार के विचार किसी एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के विचार या कल्पनाएं नहीं हैं। वे भारत की संसद् द्वारा समर्थित और पारित विचार तथा नीतियां है।"

मंत्रियों के सार्वजनिक भाषणों में प्राय: सरकार की नीति का कोई-न-कोई पहलू शामिल रहता है, अत: उसकी खबरों का विशेष महत्व होता है। आकाशवाणी प्रत्येक संवाद का चयन खबरों के महत्व के आधार पर करता है। खबरों को लेने से पहले यह निश्चय करना होता है कि वह लक्ष्य की दृष्टि से बिल्कुल ठीक और सही है या नहीं। आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में प्राय: ऐसी खबरों को शामिल नहीं किया जाता है, जिनसे किसी वर्ग या धर्म के अनुयायियों की भावना को ठेस पहुंचे। विभिन्न राजनैतिक दलों के हितों और दृष्टिकोणों के बीच सन्तुलन कायम करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे समाचारों को बुलेटिनों में शामिल नहीं किया जाता जो लोगों में भय या आतंक फैलायें। आकाशवाणी का हमेशा यह दृष्टिकोण होता है कि किसी व्यक्ति या संगठन, व्यापार या व्यवसाय का आवश्यकता से अधिक प्रचार न किया जाए। समाचार बुलेटिनों में व्यक्तिगत रुचि या पूर्वाग्रह का रंग चढ़ाने से हमेशा बचना होता है। अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ के समाचारों में ऐसी खबरों को बिल्कुल नहीं शामिल किया जाता, जिससे भारत के हितों को हानि पहुंचने की आशंका हो।

समाचार का सम्पादन करते समय व्यक्ति का विवेक बहुत संतुलित होना चाहिए, क्योंकि उसे लोकमत और सरकार दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सम्पादक का कार्य तलवार की धार पर चलने के समान होता है :

"क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गमपथस्तत कवयो वदन्ति।"

सम्पादक को हमेशा निष्पक्षता बरतनी चाहिए। जहां सत्य पर आंच आ रही हो, वहां उसे 'कामन सेंस' का उपयोग करना चाहिए। समाचार की भाषा सरल और मुहावरेदार होनी चाहिए जिसे समझने में श्रोताओं को कोई परेशानी न हो। आकाशवाणी की समाचार प्रस्तुत करने की शैली समाचार पत्रों से बिल्कुल भिन्न होती है। रेडियो का समाचार पहली बार सुनते-सुनते यदि श्रोता को समझ में न आ पाये तो खबर की उस शैली को कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। हिन्दी के बुलेटिनों में प्रयुक्त भाषा के बारे में प्राय: दुरूहता और क्लिष्टता का आरोप लगाया जाता है। अधिकांश लोगों का विचार है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जैसी प्राय: गांधीजी इस्तेमाल करते

थे और जैसी भाषा प्राय: फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। कुछ बहुत उत्साही लोग संस्कृत-गर्भित भाषा का पक्ष लेते हैं, परन्तु रेडियो प्रसारण किसी भाषा के प्रचार का माध्यम नहीं होना चाहिए। भारत के प्रथम सूचना मंत्री सरदार पटेल का भी यही मत था वे भाषा किसी के ऊपर थोपने के पक्ष में नहीं थे।

संविधान की धारा 351 के अनुसार :

"संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन दे, इसका इस प्रकार विकास करे कि वह भारत की मिली-जुली संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने और संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के उपयुक्त शब्दों को अपनाकर अपने शब्दकोश को समृद्ध करे। आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भारत की अन्य भाषाओं में व्यवहृत अभिव्यक्तियों, स्वरूपों और शैली में बिना कोई व्यवधान डाले उन्हें आत्मसात् करके अपने को समृद्ध करे।"

समाचार बुलेटिनों को अच्छी तरह तैयार करना ही सब कुछ नहीं होता। उसका अच्छी प्रकार पढ़ा जाना भी बहुत कुछ आवश्यक होता है। आकाशवाणी को शब्दों का सही उच्चारण करने का आदर्श उपस्थित करना चाहिए। गलत नामों के उच्चारण से श्रोताओं में रेडियो प्रसारण के प्रति धारणा गलत बनती है। आकाशवाणी को समय-समय पर नई 'आवाजों' को भी मौका देना चाहिए। इससे बुलेटिनों को रोचक बनाने में सहायता मिलती है।

भारत जैसे विशाल देश में एक ही केन्द्र से देश के हर भाग में समाचार पहुंचाना बहुत कठिन कार्य है, विशेषतया जिस देश में इतनी अधिक भाषाएं, इतने सांस्कृतिक समूह, धर्म तथा जीवन पद्धतियों की विविधता पाई जाती है। इसलिए दिल्ली की केन्द्रीय सेवा के अतिरिक्त समाचार सेवा प्रभाग की देश भर में प्रादेशिक समाचार इकाइयां स्थापित की गई हैं। जिन क्षेत्रों में क्षेत्रीय समाचार के कई बुलेटिन तैयार होते हैं, वहां उन्हें रिले भी किया जाता है। देश में इस समय 117 प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं। इन बुलेटिनों का प्रसारण 22 भाषाओं और 35 जनजातीय बोलियों में किया जाता है।

इस समय देश में आकाशवाणी के संवाददाताओं और रिपोर्टरों की कुल संख्या 261 है। काहिरा, तेहरान, हांगकांग और ढाका में आकाशवाणी के विशेष संवाददाता नियुक्त हैं। इसके अलावा लन्दन, बोन, पूर्वी बर्लिन, दमिश्क, नैरोबी और ब्रुसेल्स में आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता भी हैं। आकाशवाणी के समाचार के अलावा मुख्यालय तथा क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों से भी अनेक बुलेटिनों का प्रसारण किया जाता है जैसे—छोटे समाचार पत्रों के लाभ के लिए दिल्ली से अंग्रेजी और हिन्दी में लगभग 25-25 मिनट के धीमी गति के समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं। रेडियो श्रीनगर से इसी प्रकार का एक बुलेटिन उर्दू में प्रसारित किया जाता है।

## लोकरुचि समाचार बुलेटिन

श्रोताओं को मनोरंजक और दिलचस्प खबरें देने के लिए 7 अगस्त, 1977 से हिन्दी में लोकरुचि समाचार बुलेटिन शुरू किया गया है। हर रविवार को सवेरे नौ बजकर पांच मिनट (9.05) पर लोकरुचि बुलेटिन प्रसारित किया जाता है। इसे कई अन्य केन्द्र रिले करते हैं। रात 8·20 पर विविध भारती पर इसका पुन: प्रसारण भी किया जाता है। यह बुलेटिन क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है।

## कार्यक्रम समाचार पत्रों से

समाचार सेवा प्रभाग भारतीय समाचार पत्रों की सम्पादकीय टिप्पणियों का एक कार्यक्रम हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रसारित करता है। 'कमेन्ट फ्राम प्रेस' अंग्रेजी में शाम 5·50 पर और हिन्दी में कार्यक्रम शाम 8.25 पर दिल्ली 'बी' से प्रसारित किया जाता है। इसमें किसी प्रमुख सामयिक विषय पर देश के अनेक समाचार पत्रों के सम्पादकीय लेखों को आधार मानकर एक 'राउंड अप' का प्रसारण करते हैं। यह कार्यक्रम पहली सितम्बर 1977 से शुरू किया गया।

## न्यूज रील

रेडियो 'न्यूज रील' कार्यक्रम का प्रसारण 9 दिसम्बर 1955 से शुरू हुआ। इसमें प्रमुख सामयिक घटनाओं का 'ध्वनि-चित्र' प्रस्तुत किया जाता है।

'न्यूज रील' कार्यक्रम अंग्रेजी में सप्ताह में तीन दिन (मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को) तथा हर सोमवार को 'स्पोर्ट्स न्यूज रील' प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम दस मिनट का होता है। हिन्दी में 'समाचार दर्शन' कार्यक्रम सप्ताह में तीन दिन (बुधवार, शुक्रवार और रविवार) को प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम भी दस मिनट का ही होता है। 'न्यूज रील' के ये सभी कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8.15 पर दिल्ली 'बी' से प्रसारित किये जाते हैं ।

## स्पॉट लाइट

'स्पॉट लाइट' कार्यक्रम अंग्रेजी समाचारों के तुरन्त बाद अर्थात 21.25 पर प्रतिदिन दिल्ली 'ए' से प्रसारित किया जाता है। इससे पहले 'टॉपिक फार टुडे, और 'फोकस' नामक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते थे। इन कार्यक्रमों को 'इन द न्यूज' नाम से प्रसारित किया जाने लगा था और बाद में इसी का नाम बदल कर 'स्पॉट लाइट' कर दिया गया। स्पॉट लाइट कार्यक्रम में प्राय: सामयिक महत्व के किसी विषय पर प्रसिद्ध पत्रकारों, लेखकों या अन्य बुद्धिजीवियों के विचार प्रस्तुत किये जाते हैं।

## सामयिकी

सामयिकी कार्यक्रम शाम को 7.35 पर प्रतिदिन दिल्ली 'बी' से प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम हिन्दी में बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसा अंग्रजी में 'स्पॉट लाइट' होता है। इसमें भी तात्कालिक महत्व के विषय पर प्रमुख पत्रकारों अथवा लेखकों और विद्वानों के विचारों को प्रसारित किया जाता है। कार्यक्रमों के प्रसारण के मामले में आकाशवाणी प्राय: रचनात्मक भूमिका निभाता है और उच्च व्यावसायिक स्तर का परिचय देता है। आकाशवाणी की भूमिका इसमें प्राय: माध्यम मात्र की होती है। आकाशवाणी का सामयिकी सम्पादक केवल उन्हीं स्थितियों में हस्तक्षेप करता है जब उसमें कोई आपत्तिजनक बात सम्मिलित हो, जो साम्प्रदायिक हो अथवा राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से उचित न हो या वक्ता सामयिकी कार्यक्रम में कोई ऐसी बात न कह दे जिससे सार्वजनिक विवाद पैदा हो जाये। इस कार्यक्रम में भरसक ऐसे विषय सम्मिलित किये जाते हैं जो विचारोत्तेजक हों और

जिनसे किसी सामयिक विषय पर श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो।

## करेंट अफेयर्स

सामयिक महत्व के विषयों पर हर रविवार को दिल्ली 'बी' से रात 9.30 पर 'करेंट अफेयर्स' कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम 1966 से शुरू किया गया। इसकी अवधि 30 मिनट होती है।

## चर्चा का विषय है

हिन्दी में प्रसारित किया जाने वाला यह साप्ताहिक कार्यक्रम 15 जनवरी 1972 से शुरू किया गया। इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाता है और यह अंग्रेजी के कार्यक्रम 'करेंट अफेयर्स' जैसा ही है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों को अन्य प्रसारण केन्द्र भी रिले करते हैं।

## राज्यों की चिट्ठियां

समाचार सेवा प्रभाग प्रतिदिन सवेरे नौ बजे 'राज्यों की चिट्ठियां' नाम का एक कार्यक्रम हिन्दी में प्रसारित करता है। इसे प्राय: आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करते हैं। यह कार्यक्रम नवम्बर, 1974 से शुरू किया गया। इसकी अवधि पांच मिनट की होती है और इसमें राज्यों की आर्थिक सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा अन्य विकास-गतिविधियां प्रसारित की जाती हैं।

इसी प्रकार का पांच मिनट का एक कार्यक्रम हर राज्य में प्रसारण केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है, जिसमें जिले की चिट्ठियां प्रसारित की जाती हैं।

## तब्सरा

रात 9.15 पर उर्दू समाचार के बाद खबरों का तब्सरा दिल्ली 'ए' से प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम अंग्रेजी के 'स्पॉट लाइट' तथा हिंदी के 'सामयिकी' कार्यक्रम की ही तरह से होता है। इसमें भी सामयिक महत्व के किसी खास विषय की खबरों का खुलासा किया जाता है।

'तब्सरा' कार्यक्रम डोगरी, कश्मीरी तथा अरुणाचल बुलेटिनों के बाद भी प्रसारित किया जाता है। इसकी अवधि पंद्रह मिनट की होती है और इसमें भी सामयिक महत्वों के विषयों पर प्रमुख पत्रकारों, लेखकों और विद्वानों के विचार प्रस्तुत किये जाते हैं।

## संसद् समीक्षा

दिल्ली में जिन दिनों संसद् का अधिवेशन चालू होता है उन दिनों प्रतिदिन हिंदी और अंग्रेजी में संसद् की कार्यवाही की समीक्षा प्रसारित की जाती है। हिंदी में 'संसद समीक्षा' और अंग्रेजी में 'टु डे इन पार्लियामेंट' प्रसारित किये जाते हैं। इनका प्रसारण संसद् के अधिवेशन के दिनों में नियमित रूप से किया जाता है। इन्हें प्रमुख पत्रकारों से लिखवाया जाता है, जिससे संसद् की कार्यवाहियों के बारे में समीक्षा निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत की जाये और श्रोताओं को अपने प्रतिनिधियों द्वारा संसद् में व्यक्त विचारों की तात्कालिक सूचनाएं मिलती रहें। अधिवेशन के दौरान हर शनिवार को 'इस सप्ताह संसद में' शाम 8.30 पर और 'वीक इन पार्लियामेंट' अंग्रेजी में प्रसारित किये जाते हैं।

देश के क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों से भी सम्बद्ध राज्यों में विधान मंडलों अथवा विधान सभाओं की कार्यवाहियों के बारे में यथेष्ट सामग्री देने का प्रयास किया किया जाता है।

क्षेत्रीय स्टेशनों से विभिन्न सभाओं, सम्मेलनों और गोष्ठियों आदि की खबरें तथा ध्वनियों के आधार पर प्रादेशिक 'न्यूज रील' प्रसारित किये जाते हैं।

### समाचार सेवा प्रभाग

| | बुलेटिन | बुलेटिनों की संख्या | दैनिक प्रसारण-कुल अवधि | भाषाएं, बोलियां |
|---|---|---|---|---|
| समाचार बुलेटिन (केन्द्रीय) | राष्ट्रीय | 68 | 10 घंटे 20 मिनट | — |
| | क्षेत्रीय (दिल्ली से 3 सहित) | 123 | 15 घंटे 39 मिनट | 60 |
| | विदेशी | 63 | 8 घंटे 30 मिनट | 24 |
| समाचार कमेंट्री (केन्द्रीय) | दैनिक कमेंट्रीज, | 6 | 40 मिनट | 6 |
| | दैनिक समीक्षाएं/राउंड अप | 2 | 10 मिनट | 2 |

## समाचार प्रसारण के लिए मार्ग-निर्देश

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पुन: सत्ता में आने के बाद नई केन्द्रीय सरकार द्वारा जो मार्ग-निर्देश जारी किये गये, उसका देश की समाचार-प्रसारण व्यवस्था के लिए बहुत महत्व है। समाचार बुलेटिनों के प्रसारण में उनके महत्व को देखते हुए उनको यहां प्रस्तुत करना मैं अत्यंत समीचीन समझता हूं। इन मार्ग-निर्देशों में कहा गया है, "माध्यम के कार्यकलाप राष्ट्र-निर्माण कार्यों में एक निवेश होने चाहिएं। उन्हें लोगों के विश्वास को और दृढ़ करना चाहिए, आत्मनिर्भरता के विचार का सम्वर्द्धन करना चाहिए और एकता तथा राष्ट्रीय समरसता की शक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकारी माध्यमों को समाज के सभी वर्गों, विशेषकर युवाओं के प्रति विश्वसनीय तथा रुचिकर होने चाहिएं।" सरकार ने विभिन्न सूचना और प्रचार माध्यमों के लिए निम्नलिखित मार्ग-निर्देशों का अनुमोदन किया है :

"माध्यम एककों को सरकारी कार्यक्रमों, नीतियों और सफलताओं का प्रभावी ढंग से प्रसार करना चाहिए। सभी क्षेत्रों में विकास के कार्यकलापों से सम्बद्ध (जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार-कल्याण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शामिल हैं) विषयों पर सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना चाहिए और इन कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

"सरकारी प्रचार माध्यम इकाइयों को ग्रामीण लोगों, अल्पसंख्यक समुदायों, महिलाओं, बच्चों, अशिक्षित तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों की सेवा करने के लिए जोरदार प्रयास करने चाहिएं।

"प्रत्येक जनसंचार माध्यम द्वारा नेत्रहीनों, मूकों एवं बधिरों तथा अन्य विकलांगों के व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों तथा समाज के इस वर्ग की सेवा करने वाली संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहन देने की कोशिश करनी चाहिए। प्रचार माध्यमों को कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों का उन्मूलन करने और उनके प्रति दुर्भावनाओं को दूर करने के लिये किए जा रहे अच्छे कार्यों का प्रचार करना चाहिए।

"अस्पृश्यता, संकीर्ण अलगाव आदि प्रवृत्तियों और भावनाओं, असमानताओं तथा शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी उपयुक्त

कार्यक्रम तैयार करना चाहिए । इस संबंध में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विशेष प्रचार किया जाना चाहिए ।

"आकाशवाणी, दूरदर्शन और फिल्म प्रभाग द्वारा सूचना, खबरों और टिप्पणियों का प्रचार सही, निष्पक्ष और सन्तुलित ढंग से करना चाहिए, जिसमें घटनाओं और गतिविधियों के बारे में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को भी शामिल किया जाता हो। मानवरुचि जाग्रत करने के लिए बड़े व्यक्तियों का प्रमुखता से उल्लेख किया जाये ।

"जनसंचार इकाइयों को अपने कार्यकलापों में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । जनसंचार माध्यमों को उन बातों में दर्शकों/श्रोताओं की रुचि पैदा करने का प्रयास करना चाहिए कि उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं और इसके लिए उन्हें घटनास्थलों पर जाकर सही बातों और वास्तविकता का पता लगाकर स्थानीय रुचि की बातों को अपने कार्यक्रमों में स्थान देना चाहिए । जन संचार माध्यम इकाइयों को अपने को केवल इसी बात तक सीमित नहीं रखना चाहिए कि सरकार क्या करने की योजना बना रही है, अपितु स्थानीय समस्याओं के हल की ओर तथा विकास गतिविधियों में वैयक्तिक तथा सामूहिक सफल प्रयासों के लिए क्या किये जा रहे हैं, उनके उदाहरणों का विशेष रूप से प्रचार करना चाहिए । समस्याओं और मुद्दों पर लोगों के दृष्टिकोण को भी प्रसारित करना चाहिए और बिना किसी हिचकिचाहट के स्वस्थ आलोचना प्रस्तुत करनी चाहिए ।

"जनसंचार माध्यमों, विशेषकर आकाशवाणी और दूरदर्शन को समाचार और रूपक ऐसे प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए, जिनमें गहराई हो और छानबीन की गई हो । प्रसारण में विविधता लाने की ओर अपेक्षाकृत अधिक प्रयास किया जाना चाहिए, इसमें सहयोग के लिए इसमें अधिक-से-अधिक व्यक्तियों की गतिविधियों और उन स्थानों को सम्मिलित करना चाहिए जहां से खबरें पैदा हुई हों और जिनके स्रोत विश्वसनीय हैं ।

"जन संचार माध्यमों को आपस में लगातार सम्पर्क रखना चाहिए और एक-दूसरे के कार्यक्रमों तथा संसाधनों को सहयोग देना चाहिए तथा प्रभावी क्षैतिज (व्यापक) सम्पर्क स्थापित करना चाहिए ।

"प्रत्येक जनसंचार माध्यम को अपने विशेष उद्देश्यों, संसाधनों तथा कार्यक्रमों के सम्बंध में अपने कार्य-निष्पादन का लगातार मूल्यांकन तथा पुन: आकलन करने के लिए पर्याप्त प्रणाली (व्यवस्था) रखनी च।हिए।"

## विदेश सेवा

आल इंडिया रेडियो की विदेश सेवा का लक्ष्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर भारत की प्रवृत्ति तथा दृष्टिकोण को विशेषकर अन्य देशों के लोगों (विशेषकर वहां बसे भारतीय मूल के लोगों) तक पहुंचाना और देश की सही तस्वीर प्रस्तुत करना है। विदेश सेवा के प्रसारणों में इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है कि इस विशाल देश की सांस्कृतिक धरोहर तथा विविधता में एकता के विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में प्रसारित किया जाये। विदेश सेवा कार्यक्रम दिन-रात 25 (17 विदेशी और 8 भारतीय) भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं। प्रतिदिन के सम्प्रेषणों की संख्या 30 है और अवधि 56 घण्टे 45 मिनट है। 'आल इंडिया' की विदेश सेवा दूसरा विश्वयुद्ध शुरू होने के लगभग एक महीने वाद पहली अक्तूबर 1939 को शुरू हुई। पहला प्रसारण पश्तो भाषा में हुआ। उन दिनों भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था और तत्कालीन प्रसारण व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन 'प्रोपगण्डा' का मुकाबला करने के लिए तथा अपने सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण करती थी। पश्तो के बाद दिसम्बर 1939 में दरी (अफगानिस्तान तथा फारस के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली) भाषा में प्रसारण शुरू हुआ। इसके बाद फारसी, अरबी, बर्मी, और चीनी में भी सेवाएं शुरू की गईं। 1945 में जापान के भी युद्ध में कूद पड़ने पर 'फार ईस्टर्न ब्यूरो' (एफ०ई०बी०) (जो इन दिनों ब्रिटिश सूचना मंत्रालय का कार्यालय था) के निर्देशों पर दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए हिन्दी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में भी प्रसारण शुरू किये गये। ये सेवाएं विशेषतया भारतीय मूल के लोगों के लिए शुरू की गईं। 1945 तक प्रतिदिन 22 भाषाओं में 74 प्रसारण किये जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हो जाने के बाद मित्र-राष्ट्रों की राजनीतिक प्रसारणों में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई और उन्होंने प्रसारण का अपना सारा साज-सामान तथा

ट्रांसमीटर आदि 'आल इंडिया रेडियो' को सौंप दिया । 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद हमारी विदेश नीति में बहुत परिवर्तन आ गया । 1962 में चीनी आक्रमण के समय विदेश प्रसारण की अपर्याप्तता की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट हुआ । उसके बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में कई ट्रांसमीटर लगाये गये ।

कलकत्ता और भुज में एक-एक हजार कि० वाट के दो अत्युच्च क्षमता के मीडियम वेव टांसमीटर लगाये गये । अलीगढ़ के पास भी ढाई-ढाई सौ किलोवाट के दो ट्रांसमीटर लगाये गये हैं ।

हमारी विदेश सेवा प्रसारण के लक्ष्य-क्षेत्र निम्नलिखित हैं

(1) भारत के पड़ोसी देश,

(2) एशिया के पूर्वी, दक्षिणी-पूर्वी तथा अरब जगत ।

(3) यूरोपीय देश एवं सोवियत संघ ।

उत्तरी अमरीका तथा दक्षिणी अमरीका के देश, फिलहाल 'आल इंडिया रेडियो' की तकनीकी क्षमता परिधि के बाहर हैं । हमारी विदेश सेवा के लक्ष्य–क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए हमें सम्प्रेषण क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए । सम्प्रेषण विशेषज्ञों की राय में हमें विदेश सेवा के लिए अत्युच्च क्षमता के कम-से-कम 4 ट्रांसमीटर लगाने चाहिए तभी प्रसारण का अभीष्ट लाभ मिल सकता है ।

ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन (बी०बी०सी०) के पास 100 घंटे की विदेश सेवा प्रसारण के लिए 70 ट्रांसमीटर हैं जो अत्युच्च क्षमता अथवा उच्च क्षमता वर्ग के हैं, जबकि आल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) उससे लगभग आधे समय के प्रसारण के लिए बी०बी०सी० की ट्रांसमिशनक्षमता का 10वां हिस्सा भी प्रसारित नहीं करता है । विदेशी प्रसारण सेवा में दिनों-दिन सम्प्रेषण हस्तक्षेप बढ़ते जा रहे हैं । मीडियम वेव के मेगावाट शक्ति वाले ट्रांस-मीटर रात में तो स्पष्ट सुने जाते हैं, परन्तु दिन में 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक नहीं सुने जाते हैं । आकाशवाणी एक लक्ष्य क्षेत्र के लिए इस समय 2 या 3 ट्रांसमीटरों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि विश्व के अन्य प्रसारण संगठन कम-से-कम 5 या 7 ट्रांसमीटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं । इन स्थितियों में आल इंडिया रेडियो को शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़ानी ही होगी । भारत को विदेशी प्रसारण के क्षेत्र में अनेक प्रसारण संगठनों का सामना करना

पड़ रहा है। इसलिए भारत ने 1979 में जेनेवा में आयोजित 'वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रेडियो कांफ्रेंस' में प्रस्ताव किया था कि उच्च आवर्ती बैंडों का इस्तेमाल योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए। आल इंडिया रेडियो के विदेश सेवा प्रसारणों का समय भी बढ़ाने की आवश्यकता है। आकाशवाणी की जो सेवाएं बहुत लोकप्रिय हैं, उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बर्मी, थाई, मलाई और चीनी भाषाओं के प्रसारण कार्यक्रमों का समय लगभग एक है, इनके समय के बारे में विचार करना आवश्यक है।

विदेश सेवा कार्यक्रमों में कुशल कर्मचारियों का होना आवश्यक है। अधिकांश अफ्रीकी और एशियाई देशों से अच्छे अनुवादक और प्रसारक नहीं उपलब्ध हो पाते, उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। हमारे देश में उन कर्मचारियों को आवास की अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती। केवल कस्तूरबा गांधी मार्ग पर कुछ आवास हैं, परन्तु वह पर्याप्त व्यवस्था नहीं कही जा सकती।

प्रसारण की भाषा हमेशा सरल और मुहावरेदार होनी चाहिए जैसे—हमारे यहां से विदेशी सेवा में अरबी और फारसी के जो बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं, उनकी भाषा पुस्तकीय होती है जिसे प्रसारण लक्ष्य-क्षेत्र के अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। भाषा के साथ-साथ उस क्षेत्र की विशेषज्ञता का होना भी आवश्यक है। वहां की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में समाचार प्रसारकों को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए यह आवश्यक है कि विदेश सेवा प्रभाग में नियुक्त कर्मचारियों को समय-समय पर उन क्षेत्रों की यात्रा पर भेजा जाये, ताकि वे वहां की परिस्थितियों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें।

### संगठन

विदेश सेवा प्रभाग का प्रधान एक निदेशक होता है उसके सहयोग के लिए एक अतिरिक्त निदेशक और 5 उप-निदेशक होते हैं। निदेशक वार्ता-एकक का कार्य भी देखता है। कमेंट्री लिखने के लिए वार्ता अधिकारी (टाक्स अफसर) होते हैं जो प्राय: सी०आई०एस० के होते हैं। उपनिदेशकों में

से एक उपनिदेशक उर्दू तथा पड़ौसी देशों के लिए सवाओं, दूसरा सामान्य समुद्रपारीय सेवा (जनरल ओवरसीज सर्विस), पश्चिम सेवा, चौथा पूर्वी एशिया और पांचवां अफ्रीका और यूरोप तथा विदेशी प्रसारण संगठनों को कार्यक्रमों की सप्लाई संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। इसके अतिरिक्त कई प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, प्रोड्यूसर होते हैं। हर विदेशी भाषा में एक सुपरवाइजर तथा अनुवादक उद्घोषक होते हैं।

## जनरल ओवरसीज सर्विस

जनरल ओवरसीज सर्विस विदेश सेवा प्रसारण की अंग्रेजी सेवा है। पश्चिम यूरोप, ब्रिटेन, दक्षिण और पूर्व एशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, उत्तर तथा पश्चिम अफ्रीका के श्रोताओं के लिए 4 ट्रांसमीटरों से प्रतिदिन 9 घंटे 45 मिनट प्रसारण किया जाता है। अन्य सेवाएं एक घंटे से लेकर ढाई घण्टे तक की होती हैं। इनमें अरबी, चीनी, पश्तो, नेपाली, फारसी, तिब्बती, स्वाहिली, इन्दोनेशियाई, रूसी और फ्रेंच शामिल हैं।

उर्दू सर्विस 12 घंटे 15 मिनट के लिए उप महाद्वीपीय सेवा प्रस्तुत करती है। इसके अलावा तमिल, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

विदेश समाचार सेवा प्रभाग 100 से अधिक विदेशी प्रसारण संगठनों को विभिन्न प्रकार की रिकार्डिंग भेजता है। जिन देशों के साथ हमारे देश के सांस्कृतिक आदान-प्रदान संबंध हैं, उन्हें ये रिकार्डिंग भेजी जाती हैं। 'ब्राडकास्टिंग आफ अमरीका' को साप्ताहिक समीक्षाएं, 'क्यूबा रेडियो' को पंजाबी के 'मन्थली न्यूज लेटर' और के० एन० डी० आई० (हवाई, मारिशस, कनाडा) को भारत से साप्ताहिक रिपोर्ट और मारीशस और सेनेगल के प्रसारण संगठनों को फ्रेंच में पाक्षिक आधार पर कार्यक्रम और आबूधाबी तथा कतर को उर्दू में कार्यक्रम भेजे जाते हैं।

प्रसारण लक्ष्य देशों के श्रोताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आकाशवाणी से पत्रिकाएं, स्मारिकाएं और अन्य सूचना सामग्रियां भी भेजी जाती हैं।

## विदेश सेवा प्रभाग

(अ)

| क्रम संख्या | भाषा का नाम | प्रसारण-समय (भारतीय मानक समय) | प्रसारण-अवधि | प्रसारण का लक्ष्य-क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अरबी | 1000-1030<br>2315-0115 | 2 घंटे 30 मिनट | सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक एवं खाड़ी के देश |
| 2, | इन्दोनेशियाई | 1415-1515 | 1 घंटा | इन्दोनेशियाई |
| 3. | चीनी (कंटोनी/कूयो) | 0315-0415<br>1745-1845 | 2 घंटे | चीन |
| 4. | तिब्बती | 0745-0800<br>1800-1930 | 1 घंटा 45 मिनट | तिब्बत, सिक्किम, भूटान तथा भारत का तिब्बती भाषी क्षेत्र |
| 5. | थाई | 1700-1730 | 30 मिनट | थाईलैंड |
| 6. | दरी | 0830-0915<br>1900-2000 | 1 घंटा 45 मिनट | अफगानिस्तान |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | नेपाली | 0700-0745<br>1230-1300<br>1930-2010 | 1 घंटा<br>55 मिनट | नेपाल |
| 8. | पश्तो | 0745-0830<br>2000-2115 | 2 घंटे | अफगानिस्तान |
| 9. | फारसी | 0930-1000<br>2145-2315 | 2 घंटे | ईरान |
| 10. | फ्रेंच | 0015-0100<br>1645-1700 | 1 घंटा | उत्तरी तथा पश्चिमी अफ्रीका |
| 11. | बर्मी | 0615-0645<br>1645-1745 | 1 घंटा<br>30 मिनट | बर्मा |
| 12. | बलूची | 1830-1900 | 30 मिनट | बलूचिस्तान |
| 13. | रूसी | 2145-2245 | 1 घंटा | मॉस्को के दक्षिण-पश्चिमी सोवियत संघ क्षेत्र |
| 14. | सिंहली | 1830-1900 | 30 मिनट | श्रीलंका |
| 15. | स्वाहिली | 2045-2145 | 1 घंटा | तंजानिया, कीनिया, जांबिया, जायरे, युगांडा, थाईलैण्ड |

## विदेश सेवा प्रभाग

(ब)

| क्रम संख्या | भाषा का नाम | प्रसारण-समय (भारतीय मानक समय) | प्रसारण-अवधि | प्रसारण का लक्ष्य-क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1. | उर्दू | 0545-1000<br>1400-1700<br>2000-0100 | 12 घंटे 15 मिनट | पाकिस्तान |
| 2. | कोंकणी (बम्बई से) | 1005-1015 | 10 मिनट | पूर्वी अफ्रीका |
| 3. | गुजराती (बम्बई से) | 0945-1000<br>2230-2315 | 1 घंटा | पूर्वी अफ्रीका |
| 4. | तमिल | 0530-0615 | 1 घंटा 45 मिनट | दक्षिण पूर्व एशिया |
| | | 1700-1800 (मद्रास से) | | दक्षिण पूर्व एशिया |
| 5. | पंजाबी (जालंधर से) | 1900-2000 | 1 घंटा | पाकिस्तान |
| 6. | बंगला (कलकत्ता से) | 0820-1000<br>1330-1630<br>2130-2330 | 6 घंटे 10 मिनट | बंगलादेश |
| 7. | सिंधी | 1730-1830 | 1 घंटा | पाकिस्तान |
| 8. | हिन्दी | 0430-0530 | 2 घंटे 45 मिनट | दक्षिण-पूर्व एशिया |
| | | 0845-0945<br>2145-2230 | | पूर्वी अफ्रीका |

## सामान्य समुद्रपारीय सेवा
## (जनरल ओवरसीज सर्विसज)

| क्रम संख्या | अंग्रेजी भाषा | प्रसारण-समय (भारतीय मानक समय) | प्रसारण-अवधि | प्रसारण का लक्ष्य-क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अंग्रेजी | 0415-0645 | 2 घंटे 30 मिनट | पूर्व, दक्षिण-पूर्व तथा उत्तर-पूर्व एशिया |
| 2. | ,, | 1530-1630 | 9 घंटे 45 मिनट | उत्तर पूर्व एशिया, आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड |
| 3. | ,, | 1900-2030 | 1 घंटा 30 मिनट | दक्षिण-पूर्व एशिया |
| 4. | ,, | 2315-0400 | 4 घंटे 45 मिनट | पश्चिम एशिया, उत्तरी यूरोप, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम अफ्रीका, आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड |

### पत्रिकाएं

विदेश सेवा प्रभाग 'इंडिया कालिंग' नाम की एक मासिक पत्रिका अंग्रेजी में प्रसारित करता है। इसके अतिरिक्त 10 विदेशी भाषाओं में

तिमाही पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करता है। ये भाषाएं निम्नलिखित हैं : अरबी, बर्मी, चीनी, दरी, फ्रैंच, इन्दोनेशियाई, नेपाली, पश्तो, स्वाहिली और तिब्बती। ये प्रकाशन समुद्रपारीय श्रोताओं को निःशुल्क भेजे जाते हैं।

### कार्यक्रम विनिमय एकक

आल इंडिया रेडियो सांस्कृतिक आदान-प्रदान समझौतों और आकाशवाणी के कार्यक्रम-विनिमय समझौतों के अन्तर्गत लगभग 150 देशों तथा विदेशी प्रसारण संगठनों को संगीत, उच्चरित शब्दों तथा अन्य कार्यक्रमों की रिकार्डिंग की सप्लाई करता है। इसके अलावा वह भारत से सम्बन्धित उपयुक्त समाचार सामग्री विभिन्न विदेशी प्रसार संगठनों को भेजता है। विदेशी प्रसारण एजेंसियों को मदद देने के लिए वह उनकी दिलचस्पी वाले कार्यक्रमों का चयन भी करता है। आकाशवाणी एक तिमाही बुलेटिन प्रकाशित करता है। जिसमें रेडियो कार्यक्रमों का विवरण दिया जाता है। ये श्रोताओं तथा एजेंसियों को भेजे जाते हैं।

## आउट ब्राडकास्ट (ओ.बी.)

'आउट ब्राडकास्ट' यानी 'ओ. बी.' का तात्पर्य है—बाहर से रेकार्डिंग करके लाना तथा उसे स्टूडियो से 'ब्राडकास्ट' करना या बाहर से 'ब्राडकास्ट' करना। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समारोहों जैसे—गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) तथा स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) या किसी महान् व्यक्ति या राष्ट्रीय नेता के जीवन से सम्बद्ध किसी समारोह, राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री के भाषण या खेल समारोहों तथा मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाता है। कभी-कभी किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति या अत्यन्त महत्वपूर्ण समारोह की रेकार्डिंग करके लाते हैं और उसे स्टूडियो से प्रसारित करते हैं।

'ओ. बी. यूनिटें' प्रायः बड़े रेडियो स्टेशनों पर ही होती हैं। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में समय-समय पर अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति आते रहते हैं, इसमें से कई राष्ट्र नेता या राजनेता केवल थोड़े समय ही रुकते हैं। हवाई अड्डे पर ही उनके विचारों को रेकार्ड करने के लिए 'ओ. बी. यूनिट' को वहां जाना पड़ता है। इसी प्रकार दिल्ली में बड़े-बड़े राष्ट्रीय

और अन्तर्राष्ट्रीय समारोह जैसे गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन एवं एशियाई खेल समारोह जैसे आयोजन किये जाते हैं। इनके प्रसारण में भी 'ओ. बी. यूनिट' महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केन्द्र में मंत्रियों के शपथ-ग्रहण समारोह की रेकार्डिंग भी ओ. बी. यूनिटें ही करती हैं।

किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण समारोह जैसे—कुम्भ-पर्व या समय-समय पर पड़ने वाले अन्य प्रमुख त्यौहारों आदि के आधार पर यदि कोई रूपक (फीचर) तैयार करना हो अथवा कोई मिला-जुला कार्यक्रम तैयार करना हो, तो 'ओ.वी. यूनिट' रेकार्डिंग करके लाती है और उससे प्रसारण के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाता है।

'ओ. बी. यूनिट' में प्राय: एक सहायक केन्द्र अभियन्ता सीनियर इंजीनियरिंग एसिस्टेंट या इंजीनियरिंग असिस्टेंट, तकनीशियन तथा सामान एवं आवश्यक उपकरणों को लाने ले जाने के लिए सहायक होते हैं। कार्यक्रमों की रेकार्डिग के लिए आवश्यकतानुसार 'स्टाफ' तथा उपकरण आदि ले जाते हैं, जैसे यदि संगीत का कार्यक्रम है, तो उसमें 'सोलों' या 'आर्कैस्ट्रा', कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार ही ओ. वी. 'एम्प्लीफायर' ले जाते हैं। कार्यक्रम के स्थान पर पहुंचते ही संयोजक या आयोजक से बातचीत करके यह देख लेते हैं कि माइक कहां पर ठीक तरह से लग सकता है। प्रोड्यूसर से बातचीत करके एम्प्लीफायर की सही ढंग से जांच-परख कर लेते हैं, क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो जाने के बाद बीच-बीच में मंच पर नहीं जाया जा सकता, इसलिए कार्यक्रम प्रारम्भ होने से कुछ समय पूर्व ही उसका टेस्ट कर लेते हैं। आजकल प्राय: एक ही 'माइक' लगाते हैं, परन्तु कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सम्बद्ध कार्यक्रमों की अच्छी रेकार्डिग की सुनिश्चितता के लिए एक अदृश्य (इन्विजिबल) माइक भी लगा देते हैं। यदि मेज पर आमने-सामने बातचीत हो रही है, तो दो 'माइक' भी लगा सकते हैं। कहीं-कहीं पर कार्यक्रमों के दौरान बहुत शोर होता है, उससे बचाकर अच्छी रेकार्डिंग करने के लिए बहुत सूझबूझ की आवश्यकता होती है। रेकार्ड करने वाले इंजीनियर को बहुत सतर्क और सजग रहना पड़ता है।

### कमेन्ट्री

'कमेन्ट्री' 'ओ. बी' का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके लिए डाक व तार विभाग के माध्यम से टेलीफोन लाइनें बुक करा लेते हैं। प्राय:

तीन लाइनें बुक कराई जाती हैं, इनमें से दो लाइनें प्रोग्राम के लिए तथा एक लाइन बातचीत के लिए होती है। कमेन्ट्री वाली तिथि से एक दिन पहले ही जाकर टेलीफोन विभाग से लाइनें चैक कर लेते हैं। बैठने की जगह व्यवस्था भी पहले से देख लेते हैं। आँखों देखा हाल सुनाने वाले 'कमेन्टेटर' के लिए एक अलग प्रकार का 'माइक' लगाया जाता है, जिसे हेडसेट कहते हैं। इस प्रकार के 'माइक' का सर्वाधिक लाभ यह होता है कि बाहर की आवाज का व्यवधान इसमें सुनाई नहीं पड़ता, साथ ही सिर घुमाने पर माईक की दिशा भी बदल जाती हैं, माइक हमेशा सामने रहता है, बोलने में भी कोई रुकावट नही आती।

हिन्दी तथा अंग्रेजी में जब अलग-अलग 'कमेन्ट्री' होतीं है तो डाक व तार विभाग से 5 लाइनें बुक कराई जाती हैं। गणतंत्र दिवस जैसे समारोह के लिए 'एफ. एम. फ्रीक्वेंसी माडुलेशन ट्रांसमीटरों' का भी इस्तेमाल करते हैं। किसी कारणवश यदि टेलीफोन लाइनों पर कार्यक्रम का अभिग्रहण ठीक से नहीं हो पाता है, तो उसे एफ. एम. पर ले लेते हैं। देश में एफ. एम (आवर्ती माडुलेशन) व्यवस्था अच्छी तरह लागू हो जाने के बाद, भविष्य में, लाइनों के बुक कराने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी, क्योंकि एफ. एम. का गुण-स्तर प्राय: लाइनों के गुण-स्तर से बेहतर रहता है।

## सचल ओ. बी.

सचल (मोबाइल) 'ओ. बी.' यूनिट का भी बाहर से रेकार्डिंग करने तथा प्रसारण करने के लिए कभी-कभी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सचल वाहन (मोबाइल वेन) का उपयोग दिया जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ स्थान (स्पॉट) निर्धारित कर लिए जाते हैं तथा उनके लिए लाइनें बुक करा ली जाती हैं। इन स्थानों के बीच-बीच में प्रसारण के लिए 'मोबाइल वैन' का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल वैन में एफ. एम. ट्रांसमीटरों की ही व्यवस्था रहती है। ओ. बी, वैन अपने आप में पूर्ण स्टूडियो की व्यवस्था से युक्त होती है। मोबाइल वैन में जनित्र (जेनरेटर) आदि भी लगे रहते हैं। उसमें ताल-मेल करने के लिए समय निर्धारित कर लेते हैं। ओ. बी. वैन में इंजीनियर, कमेन्टेटर तथा प्रोग्राम इन्चार्ज होते हैं।

अन्य देशों से भी 'आउट ब्राडकास्ट' किये जाते हैं। अधिकांश देशों के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं। इसलिए वहां हर प्रकार की तकनीकी सुविधाएं प्राप्त हो जाती ह। इसके लिए 'विदेश संचार भवन' के माध्यम से लाइनें बुक करा लेते हैं। आमतौर पर चार तारों वाले परिपथ (फोर वायर सर्किट) को बुक कराते हैं। इसमें बोलने का सर्किट अलग और सुनने का सर्किट अलग होता है। भू-उपग्रह (सैटेलाइट) के माध्यम से भी ओ. बी. प्रसारण की सुविधा प्राप्त की जाती है।

# तकनीकी पहलुओं का परिदृश्य

## रेडियो अभियांत्रिक एवं तकनीक व्यवस्था

आकाशवाणी के इंजीनियरिंग विभाग पर प्रमुख रूप से चार कार्यों की जिम्मेदारी है :

(अ) प्रसारण केन्द्रों का संरक्षण तथा संचालन,

(आ) नये प्रसारण केन्द्रों की आयोजना तथा संस्थापना,

(इ) तकनीकी विकास और

(ई) अनुसंधान

प्रसारण केन्द्रों के संरक्षण तथा संचालन में नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम), स्टूडियो की ध्वनि व्यवस्था तथा ट्रांसमीटर की संस्थापना से लेकर रख-रखाव तक के अनेक कार्य शामिल हैं। देश में नये प्रसारण केन्द्रों की स्थापना के बारे में योजना तैयार करना तथा नये ट्रांसमीटरों को लगाने का कार्य भी यही विभाग करता है। हमारे देश में जनवरी 1937 में संस्थापन। विभाग (इन्स्टालेशन डिपार्टमेंट) कायम किया गया। संस्थापना विभाग में चार ग्रुप होते हैं :

(1) मुख्यालय ग्रुप,

(2) लघु तरंग ट्रांसमीटरों की संस्थापना करने वाला ग्रुप

(3) मध्यम तरंग ,, ,, ,, और

(4) ध्वनि सम्बंधी अध्ययन ग्रुप।

इसके अतिरिक्त रिसीविंग सेन्टरों, के लिए भी एक ग्रुप बनाया गया है।

1937 में ही एक अनुसंधान विभाग भी स्थापित किया गया। अनुसंधान विभाग रेडियो स्टेशनों, ध्वनि तरंगों (शार्टवेव, मीडियम), ट्रांसमीटरों आदि के बारे में अनेक प्रकार के अनुसंधान करता है और विभाग की आगामी योजनाओं के बारे में सुझाव देता है।

अनुसंधान विभाग ध्वनि तथा टेलीविजन, उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास, नमूनों (प्रोटोटाइपों) के उत्पादन तथा संचालन संबंधी प्रशिक्षण सेवाओं आदि के बारे में अध्ययन प्रस्तुत करता है। 1982 के एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आकाशवाणी के नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) में आधुनिक किस्म के 'स्विचिंग कण्ट्रोल' के अनेक संरचना संबंधी कामों और अनेक देशों को प्रसार सुविधाएं तथा आंखों-देखा हाल प्रसारित करने, कैप्सूल तैयार करने और प्रत्यंकन आदि की सुविधाएं उपलब्ध करने में अनुसंधान विभाग ने उल्लेखनीय योगदान किया। इस प्रकार दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन (एन० ए० एम०) तथा गुट निरपेक्ष देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के आयोजन में भी अभियांत्रिकी अनुसंधान विभाग ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान किया।

भारत में प्राय: तीन प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है — राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय। इस विविधताओं से भरे विशाल देश में एक ही तरंगों (वेव) वाली सेवा के ट्रांसमीटर लगानें से पूर्व सम्पूर्ण देश में प्रसारण व्यवस्था ठीक से नहीं चल सकती। भारत ने नवम्बर 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के अंतर्राष्ट्रीय आवर्ती (फ्रीक्वेंसी) नियमन मण्डल से मध्यम तरंग (मीडियम वेव) की अनेक फ्रीक्वेंसियां देने का अनुरोध किया था। मण्डल ने भारत के अनुरोध को मान लिया था। परन्तु मध्यम तरंग (मीडियम वेव) पर विदेशी प्रसारणों का हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है। भारत को दिन के लिए 787 तथा रात के लिए 500 आवर्तियां (फ्रीक्वेंसीयां) आबंटित की गई हैं। यह आबंटन 23 नवम्बर, 1978 से 11 वर्षों तक लागू रहेगा और यदि बीच में कोई संशोधन नहीं किया गया तो यह कुछ और समय तक भी लागू रहेगा। चालू योजना (1978-83) में रेडियो के लिए 86.50 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। इसमें से कुछ धनराशि से 12 मध्यम तरंग वाले केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने, 10 नये रेडियो केन्द्र खोलने, विदेश सेवा के लिए 2 उच्च

क्षमता के लघु तरंग ट्रांसमीटर स्थापित करने और एक राष्ट्रीय चैनल शुरू करने का प्रावधान है। हमारे देश में बहुत दिनों से राष्ट्रीय चैनल शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि देश के भीतर और बाहर प्रसारण स्पष्ट सुने जा सक। आकाशवाणी, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गई है। यह समिति राष्ट्रीय चैनल के तकनीकी पहलुओं के बारे में शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दे देगी। राष्ट्रीय चैनल शुरू करने से देश की एकता को बहुत योगदान मिलेगा। दिल्ली से राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण लगभग उसी समय होता है, जबकि देश के अन्य क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक कार्यक्रमों का प्रसारण सुनने का समय होता है। ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में लोग राष्ट्रीय प्रसारण की वजह से क्षेत्रीय कार्यक्रमों को सुनने सें वंचित रह जाते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि नागपुर को मध्य स्थान मानकर दिल्ली, बंगलौर और पटना में $2 \times 1000$ किलोवाट के 4 सुपर मध्यम तरंग ट्रांसमीटर लगा दिये जायें और कलकत्ता के वर्तमान मेगावाट को भी सम्मिलित कर लिया जाये, तो सम्पूर्ण भारत में रात के कार्यक्रम स्पष्ट सुने जा सकते हैं। नागपुर में ट्रांसमीटर लगाना सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त रहेगा। साथ ही यह डाक-तार विभाग के सह-धुरीय (को-एक्सीकल) मार्गों से अच्छी प्रकार जुड़ा रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था होने से मध्यम तरंग और लघु तरंगों वाले कई ट्रांसमीटर खाली हो जायेंगे और उनका उपयोग स्थानीय या क्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किया जा सकेगा।

एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि हमारे देश में यदि दीर्घ तरंग (लांग वेव) आवर्तियों का इस्तेमाल किया जाये तो पूरे देश में प्रथम श्रेणी के संकेतों का प्रयोग किया जा सकता है। दीर्घ तरंग आवर्तियों वाले ट्रांसमीटर, पूंजी-निवेश अथवा रख-रखाव—दोनों ही दृष्टियों सें किफायती सिद्ध होंगे, क्योंकि इनसे टेलीविजन के प्रसारण भी किये जा सकेंगे। परन्तु इस बैंड पर प्रसारण की पूरी सुविधा मिलना संभव नहीं है, साथ ही कुछ विशेषज्ञों को आशंका है कि दीर्घ तरंगों पर रात को प्रसारण स्पष्ट नहीं सुना जाता। परन्तु आकाशवाणी के भूतपूर्व मुख्य अभियंता श्री एस० एन० मित्र ने अपने दीर्घकालीन (20 वर्षों के) अनुभव तथा अनुसंधान के बाद यह घोषणा की है कि रात में दीर्घ-तरंगों

पर सम्प्रेषण लगभग मध्यम तरंगों वाले सम्प्रेषण जैसा ही होता है। परन्तु 1979 में विश्व रेडियो कांफ्रेंस में यह बताया गया कि अमरीका महाद्वीप, एशिया तथा प्रशांत महासागर के देशों के लिए दीर्घ तरंगों वाले बैंड पर प्रसारण सेवा के लिए आबंटन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थितियों में भारत के पास सभी तरंगों की मिली-जुली सेवा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त और कोई उपयुक्त उपाय नहीं रह जाता है। अर्थात् भारत को अपनी लघु-तरंग तथा मध्यम-तरंग वाली सेवाओं के साथ ही दीर्घ तरंगों वाली सेवा भी लागू करनी होगी। अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ ने भारत समेत दुनिया के अनेक देशों को मध्यम तरंगों पर 10 हजार ट्रांसमीटरों का आबंटन किया है। कई देशों ने इनका इस्तेमाल करते हुए उच्च क्षमतायुक्त ट्रांसमीटर लगाने शुरू कर दिये हैं, इससे भारत के प्रसारणों में बहुत बाधा पड़ती है।

भारत मध्यम तरंग की अनेक आवर्तियों का अभी पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यदि इन आवर्तियों का हम उपयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में इनका आवंटन हमसे छिन सकता है। अत: इनका उपयोग करने के लिए हमारे देश में विश्वविद्यालयों और अनेक शिक्षा संस्थाओं में नये प्रसारकों को प्राप्त करने हेतु अनेक प्रसारण केन्द्र खोलकर अवसर दिया जा सकता है।

जेनेवा में वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन कान्फ्रेंस में लघु-तरंग बैंड पर व्यवधान उत्पन्न करने के बारे में चर्चा हुई थी। उसमें भारत ने अन्य विकासशील देशों के साथ इस बात पर बल देते हुए कहा कि भू-कक्ष की आवर्तियों पर कब्जा करने का अधिकार किसी देश-विशेष को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक साधनों पर किसी भी देश का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। भारत के प्रयास का परिणाम यह हुआ कि भू-स्थिर कक्षा को मुक्त कराने में सफलता मिली और अन्तरिक्ष में संचार उपग्रहों की 'पार्किंग' करने तथा रेडियो आवर्तियों के लिए भी अधिकार मिल गया।

देश में ट्रांसमीटरों की संस्थापना हमेशा क्षेत्रीय सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए की जानी चाहिए, ट्रांसमीटरों को राजनीतिक आधार पर अन्धाधुंध नहीं लगाना चाहिए,। ट्रांसमीटरों के स्थान का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए कि वे विभिन्न आवर्तियों वाले ट्रांसमीटरों के लिए पूरक सुविधा उपलब्ध कराएं। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि

किसी खास स्थान में प्रसारण के लिए आयाम-माडुलन वाले ट्रांसमीटर ठीक रहेंगे या आवृर्ती माडुलन वालें। कुछ स्थानों पर कम क्षमता वाले ट्रांसमीटरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कुछ स्थानों पर अत्युच्च क्षमता वालें ट्रांसमीटरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस समय 31 दिसम्बर 1983 को देश में कुल 86 प्रसारण केंद्र हैं, जिनमें 81 रेडियो स्टेशन, 2 रिले केंद्र और 3 व्यापारिक प्रसारण केंद्र हैं। देश में कुल ट्रांसमीटरों की संख्या 162 है, जिनमें 126 मध्यम तरंग वाले, 33 लघु-तरंग वालें और 3 आवर्ती माडुलन (एफ. एम.) ट्रांसमीटर हैं। देश में मध्यम तरंग वाले ट्रांसमीटरों की क्षमता 5158.00 किलोवाट, लघु तरंगों वाले ट्रांसमीटरों की क्षमता 1532·50 किलोवाट और (एफ. एम.) फ्रीक्वेंसी माडुलन वालें ट्रांसमीटरों की क्षमता 45.00 किलोवाट है।

भारत में दिन के समय मध्यम तरंगों वाले प्रसारण यदि शत-प्रतिशत कर दिये जायें, तो भी कुछ दिनों के बाद विदेशी प्रसारणों द्वारा व्यवधान उत्पन्न होनें के कारण 50 % से अधिक अभिग्रहण नहीं हो पायेगा। इसलिए भविष्य की इस आशंका को देखते हुए भारत को लघु तरंगों, मध्यम तरंगों तथा दीर्घ तरंगों, आवर्ती माडुलन सभी प्रकार कें उपलब्ध प्रसारणों की क्षमता वृद्धि कें साथ-साथ वैकल्पिक व्यवस्था कें लिए भी अपनें को तैयार रखना चाहिए और वह वैकल्पिक आदर्श-व्यवस्था हो सकती है—भू·स्थैतिक कक्षा में उपग्रहों की स्थापना तथा उनके माध्यम से प्रसारण। परन्तु इस प्रकार कें प्रसारणों में रेडियो सेट काफी महंगे पड़ेंगे, क्योंकि इस समय अधिकतर रेडियो सैट मीडियम वेव या शार्ट वेव वाले प्रसारणों का अभिग्रहण करने के उपयुक्त हैं।

भू-स्थैतिक कक्षा में स्थित उपग्रहों की स्थापना से मध्यम प्रसारण के अतिरिक्त हमारे देश में अत्युच्च आवर्तियों (वी० एच० एफ०) वाले प्रसारण भी बहुत उपयुक्त हो सकते हैं।

देश में स्थानीय प्रसारण सेवा के लिए कम क्षमता वाले मध्यम तरंग ट्रांसमीटरों का उपयोग किया जा सकता है। इन ट्रांसमीटरों को उन स्थानों में लगाना चाहिए जहां अभी तक ट्रांसमीटर नहीं लगाये जा सके हैं।

आल इण्डिया रेडियो की विदेशी प्रसारण क्षमता को भी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। विश्व के अधिकांश देश 250-500 किलोवाट क्षमता वाले लघु-तरंग ट्रांसमीटरों का प्राय: इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में

जो अन्य ट्रांसमीटर लगाये जा सकते हैं, वे हैं : 10-100 किलोवाट क्षमता वाले । परंतु मौसम की गड़बड़ियों, अनेक प्रकार की आवाजों के कारण प्राय: इन प्रसारणों में व्यवधान पड़ता है । भारत को विदेशों में अपनी अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए तथा देश की समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं एवं वर्तमान प्रगति का परिचय देने के लिए यह आवश्यक है कि विदेश प्रसारण सेवा को अपेक्षाकृत अधिक सक्षम बनाया जाए । आकाशवाणी को चाहिए कि वह अब भू-उपग्रहों की सेवा का पर्याप्त लाभ उठाए ।

अंत में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमें प्रसारण संबंधी साज-सामानों और उपकरणों का अन्य देशों से आयात करने पर नहीं, अपितु अपने ही देश में निर्मित उपकरणों के उपयोग पर विशेष बल देना चाहिए । हमें अपने ही देश के इंजीनियरों की तकनीकी क्षमता और कौशल का उपयोग करना चाहिए ।

इंजीनियरिंग तथा तकनीकी विभाग के कर्मचारियों को स्टूडियो के उपकरणों के रख-रखाव पर हमेशा ध्यान रखना पड़ता है । उन्हें इस बात का पक्का प्रबंध रखना पड़ता है कि स्टूडियो में ध्वनि की उपयुक्त अनुगूंज उठती हो । प्रसारण अच्छा होने के लिए यह भी आवश्यक है कि 'माईक्रोफोन' उपयुक्त तकनीक से लगाया गया हो, 'एम्लीफायर' ठीक ढंग से काम कर रहा हो । स्टूडियो में किसी अन्य प्रकार की, बिजली की या उपकरणों की अनावश्यक आवाज न आती हो । माइक्रोफोन इस प्रकार से लगा हो कि उसमें ध्वनि सही रूप में श्रोताओं तक पहुंचे ।

रिसीविंग सेंटर और स्टूडियो तथा कंट्रोल रूम इस प्रकार से एक-दूसरे से जुड़े हों कि बीच में कोई अनावश्यक आवाज न आये । ट्रांसमीटरों को प्राय: नगरों से काफी दूर और ऊंचाई वाले स्थान पर लगाया जाता है, ताकि ऊंची इमारतों या नगर के हो-हल्ला और अन्य प्रकार की ध्वनियों से प्रसारण में कोई बाधा न पहुंचे । स्टूडिओ प्राय: शहर में ऐसे स्थान पर बनाये जाते हैं, जहां पर लोग आसानी से सुविधापूर्वक पहुंच सकें । स्टूडियो से ट्रांसमीटर टावर तक लाइनें इस प्रकार से बिछाई जाती हैं कि उनमें कोई ध्वनि की गड़बड़ी या बाहरी आवाज न होने पाये । कई बार लाइनों की गड़बड़ी हो जाती है, ऐसी स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आवृत्ति माडुलन (एफ० एम०) सवा भी उपलब्ध कराई जाती है ।

2 दिसम्बर 1981 को एक नई इंजीनियरिंग सेवा बनाई गई, जिसका नाम है :

इंडियन ब्राडकास्टिंग (इंजीनियर्स), सर्विस इसमें कर्मचारियों का क्रम निम्नलिखित है :

| | 30 अक्तुबर 1983 तक की स्थिति |
|---|---|
| रेडियो स्टेशन | 81 |
| रिले केंद्र | 2 |
| व्यापारिक केंद्र | 3 |
| प्रसारण केंद्रों की कुल संख्या | 86 |
| माध्यम तरंग (मीडियम वेव) ट्रांसमीटर | 126 |
| लघु तरंग (शार्ट वेव) ट्रांसमीटर | 33 |
| आवर्ती माडुलन (एफ. एम.) ट्रांसमीटर | 3 |
| ट्रांसमीटरों की कुल संख्या | 162 |
| मध्यम तरंग (मीडियम वेव) ट्रांसमीटर | 5158.00 किलोवाट |
| लघु तरंग (शार्टवेव) ट्रांसमीटर | 1532.50 " |
| आवर्ती माडुलन (एफ. एम.) ट्रांसमीटर | 45.00 " |
| कुल योग | 6735·50 किलोवाट |

# भारत में प्रसारण केन्द्र

| क्रमांक | राज्य | केन्द्र सं० | प्रसारण केन्द्र | स्थापना तिथि | तरंग विवरण | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | असम | 1 | गुवाहाटी | 1-7-48 | 50 कि. म. त. | 729 कि. हर्स |
| | | | | | 10 कि. ल. त. | चौनल-ए |
| | | | | | 10 कि. म. त. | 1035 कि. ह. चौनल-बी |
| | | | | | 10 कि. ल. त. | चौनल-सी |
| | | 2 | डिब्रूगढ़ | 15-2-69 | 100 कि. म. त. | 567 कि. ह. प्राइमरी |
| | | 3 | सिलचर | 15-1-72 | 10 कि. म. त. | 828 कि. ह. |
| 2. | आंध्रप्रदेश | 4 | कुडप्पा | 17-6-63 | 20 कि. म. त. | 900 कि. ह. |
| | | 5 | विजयवाड़ा | 1-12-48 | 20 कि. म. त. | 83 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1503 कि. ह. (कमर्शियल) |
| | | 6 | विशाखा-पत्तनम | 4-8-63 | 100 कि. म. त. | 127 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 7 | हैदराबाद (पहले के डकन रेडियो से 1-4-50 को अधिग्रहण) | 3-2-55 | 50 कि. | 738 कि. ह. (चैनल-ए) |
| | | | | | 10 कि. | 1377 कि. ह. (चैनल-बी) |
| | | | | | 1 कि. | 1170 कि. ह. (कमर्शियल) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | उत्तर प्रदेश | 8 | इलाहाबाद | 1-2-49 | 1 कि. म. त. | 1026 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1485 कि. ह. (कमर्शियल) |
| | | 9 | कानपुर | 15-9-63 | 1 कि· म. त. | 1440 कि. ह. (कमर्शियल) |
| | | 10 | गोरखपुर | 2-10-72 | 100 कि. म. त. | 909 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 11 | नजीबाबाद | 27-1-78 | 100 कि. म. त. | 954 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 12 | मथुरा | 29-1-67 | 1 कि. म. त. | 1520 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 13 | रायपुर | 23-7-65 | 10 कि. म. त. | 891 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 14 | लखनऊ | 2-4-38 | 50 मि. म. त. | 747 कि ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 10 कि. ल. त. | 1278 कि. ह. (कमर्शियल) |
| | | 15 | वाराणसी | 28-10-62 | 10 कि. म. त. | 1242 कि. ह. (प्राइमरी) |
| 4. | उड़ीसा | 16 | कटक | 28-1-48 | 100 कि. म. त. | 972 कि· ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1315 कि. ह. (कमर्शियल) |
| | | 17 | जैपुर | 28-6-64 | 20 कि. म. त. | 1467 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 18 | सम्बलपुर | 26-5-63 | 20 कि. म. त. | 945 कि. ह. (प्राइमरी) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | कर्नाटक | 19 | गुलबर्गा | 11-11-65 | 10 कि. म. त. | 1107 कि. हृ. (प्राइमरी) |
| | | 20 | धारवाड़ | 8-1-50 | 10 कि. म. त. | 765 कि. हृ. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1350 कि. हृ. (कर्मशियल) |
| | | 21 | बंगलौर | 2-11-55 | 50 कि. म. त. | 612 कि. हृ. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 675 कि. हृ. (कर्मशियल) |
| | | 22 | भद्रावती | 7-2-65 | 20 कि. म. त. | 1359 कि. हृ. (प्राइमरी) |
| | | 23 | मैसूर | 14-11-74 | 1 कि. म. त. | 1602 कि. हृ. (स्थानीय) |
| | | 24 | मंगलौर | 11-12-76 | 1 कि. म. त. | 1458 कि. हृ. (प्राइमरी) |
| 6. | केरल | 25 | अलेप्पी | 17-7-71 | 100 कि. म. त. | 576 कि. हृ. (प्राइमरी) |
| | | 26 | कालीकट | 14-5-50 | 10 कि. म. त. | 584 कि. हृ. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1431 कि. हृ. (कर्मशियल) |
| | | 27 | तिरुअ-नन्तपुरम आकाशवाणी द्वारा 1-4-50 को त्रावणकोर रियासत स अधिग्रहण) | 12-3-43 | 10 कि. म. त. | 1161 कि. हृ. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1494 कि. हृ. (कर्मशियल) |
| | | 28 | त्रिचूर | 4-11-56 | 20 कि. म. त. | 630 कि. हृ. (प्राइमरी) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | गुजरात | 29 | अहमदाबाद | 16-4-49 | 50 कि· म. त. | 846 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1440 कि. ह. (कमर्शियल) |
| | | 30 | भुज | 10-10-65 | 10 कि. म. त. | 1314 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 31 | वड़ोदरा | 13-11-76 | 1 कि. म. त. | 1485 कि. ह.(कमर्शियल) |
| | | 32 | राजकोट | 4-1-55 | 10 कि. म. त. | 693 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1442 कि. ह. |
| | | | | | 1000 कि. म. त. | 1961 कि. ह. (कमर्शियल) विदेश |
| 8. | जम्मू-कश्मीर | 33 | जम्मू | 1-12-47 | 50 कि. म. त. | 990 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. ल. त. | 7 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त· | 1089 कि. ह. (युववाणी) |
| | | 34 | लेह | 25-6-71 | 10 कि. म. त. | 1053 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 35 | श्रीनगर | 1-7-48 | 20 कि. म. त. | 1116 कि· ह· (चैनल-अ) |
| | | | | | 7.5 कि. ल. त. | (चैनल-अ) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1224 कि. ह· (युववाणी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1503 कि. ह. (कमर्शियल) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | तमिलनाडु | 36 | कोयम्बतूर | 18-12-66 | 10 कि. म. त. | (प्राइमरी) |
| | | 37 | तिरुचि-रापल्ली | 16-5-39 | 50 कि. म. त. | 936 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1602 कि. ह. (कमर्शियल) |
| | | 38 | तिरुनेल-वेल्लि | 1-12-61 | 10 कि. म. त. | 1197 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 39 | मद्रास | 16-6-38 | 20 कि. म. त. | 720 कि. ह. (चैनल-अ) |
| | | | | | 10 कि. ल. त. | (चैनल-अ) |
| | | | | | 1 कि. ल. त. | 1584 कि. ह. (चैनल-ब) |
| | | | | | 2·5 कि. म. त. | 783 कि. ह. (कमर्शियल) |
| | | | | | 15 कि. म. त. | (एफ. एम.-107 कि. ह.) |
| | | | | | 100 कि. ल. त. | विविध भारती (विदेश) |
| 10. | नगालैंड | 40 | कोहिमा | 4-1-63 | 50 कि. म. त. | 639 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 2.5 कि. म. त. | (प्राइमरी) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | पश्चिम बंगाल | 41 | कलकत्ता | 26-8-27 | 100 कि. म. त. | 657 कि. ह.(चौनल-अ) |
| | | | | | 50 कि. म. त. | 1008 कि. ह.(चौनल-ब) |
| | | | | | 10 कि. ल. त. | (चौनल-ब) |
| | | | | | 20 कि. म. त. | (चौनल-ब) |
| | | | | | 2.5 कि. म. त. | 1224 कि. ह. (युववाणी) |
| | | | | | | एफ. एम. 15 कि. |
| | | | | | | 107.1 कि. ह. |
| | | | | | 1000 कि. म. त. | 594 दिन और |
| | | | | | | 1134 रात |
| | | 42 | कुर्सियांग | 2-6-62 | 20 कि. ल. त. | प्रायोगिक विदेश सेवा (प्राइमरी) |
| | | 43 | सिलीगुड़ी | 7-7-63 | 20 कि. म. त. | 711 कि. ह. (प्राइमरी) |
| 12. | पंजाब | 44 | जालन्धर | 16-5-49 | 50 कि. म. त. | 873 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1350 कि. ह.(कमर्शियल) |
| | | | | | 100 कि. म. त. | 7020 कि. ह.(उर्दू सेवा) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | बिहार | 45 | दरभंगा | 2-2-76 | 10 कि म. त. | 1296 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 46 | पटना | 26-1-48 | 20 कि. म. त. | 621 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1602 कि. ह. (कमर्शियल) |
| | | 47 | भागलपुर | 5-3-67 | 10 कि. म. त | 1448 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 48 | रांची | 27-5-57 | 10 कि. म. त. | 549 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 2 कि. ल. त. | (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1152 कि. ह. (कमर्शियल) |
| 14. | मध्यप्रदेश | 49 | अम्बिका-पुर | 20-12-76 | 20 कि. म. त. | 1260 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 50 | इन्दौर | 22-5-55 | 100 कि. म. त. | 648 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1584 कि. ह. (कमर्शियल) |
| | | 51 | ग्वालियर | 15-8-64 | 10 कि. म. त. | 1386 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 52 | छतरपुर | 7-8-76 | 20 कि. म. त. | 675 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 53 | जगदलपुर | 22-1-77 | | |
| | | 54 | जबलपुर | 8-11-64 | 20 कि. म. त. | 1179 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 55 | भोपाल | 31-10-56 | 1 कि. म. त. | 1485 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 10 कि. ल. त. | (प्राइमरी) |
| | | | | | 10 कि. म. त. | 1233 कि.ह. (कमर्शियल) |
| | | 56 | रायपुर | 2-10-63 | 20 कि. म. त. | 981 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 57 | रीवां | 2-10-77 | 20 कि. म. त. | 801 कि. ह. (प्राइमरी) |
| 15. | मणिपुर | 58 | इम्फाल | 15-8-63 | 50 कि. म. त. | 662 कि. ह. (प्राइमरी) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | महाराष्ट्र | 59 | औरंगा-बाद | 19-9-76 | 1 कि. म. त. | 1521 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 60 | जलगांव | 16-10-76 | 20 कि· म. त. | 963 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 61 | नागपुर | 16-7-48 | 100 कि. म. त. | 585 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1602 कि. ह. (कर्माशियल) |
| | | 62 | परभणी | 10-2-68 | 10 कि. म· त. | 1305 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 63 | पुणे | 2-10-53 | 20 कि· म. त. | 792 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 1 कि. म. त. | 1602 कि. ह. (कर्माशियल) |
| | | 64 | बम्बई | 23-7-27 | 20 कि. म. त. | 1044 कि. ह. (चैनल-अ) |
| | | | | | 50 कि. म. त. | 558 कि. ह. (चैनल-ब) |
| | | | | | 10 कि. म. त. | (चैनल-ब) |
| | | | | | 20 कि. म. त. | 1188 कि. ह. (कर्माशियल) |
| | | | | | 100 कि. ल.त. | विविध भारती (विदेश प्रायोगिक) |
| | | | | | | एफ. एम. 107.1 मेगाहर्स |
| | | 65 | रत्नागिरी | 30-1-77 | 20 कि. म. त. | 1143 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | 66 | सांगली | 6-10-63 | 20 कि. म. त. | 1251 कि. ह. (प्राइमरी) |
| 17. | मेघालय | 67 | शिलांग | 6-3-66 | 1 कि. म. त. | 1197 कि. ह. (प्राइमरी) |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. राजस्थान | 68 | अजमेर | 11-12-55 | 20 कि. म. त. | 603 कि. ह. (प्राइमरीं) |
| | 69 | उदयपुर | 5-3-67 | 10 कि. म. त. | 1125 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | 70 | जयपुर | 9-4-55 | 1 कि. म. त. | 1476 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | 1 कि. म. त. | 1269 कि. ह.(कमर्शियल) |
| | 71 | जोधपुर | 15-8-65 | 100 कि: म. त. | 531 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | 1 कि. म. त. | 1197 कि. ह.(कमर्शियल) |
| | 72 | बीकानेर | 28-4-63 | 10 कि. म. त. | 1395 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | 73 | सूरतगढ़ | 1980 | 10 कि. म. त. | 918 कि· ह. (प्राइमरी) |
| 19. सिक्किम | 74 | गंगतोक | 2-10-82 | 10 कि. म. त. | |
| 20. हरियाणा | 75 | रोहतक | 5-8-76 | 20 कि. म. त. | 1143 कि. ह. (प्राइमरी) |
| 21. हिमाचल प्रदेश | 76 | शिमला | 16-6-55 | 100 कि. म. त. | (प्राइमरी) |
| | | | | 2.5 कि. ल. त. | (प्राइमरी) |
| 22. त्रिपुरा | 77 | अगरतला | 26-1-67 | 20 कि. म. त. | 1269 कि. ह. (प्राइमरी) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अण्डमान, निकोबार द्वीपसमूह | 78 | पोर्टब्लेयर | 2-6-63 | 20 कि. म. त. | 684 कि. ह. (प्राइमरी) |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 79 | तवांग | 23-9-74 | 250 वा. 2 म. त. | 1521 कि. ह. (स्थानीय) |
| | | 80 | तेजू | 15-8-67 | 250 वा· म. त. | 1322 कि. ह. (स्थानीय) |
| | | 81 | पासीघाट | 6-3-66 | 250 वा. म. त. | 1062 कि. ह. (स्थानीय) |
| 3. | गोवा, दमन, दीव | 82 | पणजी (9-1-62 को आकाशवाणी द्वारा अधिग्रहण) | 28-5-46 | 10 कि. म. त | 828 कि. ह. (प्राइमरी) |
| | | | | | 5 कि. म. त. | 1539 कि· ह. (विविध भारती) |
| 4. | चण्डीगढ़ | 83 | चण्डीगढ़ | 27-12-64 | 1 कि. म. त. | 1431 कि. ह. (सहायक स्टूडियो) प्राइमरी |
| 5. | दिल्ली | 84 | दिल्ली | 1-1-36 | 100 कि. म.त· | 819 कि. ह. (चैनल-अ) |
| | | | | | 10 कि. ल. त. | चैनल-अ |
| | | | | | 20 कि. म. त. | 1017 कि ह. (चैनल-ब) |
| | | | | | 10 कि. म. त. | 1368 कि. ह. (कमर्शियल) |
| | | | | | 10 कि. म. त. | 1215 कि. ह. (युववाणी) |
| 6. | दादर एवं नागर हवेली | | — | — | — | — |
| . | पाण्डीचेरी | 85 | पाण्डीचेरी | 23-9-67 | 1 कि. म. त. | 1062 कि. ह. (प्राइमरी) |
| . | मिजोरम | 86 | ऐजोल | 31-7-66 | 20 कि. म. त. | 540 कि. ह. (प्राइमरी) |
| . | लक्षद्वीप, मिनिकाय द्वीपसमूह | — | — | — | — | — |

षष्ठम-स्वर

# प्रसारण संगठन की कार्यशैली

## संगठन

आकाशवाणी सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक विभाग है। आकाश-वाणी का सर्वोच्च अधिकारी महानिदेशक होता है जो अपने विभाग के सभी कार्यों के लिए सूचनामंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रति उत्तर-दायी होता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उसे अनेक प्रशासकीय अधिकार दिये गये हैं। केन्द्र निदेशकों के स्थानांतरण तथा नियुक्ति, आकाश-वाणी की समितियों के सदस्यों की नियुक्ति तथा प्रसारण माध्यम की नीति संबंधी सभी मामलों का सारा उत्तरदायित्व महानिदेशक पर होता है। यह इन सब मामलों में सूचना और प्रसारण मंत्री की अनुमति प्राप्त करता है। आकाशवाणी के महानिदेशक का यह दायित्व है कि सभी केन्द्र निदेशकों और प्रोड्यूसरों को कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने की पूरी स्वतंत्रता दे, परन्तु साथ ही व जनता तथा सरकार के और इस प्रकार संसद के प्रति भी उत्तरदायी हों। महानिदेशक का पद भारत सरकार के अतिरिक्त-सचिव के समकक्ष होता है।

देश के सभी प्रसारण केन्द्रों पर महानिदेशक का नियंत्रण होता है। परंतु दिन-प्रतिदिन के कार्यों में वह प्रसारण केन्द्रों को कार्य-संबंधी पूरी आजादी देता है। हर प्रसारण केन्द्र अपनी भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के अनुरूप कार्यक्रमों के प्रसारण का निर्धारण कर सकता है। परंतु जब उसे समाचार बुलेटिनों की रिले प्रणाली या सम्प्रेषण-समय बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता होती है तो उसे महानिदेशक की अनुमति लेनी पड़ती है।

विश्व के अन्य प्रसारण संगठनों की ही तरह आकाशवाणी के भी प्रमुख तीन अंग हैं—प्रोग्राम (कार्यक्रम), इंजीनियरिंग तथा प्रशासन। महानिदेशक प्रसारण के इन तीनों अंगों का प्रधान होता है।

महानिदेशक की सहायता के लिए एक अतिरिक्त-महानिदेशक होता है। जो महानिदेशक के लगभग सभी उत्तरदायित्वों को निभाता है। महानिदेशक तथा अतिरिक्त महानिदेशक की सहायता के लिए उप महानिदेशक होते हैं।

आकाशवाणी में इस समय उप महानिदेशक स्तर के 9 अधिकारी हैं जो इस प्रकार हैं—उप महानिदेशक (कार्यक्रम) (मुख्यालय), उप महानिदेशक (सुरक्षा), तथा समाचार सेवाप्रभाग का निदेशक (उप महानिदेशक के स्तर का)।

इस समय तीन क्षेत्रीय उप-महानिदेशक कार्यरत हैं। अब इनके स्थान पर दो और क्षेत्रीय उप-महानिदेशकों के पद बढ़ाए जाने का प्रस्ताव हैं। दिल्ली से देश के सभी प्रसारण केन्द्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण उतना अच्छी तरह नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसा निर्णय किया है।

महानिदेशालय में कार्यक्रमों के लिए निदेशक भी होते हैं जो प्राय: लेखकों और वक्ताओं के अतिरिक्त वार्ताओं, परिचर्चाओं, नाटकों और वृत्तरूपकों आदि के बारे में निर्धारण करते हैं। इन निदेशकों की सहायता के लिए संयुक्त निदेशक भी होते हैं। इस समय कार्यक्रम-निदेशकों के 8 पद हैं, जो निम्न-लिखित कार्यों की देख-रेख अलग-अलग करते हैं। 1. नीति एवं समन्वय, 2. संगीत, 3. उच्चरित शब्द, 4. व्यापारिक, 5. विदेश सेवा, 6. विकास तथा आयोजना, 7. जनसम्पर्क तथा 8. खेल (यह पद एशियाई खेलों के समय से शुरू किया गया है)

आकाशवाणी में स्टूडियो तथा ट्रांसमीटरों का संचालन सामान्य बनाये रखने, रख-रखाव, स्टूडियो, ट्रांसमीटरों, रिसीविंग सेंटरों, एण्टीना संस्थापकों तथा प्रसारण प्रणाली के अन्य कार्यों की आयोजना तथा विकास, प्रसारण-विकास तथा टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों आदि के लिए इंजीनियरिंग कर्मचारी होते हैं। ये कर्मचारी प्राय: केन्द्रीय रख-रखाव विभाग तथा क्षेत्रीय रख-रखाव विभाग में नियुक्त किये जाते हैं।

इंजीनियरिंग शाखा का सर्वोच्च अधिकारी प्रधान अभियंता (इंजीनियर-इन-चीफ)होता है जो सीधे महानिदेशक के प्रति उत्तरदायी होता है। 'इंजीनियर-इन-चीफ' की सहायता के लिए इस समय तीन मुख्य इंजीनियर (चीफ इंजीनियर) हैं। ये रख-रखाव तथा प्रशिक्षण परियोजनाओं तथा विकास और सिविल निर्माण कार्यों की अलग-अलग देख-रेख करते हैं।

"परियोजनाओं तथा विकास के मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) की सहायता के लिए दो उप मुख्य अभियंता (डिप्टी चीफ इंजीनियर) होते हैं। इन इंजीनियरों की सहायता के लिए योजना अधिकारी, सहायक योजना अधिकारी तथा उप-सहायक योजना अधिकारी होते हैं। आकाशवाणी में 'स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट' (तकनीकी तथा प्रोग्राम) की देख-रेख भी ये ही अधिकारी करते हैं।"

आकाशवाणी के प्रसारण केन्द्रों पर देख-रेख तथा इंजीनियरिंग सेवा के लिए भी कर्मचारी नियुक्त होते हैं । इनकी नियुक्तियां रेडियो स्टेशन के महत्व और उसके आकार को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। आकाशवाणी के जिन केन्द्रों पर 'प्रोग्राम' तैयार किये जाते हैं, वहां केन्द्र अभियंता (स्टेशन इंजीनियर) या अधीक्षक अभियंता (सुपरिंडेंटिंग इंजीनियर) नियुक्त किये जाते हैं। सहायक केन्द्रों का (इन्चार्ज) प्राय: सहायक केन्द्र अभियन्ता अथवा सहायक अभियन्ता स्तर का अधिकारी होता है। विविध भारती इकाइयों का प्रबंध प्राय: 'जूनियर' अधिकारी करते हैं । क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों (कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास) का नियंत्रण प्राय: क्षेत्रीय अभियन्ताओं (रीजनल/सीनियर इंजीनियरों) के अधिकार में होता है। इसके अतिरिक्त प्राय: सभी प्रसारण केन्द्रों पर सीनियर इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट तथा तकनीशियन होते हैं।

सभी प्रसारण केन्द्रों, सहायक केन्द्रों, इंजीनियरिंग प्रतिष्ठानों, तथा अन्य केन्द्रों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण एकक (इंस्पैक्शन यूनिटें) भी होती हैं। अनुश्रवण सेवा (मानिटरिंग सर्विस) की देख-रेख भी ये ही इंजीनियरिंग कर्मचारी करते हैं। द्वितीय विश्व-युद्ध तक मानीटरिंग सर्विस रक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य करता था।

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर उपकरणों तथा तकनीकी सुविधाओं की रक्षा के लिए वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी (सीनियर सिक्योरिटी आफीसर) होता है।

आकाशवाणी के सभी प्रसारण केन्द्रों की देख-रेख उप महानिदेशक करत हैं।

आकाशवाणी के हर केन्द्र का प्रधान अधिकारी केन्द्र निदेशक (स्टेशन डायरेक्टर) होता है। हर प्रसारण केन्द्र में स्टेशन डायरेक्टर के बाद दूसरे नम्बर का अधिकारी सहायक केन्द्र निदेशक होता है। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों के 'प्रोड्यूसर' भी होते हैं।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों (प्रोग्राम) का सबसे प्रमुख अधिकारी 'प्रोग्राम एक्जेक्यूटिव' (कार्यक्रम अधिशासी) होता है। संगीत, नाटक, वृत्त, रूपक, औद्योगिक तथा युवा कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग प्रोगाम एक्जेक्यूटिव होते हैं। देहाती तथा कृषि कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनका प्रसारण कराने की जिम्मेदारी 'फार्म रेडियो अधिकारी' की होती है।

परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रसार अधिकारी और विज्ञान 'सेल' के कार्यों की देख-रेख के लिए विज्ञान अधिकारी होता है। खेल-कार्यक्रमों के लिए अब खेल प्रोड्यूसर का भी एक पद बनाया गया है। यह पद एशियाई खेलों के बाद शुरू किया गया है।

आकाशवाणी में समाचार सम्बन्धी प्रसारणों का सबसे बड़ा अधिकारी समाचार सेवा प्रभाग का निदेशक होता है जो उप महानिदेशक स्तर का अधिकारी होता है। समाचार सेवा प्रभाग के सभी मामलों के लिए वह सीधे महानिदेशक के प्रति उत्तरदायी होता है। समाचार सेवा प्रभाग के निदेशक की सहायता के लिए संयुक्त निदेशक तथा उप-निदेशक होते हैं। समाचार सेवा प्रभाग में कई समाचार सम्पादक, सहायक समाचार सम्पादक, संवाददाता, वार्ता अधिकारी तथा समाचार वाचक—अनुवादक, (स्टाफ आर्टिस्ट) होते हैं। कुछ स्टाफ आर्टिस्ट केवल समाचार वाचक (न्यूजरीडर) होते हैं, अनुवादक नहीं।

## प्रशासन

आकाशवाणी महानिदेशालय में सभी प्रकार के प्रशासकीय तथा वित्तीय मामलों का कार्य उप-महानिदेशक (प्रशासन) देखता है। उसकी सहायता के लिए कई निदेशक (प्रशासन) होते हैं। निदेशक (प्रशासन) का पद भारत सरकार के अवर सचिव (अन्डर सेक्रेटरी) पद के समकक्ष होता है। कर्मचा-रियों की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण सेवा-निवृत्ति और कल्याण

आदि सम्बन्धी मामलों तथा लेखा और बजट के कार्यों की देख-रेख उप महानिदेशक ही करता है।

महानिदेशालय में काम करने वाले लगभग सारे कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सैंट्रल सैक्रेटेरियट सर्विस) के होते हैं और उनके ऊपर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सभी कानून तथा नियम लागू होते हैं। पत्रकारिता सम्बन्धी कार्यों के लिए सभी अधिकारी प्राय: केन्द्रीय सूचना सेवा (सी०आई० एस०) से लिए जाते हैं। इंजीनियरिंग स्टाफ के कर्मचारी शुरू में अधिकतर द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के होते हैं जो प्राय: संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर विभाग द्वारा भर्ती किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग असिस्टेंट तथा 'ट्रांसमिशन एक्जेक्यूटिव (तृतीय श्रेणी) के कर्मचारियों की भर्ती महानिदेशालय द्वारा की जाती है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती प्राय: रोजगार कार्यालयों के उम्मीदवारों में से की जाती है। इन कर्मचारियों में ड्राइवर, दफ्तरी, अर्दली और चपरासी आदि होते हैं।

आकाशवाणी में प्रशासन तथा इंजीनियरिंग कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारी होते हैं, परन्तु कार्यक्रम (प्रोग्राम) कर्मचारी प्राय: 2 संवर्गों के होते हैं।

अ—नियमित सरकारी कर्मचारी

ब—अनियमित कर्मचारी (स्टाफ आर्टिस्ट)

स्टाफ आर्टिस्ट प्राय: अनुबंध पर रखे जाते हैं। अनुबंध का कार्यकाल समाप्त होने पर उनके कार्यकाल का पुन: नवीनीकरण किया जाता है। साथ ही नियमित सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली लगभग अनेक सुविधाओं का लाभ भी उन्हें मिलता है। स्टाफ आर्टिस्टों में लेखक, प्रोड्यूसर, एनाउंसर, न्यूजरीडर, प्रोडक्शन असिस्टेंट और जनरल असिस्टेंट आदि आते हैं। इस समय आकाशवाणी में सभी वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या 14000 से अधिक है।

## अनुश्रवण सेवा

अनुश्रवण एकक आकाशवाणी के लिए खबरों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह संगठन प्रतिदिन विदेश के 26 रेडियो स्टेशनों के 180 ट्रांसमीटरों का

अनुश्रवण करता है। अनुश्रवण एकक पहले शिमला में स्थित था, परन्तु अप्रैल 1981 से इसका कार्यालय आयानगर, दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया है। आयानगर स्थित अनुश्रवण एकक का कार्य-संचालन एक निदेशक की देख-रेख में होता है। वह केन्द्रीय सूचना सेवा का प्रथम श्रेणी का एक अधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए इस समय 4 सहायक समाचार सम्पादक (ए०एन०ई०) और 43 अनुश्रवण (मोनिटर) हैं। इस समय यह एकक 14 भाषाओं में 136 ट्रांसमिशनों का अनुश्रावक करता है। इस एकक के अतिरिक्त दिल्ली के 'ब्राडकास्टिंग हाऊस' में भी 9 प्रसारण संगठनों के 45 सम्प्रेषणों को 'मानिटर' किया जाता है। ये सम्प्रेषण अंग्रेजी, नेपाली, पश्तो, फारसी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, बर्मी और तिब्बती भाषा में होते हैं जिन खबरों का अनुश्रवण किया जाता है, उनका प्रसारण करने वाले प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं—बी०बी०सी०, वायस आफ अमेरिका, मॉस्को, रेडियो-आस्ट्रेलिया, रेडियो बंगलादेश, रेडियो पीकिंग, रेडियो काबुल, रेडियो बगदाद, कुवैत रेडियो, इस्राइल, श्रीलंका, रंगून, मनीला, ड्वतशेबेले तथा हिलवरसम आदि।

इन सभी अनुश्रवणों से हमारे प्रसारण नीति-आयोजकों के लिए सूचना और सामग्री उपलब्ध होती है।

## श्रोता अनुसंधान एकक

भारत करोड़ों की आबादी वाला एक विशाल देश है, यहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं तथा लोगों के जीवन-स्तर में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं जानने का काम आसान नहीं है। आकाशवाणी को श्रोताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक बहुत बड़े सुव्यवस्थित संगठन की आवश्यकता है जो इतने बड़े देश के श्रोताओं की प्रतिक्रिया के बारे में प्रसारण संगठन को अच्छी प्रकार जानकारी उपलब्ध करा सके। श्रोता अनुसंधान करने वाले कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिएं, देश को जब स्वतंत्रता मिली उस समय (रियासतों के रेडियो स्टेशनों को छोड़कर) आल इंडिया रेडियो के पास केवल 6 प्रसारण केन्द्र थे। उस समय श्रोताओं की प्रतिक्रिया जानने का प्रमुख साधन समय-समय पर श्रोताओं द्वारा लिखे गये पत्र होते थे। प्रसारण कार्यक्रमों में दिलचस्पी रखने

वाले श्रोताओं, विशेषतया प्रबुद्ध श्रोता जब कोई भी कार्यक्रम सुनते हैं, तो उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में अथवा प्रसारण में कोई कमी या खटकने वाली बात होने पर वे प्रायः रेडियो स्टेशनों को पत्र लिखे बगैर नहीं रहते। श्री फिल्डेन के जमाने में स्टेशन डायरेक्टर को लिखे गये प्रायः हर पत्र का श्रोताओं को उत्तर देना आवश्यक होता था।

श्री फील्डेन ने स्टेशन डाइरेक्टरों को सख्त हिदायत दी थी कि श्रोताओं की प्रतिक्रिया पर अवश्य ध्यान दिया जाये और उनके पत्रों तथा प्रश्नों का समुचित और विनम्रतापूर्ण उत्तर दिया जाये। उस समय प्रतिक्रियात्मक उत्तर के लिए निम्नलिखित वर्ग बनाये गये थे :

1. सामान्य कार्यक्रम
2. भारतीय संगीत (गायन)
3. भारतीय संगीत (वाद्य)
4. यूरोपीय संगीत (गायन)
5. यूरोपीय संगीत (वाद्य)
6. वार्ता (भारतीय भाषाएं)
7. बाल कार्यक्रम
8. महिला कार्यक्रम
9. भारतीय नाटक
10. अंग्रेजी नाटक
11. समाचार
12. ग्रामीण कार्यक्रम
13. धार्मिक विषय
14. विशेष कार्यक्रम तथा
15. नये कार्यक्रम प्रबंध।

परन्तु उस समय प्रसारण केन्द्रों की संख्या बहुत कम थी, जबकि आजकल देश में 86 प्रसारण केन्द्र हैं और श्रोताओं के सभी पत्रों का उत्तर देना एकदम असम्भव नहीं है, तो कठिन कार्य अवश्य है।

श्रोताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए अब केवल पत्रों के ऊपर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। अब कार्यक्रमों में श्रोताओं की दिलचस्पी दिनों-दिन

बढ़ती जा रही है । इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि इस समय 2 करोड़ से ज्यादा लाइसेंस शुदा रेडियो सेट हैं ।* 1946 में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए श्रोता अनुसंधान की योजना शुरू की गई । देश भर में आंकड़े इकट्ठा करने की पद्धति में एकरूपता बनाये रखने के लिए अनेक तरीके अपनाये गये । कई बार तो सत्ता में नियुक्त लोगों ने सुझाव दिया कि इसकी क्या आवश्यकता है ? क्योंकि हम सभी लोग अपनी-अपनी सामान्य बुद्धि से यह जानते हैं कि किस श्रोता वर्ग की किन चीजों में दिलचस्पी है या उसे किस प्रकार के कार्यक्रम चाहिएं । परिणामस्वरूप बीच में श्रोता अनुसंधान कार्यक्रम बहुत ढीला पड़ गया था, परन्तु यदि प्रसारण को सही मायने में जनता की सेवा करनी है तो उसे श्रोता-अनुसंधान पर विशेष बल देना होगा ।,

दुनिया के सभी प्रसारण संगठनों में श्रोता-अनुसंधान की अच्छी व्यवस्था है । हजारों अनुसंधानकर्ता विश्लेषण-कार्यों में लगे रहते हैं । परन्तु हमारे देश में इस दिशा में प्राय: पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता । यदि श्रोता अनुसंधान कार्य जारी रहता, तो देश में 'रेडियो सिलोन' की लोकप्रियता बढ़ने से पहले ही हमारी प्रसारण व्यवस्था में ऐसा कुछ कदम उठा लिया गया होता जो वर्तमान विविध भारती सेवा की अपेक्षा और सुसंगठित होता । आकाशवाणी के कई कार्यक्रमों के श्रोताओं की संख्या में बहुत वृद्धि की जा सकती है, बशर्ते कि उपयुक्त श्रोता-अनुसंधान कार्य किये जायें । जैसे-आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले देहाती कार्यक्रमों में यदि वहां के श्रोताओं की रुचियों, आशाओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाये, तो ये प्रसारण और भी लोकप्रिय बनाये जा सकते हैं, परन्तु इसके लिए देहात में, किसी क्षेत्रविशेष में जाकर गांव-गांव घूमकर किसी खास कार्यक्रम के बारे में उनकी प्रतिक्रियाएं जाननी होंगी । उस जानकारी के आधार पर रेडियो प्रसारण को और अच्छा बनाने का प्रयास किया जा सकता है । इसी प्रकार भाषा-पाठ अथवा शिक्षा प्रसारणों पर भी लागू होती है । आजकल स्कूलों के लिए जो प्रसारण पाठ प्रसारित होते हैं, यदि उन कार्यक्रमों के अभिग्रहण के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर प्रसारण की और अच्छी व्यवस्था की जाये, तो हमारे देश से निरक्षरता का उन्मूलन किया जा सकता

* अब रेडियो सेटों से लाइसेन्स शुल्क हटा दिया गया है ।

है। सभी व्यक्तियों को प्रारम्भिक शिक्षा दी जा सकती है। अनपढ़-प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने के साथ-साथ उन्हें खेती-बाड़ी, कुटीर उद्योग-धंधों की व्यावहारिक शिक्षा दी जा सकती है। यही बात अन्य विभिन्न कार्यक्रमों पर भी लागू होती है। प्रसारण और सूचना माध्यम की समिति ने 1964 में पुणे के आसपास के क्षेत्रों में जो-श्रोता अनुसंधान का कार्य चलाया था, उसका परिणाम बहुत उत्साहजनक रहा। वहां 'रेडियो रूरल फोरम' (रेडियो देहाती मंच) बनाये गये। बाद में उसकी सफलता को देखते हुए देश के हर प्रसारण केन्द्र में इस प्रकार के मंच बनाये गये और उनका अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ।

डा० केसकर के कार्यकाल के दौरान श्रोता अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। इसलिए उन दिनों प्रात: श्रोताओं की रुचि जाने बिना आकाशवाणी से शास्त्रीय संगीत कार्यक्रमों तथा संस्कृतगर्भित हिन्दी के प्रसारणों का बाहुल्य रहा, जिसकी प्रतिक्रिया कई अन्य रूपों में हुई।

आजकल आकाशवाणी द्वारा जो श्रोता-अनुसंधान कार्य किये जाते हैं, उनकी जानकारी केवल आकाशवाणी को ही नहीं, अपितु श्रोताओं के विभिन्न वर्गों को भी उसके बारे जानकारी दी जानी चाहिए। श्रोता-अनुसंधान एकक श्रोताओं की प्रतिक्रिया और लक्ष्य-दर्शकों पर विज्ञापन सन्देशों के प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन करके उस प्रतिक्रिया को आकाशवाणी के केन्द्रों को उपलब्ध कराता है। इन आंकड़ों से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नीतियों के निर्धारण और आयोजना में सहायता मिलती है और आकाशवाणी के प्रसारणों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। श्रोता-अनुसंधान एकक आकाशवाणी की व्यापारिक सेवा सहित स्वदेशी सेवा, विदेशी प्रसारण सेवा और दूरदर्शन की अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करता है।

आकाशवाणी को चाहिए कि वह विभिन्न प्रसारण कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं की प्रतिक्रिया जानने के बाद उसका वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करे और विश्व के अन्य देशों, विशेषकर विकासशील देशों से इन श्रोता-अनुसंधान आंकड़ों का आदान-प्रदान करे। कुआलालम्पुर में श्रोता अनुसंधान विशेषज्ञों के एक सम्मेलन में भी इसी प्रकार का एक सुझाव दिया गया था कि

विकासशील देशों को आपस में श्रोता-अनुसंधान विश्लेषणों का आदान-प्रदान करना चाहिए। इससे वे अपने प्रसारण कार्यक्रमों को और अच्छा बना सकते हैं तथा एक-दूसरे देश के श्रोता-अनुसंधान कार्यों का अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार वे अपने देश की सामाजिक-आर्थिक विकास प्रक्रियाओं में तेजी लाकर अपने यहां के जन-जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार ला सकते हैं। यह एकक आकाशवाणी तथा श्रोताओं के बीच सम्पर्क कायम करने में सहायता देता है। श्रोता अनुसन्धान की अध्ययन रिपोर्ट की प्रतियां प्रायः सम्बद्ध केन्द्र निदेशकों तथा निदेशालय एवं सचिव, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय को भेजी जाती हैं जो इनके आधार पर कार्रवाही करते हैं।

## संगठन

आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलग-अलग संगठनों में विभक्त हो जाने के बावजूद दोनों संगठनों का श्रोता अनुसंधान संगठन अभी एक ही है। इस संगठन का प्रधान एक निदेशक है और उसकी सहायता के लिए 6 उप-निदेशक हैं।

एक उप-निदेशक टेलीविजन से सम्बद्ध श्रोता-अनुसंधान कार्यों का संचालन तथा निरीक्षण करता है। बम्बई में केन्द्रीय विक्री एकक में व्यापारिक प्रसारणों सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख के लिए भी एक उप-निदेशक नियुक्त किया गया है। इस समय दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में सचल एकक (मोबाइल यूनिट्स) हैं, जिनकी देख-रेख के लिए 4 उप-निदेशक नियुक्त हैं। इस समय देश भर में श्रोता अनुसंधान की 20 यूनिटें निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत हैं :

गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, कटक, बंगलौर, तिरुअनन्तपुरम, अहमदाबाद, भोपाल, शिमला, श्रीनगर, मद्रास, कोहिमा, कलकत्ता, जालन्धर, पटना, नागपुर, बम्बई, जयपुर और दिल्ली में दो।

इन सभी यूनिटों में श्रोता-अनुसन्धान अधिकारी की देख-रेख में काम होता है।

## योजना

देश में चालू योजना (1978-83) के लिए 86.50 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नागपुर में एक हजार किलोवाट का मध्यम तरंग ट्रांसमीटर लगाने की योजना है। इसके लिए 6.9 करोड़ रुपये कुल व्यय की व्यवस्था की गई। मध्यम तरंग और आवर्ती माडुलेशन वैन्ड के ट्रांसमीटरों तथा स्टूडियो की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर 52.69 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

चालू योजना में देश के सभी जिलों में नियमित/अंशकालिक संवाददाताओं को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। लोगों को समाचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 15 और समाचार एकक खोले जायेंगे।

देश में योजनाओं के कार्यान्वियन के बारे में जन-सामान्य तथा अन्य श्रोताओं को जानकारी देने के लिए आकाशवाणी के केन्द्रों से समय-समय पर कार्यक्रम प्रसारित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रगति और कार्यों के वारे में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।

| | व्यवस्था (करोड़ रुपये में) | व्यय (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) | 4.94 | 2.19 |
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) | 8.00 | 5.67 |
| तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) | 14.06 | 7.64 |
| चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) | 40.00 | 27.12 (टेलीविजन परियोजनाओं पर 11.54 करोड़ रु० शामिल) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| वार्षिक योजना (1974-75) | 5.25 | 5.22 |
| वार्षिक योजना (1975-76) | 5.00 | 5.19 |
| वार्षिक योजना (1976-77) | 7.93 | 6.67 |
| वार्षिक योजना (1978-79) | 11.75 | 6.72 |
| वार्षिक योजना (1979-80) | 11.37 | 4.81 |
| वार्षिक योजना (1980-81) | 7.79 | 6.71 |
| छठी योजना (1980-85) | 559.00 | 215.00 |

सप्तम-स्वर

# राष्ट्रीय हित : सम्भावनाओं का स्वर

## सम्भावनाएं

देश स्वतंत्र होने के कुछ दिनों बाद मार्च 1948 में पं० जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था, "प्रसारण की संरचना के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि जहां तक सम्भव हो हमें बी०बी०सी० यानी ब्रिटिश मॉडल का अनुकरण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सरकार के अन्तर्गत एक अर्द्ध-स्वायत्त निगम बना लें तो अच्छा रहेगा। इसमें नीति पर तो सरकार का नियंत्रण रहेगा, परन्तु इसका कार्य अर्द्ध-स्वायत्त निगम की तरह होगा। वास्तव में, अधिकतर मामलों में हमें इन अर्द्ध-स्वायत्त निगमों को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, जिनमें नीति और अन्य आवश्यक बातों पर सरकार दूर से ही अपना नियंत्रण रखेगी, परन्तु उनके दैनन्दिन कामों में सरकार अथवा कोई सरकारी विभाग हस्तक्षेप नहीं करेगा। परन्तु इस समय यह तात्कालिक मुद्दा नहीं है।" पं० नेहरू ने यह बात यद्यपि अब से लगभग 35 वर्ष पहले कही थी, परन्तु प्रसारण संगठन में अनेक उतार-चढ़ाव के बावजूद उनकी परिकल्पना की आदर्श स्थिति आकाशवाणी को अभी भी नहीं मिल सकी है। अब हम इस पर विचार करेंगे कि पं० नेहरू ने बी०बी०सी० का मॉडल अपनाने की जो बात कही थी, उनके बारे में वहां के लोगों के क्या आदर्श और विचार हैं? बी०बी०सी० संगठन से सम्बद्ध एक व्यक्ति लार्ड रीथ ने ब्रिटिश प्रसारण संगठन के बारे में जो मार्ग-निर्देश जारी किये थे, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

1. वे कुशलतापूर्वक तथा राष्ट्रीय हित में प्रसारण करेंगे।
2. वे शिक्षा, सूचना तथा लोगों के मनोरंजन के लिए प्रसारण करेंगे।

3. वे अपने समाचार तथा सभी विवादास्पद मामलों के प्रस्तुतीकरण में निष्पक्ष और सही रहेंगे।
4. वे राजनीतिक मामलों पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे।

ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की व्यवस्था तथा वित्त सम्बन्धी दस्तावेज को जब सर्वप्रथम 15 नवम्बर 1926 को हाउस आफ कामन्स में प्रस्तुत किया गया तो तत्कालीन पोस्ट-मास्टर-जनरल, सर विलियम मिचल थामसन ने कहा था, "मैं व्यापक मुद्दों तथा स्वदेशी नीति तथा दिन-प्रतिदिन के नियंत्रण के मामलों की जिम्मेदारी लेने के लिए तत्पर हूं, परन्तु अन्य बातों को मैं निगम के स्वतंत्र निर्णय पर छोड़ देना चाहता हूं।"

22 फरवरी 1933 को हाऊस आफ कामन्स ने इस नीति की पुन: पुष्टि की और फैसला किया गया, "सदन इस बात से सन्तुष्ट है कि ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन सामान्यत: सेवा का उच्च स्तर बनाये हुए है। संसद की राय में यह जन हित के विपरीत होगा कि निगम (कारपोरेशन) पर सरकार या पार्लियामेंट द्वारा चार्टर में निर्धारित व्यवस्था तथा लाइसेंस के अतिरिक्त कोई और नियंत्रण लागू किया जाये। विवादास्पद मामलों को निश्चय ही प्रसारण कार्यक्रमों से बाहर न रखा जाये, परन्तु गवर्नरों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनसे सम्बद्ध सभी महत्वपूर्ण विचारों की प्रभावी अभिव्यक्ति की गई हो और वक्ताओं तथा विषयों के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतने से ही कारपोरेशन का कार्य पूर्ण हो सकेगा तथा ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग सेवा का उच्च स्तर बनाये रखा जा सकेगा।"

ब्रिटेन में लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत हो चुकी हैं और सरकार को यह फैसला करने का अधिकार है कि वहां की प्रसारण सेवाओं की संख्या क्या हो तथा उनकी प्रकृति क्या हो। बी०बी०सी० में किसी कार्यक्रम का प्रोड्यूसर अथवा प्रसारण अधिकारी एक ओर तो अपने संगठन के लिए जिम्मेदार है, तो दूसरी ओर उन लोगों के लिए उत्तरदायी होता है, जिनके लिए वह प्रसारण करता है।

वहां पर प्रोड्यूसर या प्रसारण-कर्मी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता क्योंकि वह अपने विवेक के अनुसार सार्वजनिक हित की

बातों का स्वतंत्र रूप से प्रसारण करता है। दूसरे, बी०बी०सी० के प्रसारण अधिकारी वहां की पार्लियामेंन्ट (संसद) के प्रति एक प्रकार से जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे सरकार की सलाह पर नियुक्त किये जाते हैं तथा सरकार के कार्य-कलापों पर संसद में विचार होता है, पुन: यदि ब्रिटिश सरकार यह समझती है कि उस प्रसारण संस्था का गवर्नर या कोई भी सदस्य अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस पर वहां के हाउस आफ कामन्स में बहस कराई जा सकती है और यदि बहुमत का समर्थन है, तो उस व्यक्ति को हटा कर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है, परन्तु बी० बी०सी० के इतिहास में अभी तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई है।

बी०बी०सी० की प्रबन्ध व्यवस्था में सम्पादकीय स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया जाता है। बी०बी०सी० का गवर्नर, चेयरमैन या प्रबन्ध निदेशक अपने प्रसारण संगठन की नीतियों के निर्धारक होते हैं। परन्तु वे सम्पादक के दैनन्दिन कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते।

जब हम भारत में बी०बी०सी० जैसे प्रसारण संगठन की चर्चा करते हैं तो हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि बी०बी०सी० की व्यवस्था, और हमारे देश की प्रसारण व्यवस्था में अन्तर होना स्वाभाविक है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन की स्थितियां भारत से बिल्कुल भिन्न हैं। वहां एक शताब्दी से भी अधिक समय से लोकतंत्र की प्रणाली चल रही है, अधिकतर लोग शिक्षित और अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, आर्थिक संरचना पर्याप्त सुदृढ़ है, अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं तथा प्रकाशन संगठन समय-समय पर जनमत के बारे में पर्याप्त सूचनाएं देते रहते हैं और ब्रिटेन की प्रसारण व्यवस्था वहां की परिस्थितियों के अनुरूप पल्लवित-पुष्पित हुई है। परन्तु, भारत में यह सब कुछ भिन्न है। भारत ब्रिटेन की तुलना में विशाल देश है, यहां की जनसंख्या ब्रिटेन से कई गुनी अधिक है, अनेक धर्म सम्प्रदाय, ग्रुप तथा अनेक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं; भारत विकासशील देश है, जबकि ब्रिटेन एक विकसित देश है। विकासशील देश में प्रसारण संगठन की जिम्मेदारियां बिल्कुल भिन्न प्रकार की होती हैं। कृषि, साक्षरता, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, परिवार नियोजन, औद्योगिक आयोजना, राष्ट्रीय एकता आदि

विभिन्न बातों पर उसे मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ता है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को हर प्रकार की सूचनाओं को जानने का भी अधिकार होता है जैसा कि भारतीय संविधान की धारा 38 में उल्लिखित है।

"राज्य एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा, तथा उसे संवर्द्धित करेगा जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक (व्यवस्था) सम्मिलित होगी। (राज्य) राष्ट्रीय जीवन से सम्बद्ध सभी संस्थाओं को सूचित करेगा।

श्रीमती गांधी जब 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्री पद पर थीं तो उन्होंने कहा था, "सरकार कुछ जनसंचार माध्यमों, प्रमुख रूप से रेडियो पर अधिकार रखती है। हाल के वर्षों में श्रोताओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। रेडियो पर हमने निष्पक्ष और स्वस्थ बहस को प्रोत्साहन दिया है। उदारीकरण की यह प्रवृत्ति सरकारी 'न्यूजरील' तथा वृत-रूपकों में भी देखी जा सकती है। निश्चय ही, मैं आशा करती हूं कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी।" अर्थात् इस प्रसारण संगठन के रोजमर्रा के कामकाज में वे आजादी की हिमायती रहीं हैं। उन्होंने इस स्वतंत्रता के बारे में एक बार यह भी कहा था, "भारत में आने वाला कोई भी यात्री हमारे प्रेस की स्वतंत्रता और जीवंतता को देख सकता है। हमें इस आजादी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की बुनियादी गारन्टी है और हर स्वतंत्र व्यक्ति के लिए अभीष्ट हर अधिकार का सतर्क अंगरक्षक है...यह महत्वपूर्ण है कि इन चैनलों पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण न होने पाये, जिससे सूचना के प्रवाह में बाधा पढ़े और गतिरोध आये।"

श्री अशोक के० चन्दा की अध्यक्षता में नियुक्त प्रसारण एवं सूचना माध्यमों के बारे में समिति की रिपोर्ट में आकाशवाणी और दूरदर्शन को सरकारी विभाग की बजाय निगमों के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया गया था। इसके चार वर्षों बाद सरकार ने यह निर्णय किया कि प्रसारण व्यवस्था में संस्थागत परिवतन करने का अभी समय नहीं आया है। उसके बाद अगस्त 1977 में नियुक्त बी० जी० वर्गीज की अध्यक्षता में नियुक्त कार्यदल ने आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्तता के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस कार्यदल ने आकाशवाणी को स्वायत्त संस्था बनाने और नेशनल ब्राडकास्ट

ट्रस्ट बनाने की सिफारिश की थी । वर्गीज कार्य की रिपोर्ट में कहा गया है, "एक ऐसा स्वायत्त प्रसारण संगठन तर्कसंगत और वांछनीय प्रतीत होता है जो राष्ट्रीय स्वामित्व में हो और संसद के प्रति उत्तरदायी हो, परन्तु वैधानिक दृष्टि से तथा विदेश प्रसारणों व आवर्तियों के निर्धारण के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा डाक-तार और अन्तरिक्ष सेवाओं की आवश्यकताओं के कारण केन्द्र सरकार के अधीन हो ।" वर्गीज समिति में आकाशभारती (राष्ट्रीय प्रसारण न्यास) नाम का प्रसारण संगठन बनाने की जो परिकल्पना की गई, उसमें विकेन्द्रीकरण पर विशेष जोर दिया गया और स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता को विशेष महत्त्व देने की सिफारिश की गई । समिति ने सिफारिश करते हुए अपना मत व्यक्त किया, "सभी राष्ट्रीय प्रसारण सेवाएं एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष और एक स्वायत्त संगठन के हाथ में होनी चाहिएं, जिसकी स्थापना संसद के कानून द्वारा की जाये, ताकि वह राष्ट्रीय हित के न्यासी के रूप में कार्य कर सकें ।" कार्यदल ने आकाश भारती की कानूनी संरचना, न्यासी मण्डल, उसके प्रबन्ध तथा कार्यक्रम संरचना और वित्तीय आयाम आदि के बारे भी सिफारिशें कीं ।

वर्गीज कार्यदल ने आकाशभारती के बारे में जो सुझाव दिया था, उसके आधार पर 12 मार्च 1978 को संसद में प्रसार भारती विधेयक पेश किया गया । परन्तु उसे स्वीकृति नहीं मिल सकती थी । बाद में इसमें संशोधन करके मई 1979 में भारती विधेयक नाम से पेश किया गया, परन्तु यह विधेयक जनता पार्टी की सरकार का पतन होने के बाद पारित नहीं हो सका ।

प्रसार भारती विधेयक पर हमारे देश में बहुत प्रतिक्रियाएं हुईं । स्वयं बी० जी० वर्गीज ने कहा था कि देश की बहुत आंकाक्षाएं थीं तथा प्रसारण सेवाओं को और सुविधाओं की आश्यकता थी, परन्तु एक महान अवसर खो दिया गया । विधेयक के बारे में सरकारी विश्लेषणों में बताया गया कि एक स्वतन्त्र न्यास (ट्रस्ट) का विचार आवश्यक नहीं पाया गया, क्योंकि इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि स्वायत्तता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता । प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी आकाशवाणी को स्वायत्त संगठन बनाने के कभी पक्ष में नहीं रहीं । उन्होंने प्राय: कहा है, "आकाशवाणी पर सरकार का

एकाधिकार है और इस पर सरकार का एकाधिकार बना रहेगा। केवल यही एक माध्यम है, जिसके जरिए हम देश के लोगों तक पहुंच सकते हैं।" श्रीमती गांधी की हमेशा यह नीति रही है कि प्रसारण माध्यमों को अपने कामकाज में स्वतन्त्रता रहना चाहिए।

कांग्रेस के पुन: शासन में आने के बाद तत्कालीन सूचना और प्रसारण मन्त्री श्री बसन्त साठे ने अनेक बार कहा कि प्रसारण संगठनों के ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन की जरूरत नहीं है, परन्तु सरकार के अन्तर्गत रहते हुए उन्हें कार्य करने की स्वतन्त्रता (फंक्शनल फ्रीडम) अवश्य मिलनी चाहिए।

जनता पार्टी की सरकार ने इलैक्ट्रानिक माध्यमों को सरकारी नियन्त्रण से स्वतन्त्र रखने का ऐतिहासिक फैसला किया था। परन्तु यह सब कुछ नागरिक स्वतन्त्रताओं को बहाल रखने के भावावेश में किया गया था। वर्गीज कार्यदल के प्रस्ताव में स्वायत्तता तथा सरकारी नियन्त्रण में कोई अन्तर ही नहीं बच पाया है। किसी भी स्वायत्त निगम का प्राथमिक उद्देश्य धीरे-धीरे स्वायत्तता की प्रवृति विकसित करना है, जिससे हर स्तर पर उसके कार्यकर्ता निर्भय तथा स्वतन्त्र हों। यदि सरकार के हस्तक्षेप और निर्देशों के लिए निगम के द्वार हमेशा खुले रहें, तो ऐसी दशाओं में स्वायत्तता की प्रवृत्ति विकसित ही नहीं हो सकती। विधेयक में व्यवस्था थी कि सरकार जब भी आवश्यक समझे इस स्वायत्त संगठन 'प्रसार भारती' को निर्देश दे सकती है और प्रसार भारती को उसका अनुसरण करने के सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा।

परन्तु, जनता पार्टी की सरकार ने वर्गीज कार्यदल की इस बुनियादी सिफारिश को नामन्जूर कर दिया था कि संविधान में प्रसार माध्यमों को स्वायत्तता की गारन्टी दी जानी चाहिए। इस प्रकार जनता सरकार ने जिस स्वायत्तता की परिकल्पना की थी उसका तात्पर्य केवल आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के नामों में परिवर्तन कर देना मात्र था।

भारत में जितने भी निगम हैं वे प्राय: विभागों जैसे कार्य करते हैं। सरकार के विभागों और निगमों की कार्य प्रणाली में प्राय: कोई विशष अन्तर नहीं होता। कई मामलों में सरकारी विभागों से भी कम स्वतन्त्रता मिली हुई है।

इसलिए आकाशवाणी और दूरदर्शन को केवल निगम बना देने मात्र से कोई समस्या हल नहीं हो सकती। मुख्य बात तो यह होनी चाहिए कि हमारे प्रसा-रण संगठन चाहे सरकार के नियन्त्रण में हों या नहीं, उन्हें अपने कार्यसंचालन की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। जब हम किसी विभाग या संस्था अथवा संगठन के कार्यसंचालनों में स्वतन्त्रता की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान उसकी व्यवस्था के लिए आवश्यक वित्त की ओर जाता है किसी भी सार्व-जनिक संस्था के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता सबसे आवश्यक है।

आकाशवाणी के वित्त के बारे में जब हम विचार करते हैं, तो पाते हैं कि इसकी आय के केवल दो स्रोत हैं—रेडियो लाइसेन्स* तथा विविध भारती के विज्ञापन से प्राप्त राजस्व। परन्तु इन स्रोतों से आकाशवाणी को इतनी भी आय नहीं होती कि संगठन की संचालन आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। पुनः यदि इसे निगम या न्यास बना भी दिया जाए, तो इसके देश-व्यापी प्रसार तथा सम्पूर्ण तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अपेक्षित विशाल राशि कहां से मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के निगम के रूप में तो आकाशवाणी को इतनी अधिक आय तो हो नहीं सकती। ऐसी स्थिति में इसके लिए किसी-न किसी वित्तीय संगठन से उधार, अनुदान अथवा ऋण लेना आवश्यक हो जायेगा। और जब यह किसी अन्य वित्तीय संगठन से धनराशि लेगा तो वह संस्था या संगठन आकाशवाणी के कार्यों पर नजर अवश्य रखेगा और इस प्रकार स्वतंत्र और निर्बाध रूप से कार्य करना आकाशवाणी के लिए मुश्किल हो जायेगा। यदि प्रसारण संगठन प्राइवेट कम्पनियों से धन लेगा, तो वे कम्पनियां अपनी धनराशि को सुरक्षित देखने के साथ-साथ बदले में उसका पर्याप्त लाभ भी चाहेंगी। इतना ही नहीं ऐसी स्थिति में उस निगम को अपने अस्तित्व और आय के स्रोत को बनाए रखने के लिए व्यापारिक विज्ञापनों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

*रेडियो लाइसेंस अब समाप्त कर दिया गया है।

यहां पर सबसे विचारणीय प्रश्न यह है कि आकाशवाणी को किन-किन क्षेत्रों में कार्य संचालन की स्वतंत्रता (फंक्शनल फ्रीडम) की अधिक आवश्यकता है तो हम पायेंगे कि समाचार और सामयिक मामलों से सम्बद्ध प्रसारणों में में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हमारे देश में, जहां प्रेस (समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं आदि) को अपने कार्य-संचालन में पूरी स्वतन्त्रता दी गई है, उन पर किसी तरह का सेंसर लागू नहीं है ऐसी स्थिति में केवल प्रसारण संगठनों पर अंकुश लगाना ठीक नहीं रहता। क्योंकि जिन खबरों को आकाशवाणी से या दूरदर्शन से प्रसारित करने से रोक दिया जाएगा, उन्हीं खबरों को समाचार-पत्र पहले छाप देंगे और इस प्रकार प्रसारण संगठनों की विश्वसनीयता पर उंगली उठाना स्वभाविक हो जाएगा। खबरें तो किसी न किसी प्रकार से लोगों तक पहुंच ही जाती हैं।

कोई भी जिम्मेदार पत्रकार यह महसूस करता है कि भाषाई तथा साम्प्रदायिक दंगों की खबरें देने से स्थिति और भड़कती है तथा कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा होती है परन्तु यह भी कहा जाता है कि लोगों को इन घटनाओं के बारे में पर्याप्त और सही सूचनायें न मिलने के कारण दंगे ज्यादा भड़कते हैं। जहां सूचनायें नहीं पहुंच पाती हैं वहां लोग अफवाहों का सहारा लेने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यदि प्रसारण माध्यम सही सूचना उपलब्ध करा दें तो अफवाहें कम उड़ेंगी और कानून तथा व्यवस्था की समस्या कम पैदा होगी। क्योंकि जब लोगों को सही जानकारी मिल जाएगी तब उनमें सद्बुद्धि और सूझबूझ आएगी। अत: समाचार तथा सामयिक महत्व वाले मामलों में सरकार को प्रसारण संगठनों को कार्यसंचालन की स्वतन्त्रता देनी चाहिए। समाचार से सम्बद्ध कर्मचारियों को दोहरी भूमिका निभानी होती है एक ओर तो वे सरकारी अधिकारी होते हैं तो दूसरी ओर वे व्यावसायिक पत्रकार की भूमिका भी निभाते हैं। उनको काम के मामले में आजादी तथा सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, तभी वे अपनी निष्पक्षता का भली-भांति निर्वाह कर सकेंगे। प्रसारण माध्यमों के लिए विश्वसनीयता बहुत आवश्यक है परन्तु यह विश्वसनीयता एक या दो दिनों में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है।

सरकारी प्रसारण माध्यमों के लिए प्रसार करना एक प्रकार से वचनबद्धता है परन्तु तथाकथित प्रचार उचित नहीं होता जैसे किसी कार्यक्रम विशेष

को बार-बार दोहराने से श्रोताओं को चिढ़ या खीज हो सकती है। अतः प्रचार कार्य मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखते हुए किए जाने चाहिए।

श्रोता एक ही विचार या विषय को बार-बार सुनना नहीं चाहता, वह चाहता है कि उसे नई-नई बातें सुनने को मिलें और ऐसा तभी सम्भव है जब कार्यक्रम श्रोताओं की रुचियों को देखते हुए तैयार किए जाएं। कार्यक्रम तैयार करने वाले रचनात्मक क्षमता का परिचय दे सकें और नए-नए प्रयोगों से श्रोताओं को लाभान्वित कर सकें।

हमारे देश में प्रसारण संगठन सरकार के अधीन होना चाहिए, भारत जैसे विशाल देश की विविधतापूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आकाशवाणी बिल्कुल ही सरकारी विभाग की तरह कार्य करें जैसे अन्य सरकारी विभागों में सहायक, अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव और सचिव आदि कई माध्यमों से होकर गुजरने की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रणाली में तथा आकाशवाणी जैसे प्रसारण संगठन की प्रणाली में प्रायः बहुत अन्तर होता है। व्यावसायिक प्रसारकों को प्रायः इतने माध्यमों से गुज-रने की फुरसत और धैर्य नहीं होता इसी प्रकार वित्तीय मामलों में भी आकाशवाणी को अन्य विभागों की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। जैसे कलाकारों को प्रसारण के लिए बुलाने अथवा उनको शुल्क देने के मामलों में कुछ अधिक आजादी मिलनी चाहिए क्योंकि कई बार उचित शुल्क की अदायगी न हो पाने पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाता। इससे वह श्रोताओं और संगठन की पूरी सेवा नहीं कर पाता है। कुछ कलाकार प्रसारण कार्यक्रमों में भाग लेने से केवल इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें अन्य स्थानों में अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।

## रेडियो-प्रसारण में हिन्दी

भारत के प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री श्री आर० आर० दिवाकर को आकाशवाणी की भाषा नीति के बारे में एक पत्र में सलाह दी थी कि आकाश-वाणी की भाषा नीति के प्रति दृष्टिकोण राष्ट्रीय भाषा 'राजभाषा' की समस्या

से भिन्न होना चाहिए। यह धारणा बिल्कुल गलत है कि आकाशवाणी "राज-भाषा" को प्रोत्साहन देने के लिये, अपितु आकाशवाणी को ऐसी भाषा अपनानी चाहिए जिसे अधिक से अधिक लोग समझते हों। सरदार पटेल का मत था कि आकाशवाणी की भाषा का स्तर रुढ़िवादी हिंदी की साहित्यिक धारणाओं से भिन्न होना चाहिए। अपने पत्र के अन्त में उन्होंने लिखा—"इस अत्यन्त कठिन प्रश्न पर मैंने अपने विचारों को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है। यदि हम कार्य की इन परिस्थितियों की अनदेखी कर देते हैं तो राष्ट्रीय भाषा के संबंध में हमारी नीति ठीक नहीं रहेगी और हम उसकी सेवा करने की बजाय उसे नुकसान पहुंचायेंगे।" सरदार पटेल ने यह पत्र उस समय लिखा था जब संविधान में यह व्यवस्था की जा रही थी कि 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी राजभाषा का रूप लेगी।

सरदार पटेल हमेशा गांधीजी की भाषा का उल्लेख करते थे। वे कहा करते थे कि गांधीजी की जो "हिंदुस्तानी" है, वैसी ही भाषा का इस्तेमाल रेडियो पर किया जाना चाहिए। वास्तव में, आकाशवाणी को साहित्यक क्लब जैसा नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी भाषा अथवा राजभाषा का प्रचार करना नहीं है, बल्कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है, जिसे जन-सामान्य अच्छी प्रकार से समझ सकें। तकनीकी शब्दों के अनुवाद के लिए संस्कृत का सहारा लिया जा सकता है और उस तकनीकी शब्द को थोड़ा समझाकर लिखा जा सकता है।

हमारे संविधान की धारा —351 में लिखा गया है—"संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि हिन्दी भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन दे, इसका इस प्रकार विकास करे कि वह भारत की मिली-जुली संस्कृति के सभी तत्वों के लिये अभिव्यक्ति का माध्यम बने। संस्कृत तथा अन्य भाषाओं से उपयुक्त शब्दों को अपनाकर अपने शब्दकोश को आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भारत की अन्य भाषाओं में व्यवहृत अभिव्यक्तियों तथा स्वरूप और शैली में बिना कोई व्यवधान डाले उन्हें आत्मसात करके समृद्ध करे।" हिंदी भाषा के बारे में ही नहीं बल्कि सभी भाषाओं के सामान्य इस्तेमाल के बारे में आकाशवाणी के भूतपूर्व निदेशक डॉ० नारायण ने लिखा है—"हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी बोल-चाल की भाषा के बिल्कुल निकट हो, आकार का नहीं, शब्दों की ध्वनि

का महत्व होना चाहिए। प्रसारक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लिखित शब्द आंखों के लिये होते हैं, जबकि बोले गए शब्द कानों के लिये होते हैं।"

बहुत-से लोगों का विचार है कि संस्कृतगर्भित हिंदी से दक्षिण के हिंदी श्रोताओं के मन को जीता जा सकता है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संस्कृतगर्भित भाषा हमें उत्तर भारत के लाखों श्रोताओं से दूर कर सकती है। हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर भाग में समझी जा सके। प्रसारण एक सामूहिक माध्यम है। इसकी भाषा वही होनी चाहिए, जो गली-कूचे में बोली जाती है। उच्चरित शब्दों का कोई भी कार्यक्रम तभी सफल माना जा सकता है, जब सुनते ही सुनते उनके अर्थ और भाव का श्रोताओं को आनन्द मिले।

## विशिष्ट व्यक्तियों के प्रसारण

विशिष्ट व्यक्यिों के प्रसारण कार्यक्रमों को एक ही दिन प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के प्रसारण एक ही दिन करने से श्रोताओं पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। प्रमुख व्यक्तियों तथा विशिष्ट व्यक्यिों का प्रसारण यथासंभव आलेख तैयार करके ही किया जाना चाहिए। यह आलेख विशिष्ट व्यक्ति ने चाहे स्वयं ही तैयार किया हो अथवा किसी अन्य कर्मचारी ने उसके लिये तैयार किया हो, उस विशिष्ट व्यक्ति की भावना की उसके प्रसारण में झांकी मिलनी चाहिए। विशिष्ट व्यक्तियों के प्रसारणों का आलेख पहले से ही तैयार कर लेना प्रायः अच्छा रहता है। यदि पहले से ही कार्यक्रम को रिकार्ड कर लिया जाए तो वह प्रसारण की सुविधा की दृष्टि से अपेक्षाकृत अच्छा रहता है।

## कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण

कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण यथासमय कम किया जाना चाहिए। एक ही कार्यक्रम को कई बार दोहराने से उनके श्रोताओं की रुचि कम हो जाती है।

परन्तु प्रसारण व्यवस्था में कई बार कार्यक्रमों को व्यापक तथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिये पुनः प्रसारण करने की आवश्यकता पड़ जाती है। कई बार श्रोताओं की रुचि को देखते हुए उत्कृष्ट कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण किया जाता है। कभी-कभी निर्धारित कार्यक्रम का प्रसारण न होने पर भी वैकल्पिक कार्यक्रम के रूप में पुनः प्रसारण आवश्यक हो जाता है। परन्तु कार्यक्रमों के बार-बार प्रसारण से श्रोता अपने को छला हुआ महसूस करता है और इससे श्रोताओं में आक्रोश होने की संभावना रहती है।

## राजनैतिक प्रसारण

आजकल विश्व के अधिकांश लोकतान्त्रिक देशों में राजनैतिक दलों द्वारा चुनावों के आस-पास राजनैतिक प्रसारण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका तथा आस्ट्रेलिया जैसे देशों में पार्लियामेंट के चुनावों में राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख राजनैतिक दलों को प्रसारण की सुविधा दी जाती है। हमारे देश में पहला राजनैतिक प्रसारण जून 1977 में राज्य विधान सभा के चुनावों के समय किया गया। जनता पार्टी की सरकार ने दस राज्यों और दो केन्द्र शासित क्षेत्रों में सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को रेडियो पर प्रसारण की सुविधा उपलब्ध कराई थी। स्वाधीनता के बाद हमारे देश में राजनैतिक प्रसारण पहले न शुरू होने का प्रमुख कारण राजनैतिक दलों की अपनी खुद की हिचकिचाहट थी। अधिकांश राजनैतिक दलों का यह विचार था कि सत्तारूढ दल को समाचार बुलेटिनों और अन्य कार्यक्रमों में प्रायः प्रचार के लिए स्थान मिल ही जाता है; ऐसी स्थिति में चुनाव की पूर्व संध्या पर अपने दल की ओर से प्रसारण कर लेने भर से उनकी स्थिति पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ सकता। परन्तु यह धारणा बिल्कुल सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिन चुनाव क्षेत्रों में कांटे का संघर्ष होता है, वहां इन प्रसारणों से मतदाताओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। चुनाव प्रसारणों के लिए यह सुविधा प्रायः निर्वाचन आयोग की सहमति से प्रसारण संगठनों द्वारा दी जाती है। विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा उनके प्रसारण कार्यक्रम मुख्य चुनाव अधिकारी तथा आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक तय करते हैं। अमुक व्यक्ति किसी दल की ओर से प्रसारण करेगा, यह फैसला राजनैतिक

दल स्वयं करते हैं। राजनैतिक प्रसारण प्रायः प्रसारण के निर्धारित समय से कुछ पहले ही रिकार्ड कर लिए जाते हैं ताकि उपयुक्त समय पर श्रोताओं तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों को उसके प्रसारण के बारे में निश्चित रूप से घोषणा की जा सके। 1977 में राजनैतिक दलों द्वारा चुनावों से पूर्व जो प्रसारण किए गए थे उसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है। अधिकतर लोगों ने भविष्य में राजनैतिक प्रसारण करने का सुझाव दिया। इसके बाद 1980 में लोक सभा के मध्यावधि चुनावों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रसारण किए गए। इन प्रसारणों में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दलों ने 18 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 1979 के बीच प्रसारण किए। इन दलों के नाम हैं—दो कांग्रेस पार्टियां, दो कम्युनिस्ट पार्टियां तथा दो जनता पार्टियां। हमारे देश में राजनैतिक दलों द्वारा प्रसारण का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में अशिक्षित तथा कम पढ़े लिखे लोगों को भी विभिन्न राजनैतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में काफी जानकारी मिल सकती है और साथ ही राजनीति नेताओं और मतदाताओं का खर्च भी बच जाता है। 1977-79 के अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने एक और नई प्रथा की शुरूआत की; वह थी-अपनी सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री केन्द्र में तथा मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में प्रसारण कर सकते हैं, इसके साथ ही विपक्ष के नेता भी अपने भाषण प्रसारित कर सकते हैं। जब कांग्रेस की वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो फरवरी 1981 में तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वसंत साठे ने भी यह घोषणा की कि जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई प्रथा को वर्तमान सरकार जारी रखेगी।

## आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार

रेडियो कार्यक्रमों की तकनीकी उत्कृष्टता और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रति वर्ष आकाशवाणी के पुरस्कार दिए जाते हैं। रेडियो नाटकों, रूपकों, संगीत, अभिनव प्रयोग, युवा कार्यक्रमों और बाल सहगान के लिए उत्कृष्ट प्रस्तुति के

लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तकनीकी उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार अभिनव कार्य, अनुसंधान, शोध पत्रों के प्रकाशन और सर्वोत्तम निर्मित भवन के लिए दिए जाते हैं। वार्षिक पुरस्कारों की यह योजना नवम्बर 1974 से शुरू की गई है।

विशेष वार्षिक कार्यक्रम

| क्रम संख्या | कार्यक्रम का नाम | प्रथम प्रसारण |
|---|---|---|
| 1. | रेडियो संगीत सम्मेलन | 1954 |
| 2. | सरदार पटेल स्मारक भाषणमाला | 1955 |
| 3. | डॉ० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक भाषणमाला | 1957 |
| 4. | सर्वभाषा कवि सम्मेलन | 1956 |
| 5. | आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार | 1974 |
| | अन्य प्रसारण | |
| 1. | पार्टी— राजनैतिक प्रसारण | जून 1977 |

## प्रसारण भवन का विस्तार

दिल्ली के आकाशवाणी केन्द्र में समाचार सेवा प्रभाग तथा विदेश सेवा प्रभाग का अब इतना विस्तार हो चुका है कि वर्तमान भवन में स्थान की कमी महसूस की जाने लगी है। विशेषकर विदेश सेवा प्रभाग के कर्मचारियों के लिए स्थान बहुत कम उपलब्ध हो रहा है। इसलिए प्रसारण भवन (ब्राडकास्टिंग हाउस) के पिछले भाग की ओर महादेव रोड पर एक नया प्रसारण भवन बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्तावित भवन में समाचार सेवा प्रभाग तथा विदेश सेवा प्रभाग के सभी कार्यालयों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विदेश सेवा प्रभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए "स्टाफ क्वार्टर्स" बनाने का भी

प्रस्ताव है। परन्तु अभी तक भूमि अधिग्रहण न होने तथा वित्तीय व्यवस्था न हो पाने के कारण इस पर कार्यान्वयन नहीं किया जा सका है।

## आकाशवाणी पत्रिका

श्रोताओं को रेडियो प्रसारण कार्यक्रमों के बारे में अग्रिम सूचना देने के लिए हर प्रसारण संगठन प्राय: पत्रिकायें निकालता है। ये पत्रिकायें प्रसारण संगठन और श्रोताओं के बीच सम्पर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। आकाशवाणी से इस समय कार्यक्रमों के बारे में अनेक पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं। आकाशवाणी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं के नाम निम्नलिखित हैं :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आकाशवाणी | अंग्रेजी | दिल्ली | साप्ताहिक |
| 2. | आकाशवाणी | हिन्दी | दिल्ली | पाक्षिक |
| 3. | आवाज | उर्दू | दिल्ली | पाक्षिक |
| 4. | बेतारजगत | बंगला | कलकत्ता | पाक्षिक |
| 5. | आकाशी | असमिया | गुवाहाटी | पाक्षिक |
| 6. | बनोली | तमिल | मद्रास | पाक्षिक |
| 7. | वाणी | तेलुगु | विजयवाड़ा | पाक्षिक |
| 8. | नभोवाणी | गुजराती | अहमदाबाद | पाक्षिक |

भारत में जब प्रसारण की शुरुआत हुई तो "इण्डियन ब्राडकास्टिंग कम्पनी ने अपने श्रोताओं को जानकारी देने के लिए "इण्डियन रेडियो टाइम्स" बम्बई से प्रकाशित किया। लेकिन कम्पनी कुछ ही दिनों के बाद ठप्प हो गई। इसके पश्चात "इण्डियन स्टेट ब्राडकास्टिंग सर्विस" ने जब प्रसारण शुरू किया तो उसने उस पत्रिका का प्रकाशन जारी रखा। दिसम्बर 1935 में इस पत्रिका का नाम बदल कर "इण्डियन लिस्नर" रखा गया। "इंण्डियन लिस्नर" जो पहले बम्बई से प्रकाशित होती थी, दिल्ली केन्द्र का उद्घाटन होने के बाद पहली जनवरी 1936 से दिल्ली से ही प्रकाशित होने लगी।

### आवाज

"आवाज" का प्रथम प्रकाशन पहली जनवरी 1936 को उसी दिन हुआ जिस दिन दिल्ली ब्राडकास्टिंग भवन का उद्‌घाटन हुआ। यह पत्रिका देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियों में छापी जाती थी। बाद में पहली जुलाई 1938 को उर्दू लिपि में प्रकाशित पत्रिका का नाम तो (आवाज) ही रखा गया परन्तु देवनागरी लिपि में प्रकाशित पत्रिका का नाम "सारंग" रखा गया।

### सारंग

"सारंग" का पहला प्रकाशन पहली जुलाई 1938 को हुआ। 5 जनवरी 1963 को "इण्डियन लिस्नर" का नाम बदल कर "आकाशवाणी" रखा गया, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में आकाशवाणी रखा गया, परंतु उर्दू में "आवाज" नाम ही प्रचलित रहा।

### बेतार जगत

"बेतार जगत" का पहला प्रकाशन सितम्बर 1929 में इण्डियन ब्राडकास्टिंग कम्पनी के कलकत्ता केन्द्र से हुआ। तब से इस पत्रिका का लगातार प्रकाशन चल रहा है। यह पत्रिका आकाशवाणी की पत्रिकाओं में सबसे लोकप्रिय पत्रिका है। इसकी सफलता को देखते हुए अन्य पत्रिकाओं को भी और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता है तथा उनकी प्रसार संख्या भी बढ़ाई जा सकती है।

### बनोली

ऑल इण्डिया रेडियो के मद्रास स्टेशन का 16 जून 1938 को उद्‌घाटन हुआ और उसी दिन तमिल भाषा की पत्रिका "बनोली" और तेलुगु भाषा की पत्रिका "वाणी" का प्रकाशन हुआ। परन्तु वाणी का प्रकाशन छः ही अंकों के बाद बंद हो गया। 16 दिसम्बर 1947 को आकाशवाणी के बदोदरा केन्द्र के उद्‌घाटन-दिवस के अवसर पर गुजराती भाषा में कार्यक्रमों की पत्रिका "नभोवाणी" का प्रकाशन हुआ।

असमिया पत्रिका "आकाशवाणी" का प्रकाशन 22 फरवरी 1959 को किया गया।

आकाशवाणी की पत्रिकाओं में पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए प्रसारण कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य बातों की भी जानकारी दी जाती है। जैसे—पिछले वर्ष (1982) में पं० जवाहरलाल नेहरू की वर्षगांठ, एशियाई खेलों, अन्टार्कटिका अभियान और विश्व स्वास्थ्य आदि विषयों पर विशेष अंक तथा विशेष लेख प्रकाशित किए गये।

आकाशवाणी की पत्रिकाओं में यदि प्रसारित वार्ताओं और प्रसारकों के व्यक्तित्व के बारे में और अधिक जानकारी प्रकाशित की जाए जो ये पत्रिकाएं काफी रुचिकर हो सकती हैं।

## कार्यक्रमों का आदान-प्रदान एवं स्वर टेप संग्रहालय

आकाशवाणी अपने विभिन्न केन्द्रों को समय-समय पर अपने कार्यक्रमों तथा ध्वन्यांकन की सेवा उपलब्ध कराता है। आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए समय-समय पर स्वरांकित टेपों की मांग को देखते हुए 3 अप्रैल 1954 से आकाशवाणी की प्रत्यंकन (ट्रांसक्रिप्शन) सेवा शुरू की गई और एक स्वरटेप लाइब्रेरी स्थापित की गई। इस समय आकाशवाणी में स्वरटेपों का एक बैंक है जिसमें 2 हजार टेप (सी० टी० वी०) आदान-प्रदान के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। आकाशवाणी की स्वरटेप लाइब्रेरी में 30 हजार टेपों को रखने की क्षमता है। आकाशवाणी की वर्तमान स्वरटेप लायब्रेरी की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। टेप लाइब्रेरी के साथ ही प्रत्यंकन की पर्याप्त सुविधा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। टेप लायब्रेरी में हमारे देश के अनेक महापुरुषों के भाषण तथा संगीताचार्यों, उस्तादों तथा पुराने कलाकारों के अनेक स्वरटेप रखे गये हैं। स्वरटेप लाइब्रेरी में इस समय 24 हजार से अधिक टेप संग्रहीत हैं। इनमें महात्मा गांधी (147), महात्मा गांधी की स्मृति में तथा उन्हें अर्पित की गई श्रद्धांजलियों के स्वरटेप (731) जवाहरलाल नेहरू के भाषणों के टेप (3,676) स्वतंत्रता सेनानियों सहित अन्य व्यक्तियों के स्वरटेप (12,591), संगीत के स्वरटेप (5,502) तथा अन्य 1,448 स्वरटेप हैं।

भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समय-समय पर रिकार्ड किए टेपों को संग्रहीत किया गया है। इनमें डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, डॉ०

राधाकृष्णन, मरहूम फखरुद्दीन अली अहमद के भी अनेक स्वर टेप रखे गये हैं। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के 2,700 स्वरटेपों का भी संग्रह किया गया है।

पुराने उस्तादों, संगीताचार्यों और कलाकारों में अलाउद्दीन खां, दिगम्बर विष्णु पलुसकर, ओंकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खां, बेगम अख्तर और पन्ना लाल घोष आदि के स्वरटेप शामिल हैं।

अप्रैल 1974 से हर रविवार को आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से एक साप्ताहिक कार्यक्रम "चयन" प्रसारित किया जाता है। युववाणी पर भी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम का नाम "संचयिता" है। हिन्दी और अन्य भाषाओं के अनेक प्रख्यात कवियों की भी वाणी को टेपों में सुरक्षित रखा गया है इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

1. ठाकुर रवीन्द्रनाथ।
2. रामधारी सिंह दिनकर।
3. मैथली शरण गुप्त।
4. जिगर मुरादाबादी।
5. महाकवि वल्लतोल आदि।

कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की आवाजों को भी टेप लायब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है जैसे डा० सी० वी० रमन और डॉ० होमी जहांगीर भाभा आदि स्वर टेप लायब्रेरी में लोक संगीत, भक्ति संगीत, गायन आदि के भी टेप रखे गये हैं। (1982 में) कार्यक्रम विनिमय सेवा के अन्तर्गत सात हजार घण्टे से अधिक चुने हुए कार्यक्रम अन्य केन्द्रों को भेजे गये, इनमें नाटक, रूपक, परिचर्चा, भेंट वार्ता तथा अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम शामिल हैं।

भारत में ध्वनि प्रसारण के इतिहास की रिकार्डिंग के लिए एक परियोजना तैयार की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन लोगों की यादों की रिकार्डिंग की जाएगी जिन्होंने भारत में ध्वनि प्रसारण की शुरुआत में कार्यक्रम को निश्चित स्वरूप देने में उल्लेखनीय योगदान किया था। इसमें आठ मशहूर संगीतकारों की रिकार्डिंग की जायेगी जिन्होंने भारत में संगीत को वर्तमान स्वरूप देने में उल्लेखनीय योगदान किया था। इस समय आठ मशहूर संगीतकारों की रिकार्डिंग तैयार की जा रही है।

कार्यक्रम विनिमय एकक देश के प्रसारण केन्द्रों को स्वर टेपों का आदान-प्रदान तो करता ही है साथ ही यह विदेशों को भी उत्कृष्ट कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करता है। जिन देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों के लिए भारत से समझौते किए गए हैं, उन देशों के प्रसारण संगठनों को समय-समय पर स्वर टेप भेजे जाते हैं और उन देशों के स्वर टेपों को भी अपने यहां मंगाया जाता है ।

## प्रशिक्षण व्यवस्था

आकाशवाणी ने अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनको प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है। इस संस्थान में संगीत, उच्चरित शब्दों, रेडियो रिपोर्टिंग, कृषि तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों आदि के बारे में प्रशिक्षण संस्थान (रीजनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट) में प्रोग्राम कर्मचारियों, नए सहायक केन्द्र निदेशकों तथा प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्राय: हर कार्यक्रम (प्रोग्राम) अधिकारियों को इस संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है। एशियाई खेलों के दौरान रीजनल ट्रेनिंग इन्स्टीटूयट में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्थान में चार से बारह सप्ताह की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस संस्थान में आकाशवाणी तथा अन्य विभागों के विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अपने देश के प्रसारण केन्द्रों के अलावा अन्य देशों के प्रसारण संगठनों के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण देने की सुविधा है।

इंजीनियरिंग तथा तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्टाफ ट्रेनिग इन्स्टीट्यूट में तकनीकी विंग व्यवस्था करता है। इसमें बेसिक ओरिएन्टेशन कोर्स तथा सेवारत कर्मचारियों के लिए विभिन्न तकनीकी पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संस्थान में आकाशवाणी और दूरदर्शन इन्जीनियर तथा अन्य तकनीकी कर्मचारी भाग लेते हैं। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विदेशी इन्जीनियरों और तकनीशियनों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में टेप रिकार्डिंग, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, टी० वी० रिसीवर मेन्टिनेन्स, अंक तकनीक तथा सेमीकन्डक्टर टेक्नोलॉजी आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

एशियाई खेलों तथा राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के अवसर पर अनेक विशेष पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

दिल्ली में किंग्सवे कैम्पस के पास स्टाफ ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रशिक्षनार्थियों के लिए आवास सुविधा भी उपलब्ध होगी।

## वैज्ञानिक कार्यक्रम

आकाशवाणी के केंद्रों में वैज्ञानिक कार्यक्रमों के लिए सात प्रकोष्ठ (सेल) खोले गए हैं ये सेल वैज्ञानिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए देश के वैज्ञानिकों से हमेशा सम्पर्क बनाए रहते हैं। आकाशवाणी के छः और केंद्रों में वैज्ञानिक कार्यक्रम सेल खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों के नाम हैं-कटक, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, भोपाल और डिब्रूगढ़।

प्रशिक्षण सुविधाएं :

1. स्टाफ ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (प्रोग्राम), दिल्ली
2. रीजनल सेन्टर्स (प्रोग्राम), हैदराबाद
3. रीजनल सेन्टर्स (प्रोग्राम), शिलांग
4. स्टाफ ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (तकनीकी), दिल्ली

जानकारी भेजने, सूचनाओं का प्रसार करने और लोकमत को प्रभावित करने के मामले में आकाशवाणी में अनन्त सम्भावनाएं भरी पड़ी हैं। अतः इन संभावनाओं का उपयोग समाज को आधुनिक बनाने और उपयुक्त सामाजिक वातावरण तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए। परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि सभी सरकारी और गैर-सरकारी विभाग प्रगतिशील बनाने में रेडियो की भूमिका को महत्व दें।

भारतीय प्रसारण को मुख्यरूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। हमारे प्रसारण में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने पर बल दिया जाना चाहिए। प्रसारण के जितने भी कार्यक्रम हैं, सबका

उद्देश्य लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करना है। हमारी सरकार पर आए दिन प्राय: यह आरोप लगाया जाता है कि वह जन-संचार माध्यमों का दुरुपयोग करती है। जनता के प्रतिनिधि ही नहीं अन्य लोग भी इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। परन्तु इस बात में कितनी सच्चाई है, यह पाठक तथा अन्य सभी लोग अच्छी प्रकार जानते हैं। हमारे देश में प्रसारण व्यवस्था का स्वरूप जैसा ब्रिटिश सरकार के समय निर्धारित किया गया था, उस स्वरूप में बुनियादी तौर पर कोई अन्तर नहीं आया है। ट्रांसमीटरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, अनेक रेडियो स्टेशन खुले हैं, प्रसारण केंद्रों में स्टूडियो आदि की सुविधाओं का विकास हुआ है, परन्तु इतना ही सब कुछ नहीं होता है। केवल प्रसारण केंद्रों की संख्या का विस्तार ही रेडियो का प्रसारण का सब कुछ नहीं कहा जा सकता। मुख्य बात होती है—इसका कार्यक्रम। जैसा कि "कनाडियन कमेटी आफ ब्राडकास्टिग" की रिपोर्ट में लिखा गया है। "प्रसारण में जो एकमात्र चीज है वह है—कार्यक्रम, बाकी सब तो साजसामान है" इसलिए किसी भी प्रसारण संगठन में सारा साज-सामान और सारा अमला (कर्मचारी वर्ग) कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए है तथा ये कार्यक्रम श्रोताओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किये जाने चाहिए। किसी भी कार्यक्रम की सफलता श्रोताओं पर पड़ने वाले उसके प्रभावों से आंकी जानी चाहिए और इसके लिए सबसे आवश्यक है, श्रोताओं से "फीड बैंक" प्राप्त करना अर्थात श्रोताओं की प्रतिक्रिया जानना। परन्तु रेडियो का प्रसारण श्रोताओं के विविध वर्गों के लिए होता है। स्टूडियो कक्ष से प्रसारकों की जो वाणी देश-विदेश के अनेक भागों में पहुंचती है, उसकी ध्वनि तरंगें श्रोता तक पहुंच कर उसकी भावनाओं को जागृत कर सकती है, उद्वेलित कर सकती है, प्रेरित कर सकती है, उसे कुछ कर सकने के लिए तैयार कर सकती है, परंतु ध्वनि तरंगों का किसी श्रोता पर कितना असर पड़ा है, इसका विश्लेषण करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। पुन: अधिकतर श्रोता अनुसंधानकर्ताओं के सम्पर्क में नहीं आ पाते हैं। हां इसका अनुमान बहुत अंशों में रेडियो सेटों के लिए जारी लाइसेन्सों से लगाया जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में बहुत से रेडियो सेट बिना लाइसेंस के ही होते है। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक बैंड तथा दो बैंड के रेडियो सेटों तथा ट्रांजि-

स्टरों पर से लाइसेंस शुल्क हटा लिया है।* इसलिए यह गणना करना अब और भी मुश्किल कार्य हो गया है। इतना ही नहीं, भारत करोड़ों की आबादी वाला एक विशाल देश है, यहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लोगों के जीवन स्तर में पर्याप्त असमानताएं विद्यमान हैं, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर है, ऐसी स्थिति में लोगों की दिलचस्पी किन कार्यक्रमों में है, इसका अनुमान लगाना, कुल मिलाकर, बहुत कठिन कार्य है। फिर भी समय-समय पर जो सर्वेक्षण किए जाते हैं, उनसे कुछ अनुमान तो लगाया ही जा सकता है।

भारत में रेडियो प्रसारण ब्रिटिश मॉडल बी० बी० सी० की पद्धति पर शुरू किया गया परंतु ब्रिटिश मॉडल में जो विशेषताएं पाई जाती हैं, उसके लिए वहां की सरकार उस संगठन को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उस पर ध्यान देना प्रायः हम भूल जाते हैं। बी० बी० सी० के मुख्य प्रसारण क्षेत्र-ब्रिटेन के क्षेत्रफल और भारत के क्षेत्रफल में बहुत अन्तर है। परन्तु इसके बावजूद बी० बी० सी० के पास भारत से 10 गुनी प्रसारण सुविधाएं और ट्रांसमीटर उपलब्ध हैं। दूसरी ओर जब हम आकाशवाणी की व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि श्री फिलडन ने अपने कार्यकाल (1935-40) में आकाशवाणी की जो योजना तथा रूप रेखा तैयार की थी, अभी तक उसमें कोई परिवर्तन परिवर्द्धन नहीं किया गया। देश में जब केवल कुछ ही ट्रांसमीटर थे, केवल कुछ ही भाषाओं में बहुत थोड़े बुलेटिन प्रसारित किए जाते थे और कर्मचारियों की संख्या बहुत थोड़ी थी (1939 में केवल 154 अधिकारी तथा 159 लिपिक [क्लर्क] थे) लेकिन अब कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 14,146 हो गई है फिर भी हमारे पास अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य करने के स्थान में अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई। ऐसी स्थिति में कार्य संचालन तथा क्षमता पर असर पड़ना स्वभाविक ही है। यह विडम्बना की ही बात कही जा सकती है कि कर्मचारियों की संख्या में लगभग 45 गुनी वृद्धि के बावजूद कार्य-स्थान में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। आकाशवाणी के ब्राडकास्टिंग हाउस का 8 नम्बर का स्टूडियो (जिसमें स्थापना काल से लेकर अब तक अनेक महापुरुषों के भाषण भी रिकार्ड किए गए हैं) अभी भी लगभग

*रेडियो तथा ट्रांजिस्टर सेटों परसे अब लाइसेंस शूल्क हटा लिया गया है।

वैसा ही है। इसके अतिरिक्त स्टूडियों की व्यवस्थाओं में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है।

देश की विशाल जनसंख्या की प्रभावी सेवा के लिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रमों का अभिग्रहण अच्छा हो तथा उसमें पड़ोसी देशों के प्रसारणों से व्यवधान न हो। इसके लिए आवश्यक है कि देश में शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाए जाएं। 1979 के विश्व प्रशासनिक रेडियो कांफ्रेंस के सुझाव पर (लांग वेव बैंड) (दीर्घ तरंग बैंड) आवर्तियों पर प्रसारण पर विचार छोड़ दिया गया है। विशेषज्ञों का विचार है कि देश के मध्य भाग में स्थित नागपुर में यदि 2×1000 किलो वाट का मध्यम तरंग ट्रांसमीटर लगा दिया जाए तथा इसके अतिरिक्त दिल्ली, बंगलौर तथा पटना में भी एक-एक मेगावाट के ट्रांसमीटर लगा दिये जाएं (कलकत्ता में भी ऐसा ट्रांसमीटर पहले ही लगाया जा चुका है) तो देश भर में सम्प्रेषण काफी अच्छा हो सकता है। इसके अतिरिक्त इनसैट-एक-बी (जो हाल ही में छोड़ा गया है) से भी सहायता ली जा सकती है। इनसेट-एक-बी में रेडियो, टेलीविजन, और दूर-संचार तथा मौसम के बारे में जानकारी देने की क्षमता है। इस भू-उपग्रह की क्षमता का उपयोग करके देश में राष्ट्रीय चैनल शुरू किया जा सकता है। राष्ट्रीय चैनल द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी की समाचार बुलेटिनें, न्यूज रील तथा अन्य सामयिक कार्यक्रमों और विशेष अवसरों पर प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों को प्रसारित किया जा सकेगा। इस चैनल पर देश के विभिन्न भागों में तैयार किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जा सकेगा। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि इस चैनल पर प्रसारण के लिए स्टूडियो अच्छी प्रकार सुसज्जित हों, जिनमें प्रतिदिन 18 घंटे तक प्रसारण के लिए क्षमता हो। राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को बंगलौर तथा दिल्ली के स्टूडियों में तैयार किए जाने की सम्भावना है। इन स्टूडियों केंद्रों को उच्चस्तरीय डाक-तार सर्किटों द्वारा ट्रांसमीटर केंद्रों से भली-भांति जोड़ दिया जायेगा।

राष्ट्रीय चैनलों पर केन्द्रीय प्रसारणों के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाने के बाद अन्य क्षेत्रीय चैनल खाली हो जायेंगे और उन पर स्थानीय महत्व के अन्य कार्यक्रमों को प्रसारित किया जा सकेगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय

चैनल को चालू करने के लिए आकाशवाणी, इलैक्ट्रानिक्स विभाग तथा संचार मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक छोटी समिति बनाई है। यह समिति राष्ट्रीय चैनल के विभिन्न तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करायेगी।

राष्ट्रीय चैनल की इस सम्भावना के साकार हो जाने के बाद स्थानीय महत्व के कार्यक्रमों पर भी विशेष जोर दिया जा सकेगा। हर राज्य की प्रादेशिक सेवाओं को काफी मजबूत बनाया जा सकेगा तथा उनके कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। मध्य तरंग की आवृत्तियों का अधिक से अधिक उपयाग किया जा सकेगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत के लिए जिन मध्यम तरंग आवृत्तियों का आबंटन किया है, उनका यदि हम उपयोग नहीं करेंगे तो नियमानुसार उन्हें अन्य देशों को "एलाट" कर दिया जायेगा और ये आवृत्तियां हमेशा के लिए हमसे छिन जाएंगी। अत: हमारे देश के लिए वह अत्यावश्यक है कि उन आवृत्तियों का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाए। मेरी राय में विश्व-विद्यालयों अथवा प्रमुख शिक्षण संस्थाओं में मध्यम तरंग के ट्रांसमीटर लगाए जा सकते हैं और साथ ही वहां स्टूडियो भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इन सुविधाओं का उपयोग प्रसारकों (ब्राडकास्टर्स) को प्रशिक्षित करने तथा उनका एक नया वर्ग तैयार करने में किया जा सकता है। इनमें नए-नए प्रसारण सम्बंधी नई-नई तकनीकों, विद्याओं आदि के बारे पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा सकता है और इनका उपयोग करके देश के प्रसारण संगठन को और अच्छा बनाया जा सकता है। अत्युच्च क्षमता के ट्रांसमीटरों का इस्तेमाल विदेश प्रसारण सेवा के लिए भी किया जाना चाहिए। आजकल दुनिया में 250-500 किलोवाट क्षमता के लघु तरंग ट्रांसमीटरों के लगाने की प्रवृत्ति जोरों पर है। आकाशवाणी के पास 250 किलोवाट लघु तरंग के केवल दो ट्रांसमीटर हैं। यहां पर अन्य ट्रांसमीटर केवल दो 10-10 किलोवाट क्षमता के हैं। इनमें अभिग्रहण अच्छा नहीं हो पाता है और अनेक प्रकार के व्यवधान होते हैं तथा तरह-तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। विदेश प्रसारण सेवा के लिए इनसेट-एक-बी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त रहेगा। इस प्रकार हमारे देश में लघु तरंग, मध्यम तरंग, दीर्घ तरंग आवर्ति माडुलन

[एफ० एम०] तथा अत्युच्च आवृत्तियों की सेवा के साथ-साथ भू-उपग्रह की संचार सेवा का भी उपयोग किया जा सकता है ।

कार्यक्रमों के बारे में जब भी विचार किया जाता है, उस समय कार्यक्रम तैयार करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर ध्यान जाना स्वाभाविक है । इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना है । आकाशवाणी में अन्य संगठनों की तुलना में कई वर्ग के कर्मचारी होते हैं । एक ओर, इसमें "प्रोग्राम" [कार्यक्रम] तथा इंजीनियरिंग कर्मचारी तथा अधिकारी होते हैं । जो प्राय: स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं । तो दूसरी ओर, इसमें "स्टाफ आर्टिस्ट" नाम के कर्मचारियों का एक वर्ग होता है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सचिवालय सेवा और केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारी होते हैं । आकाशवाणी में "स्टाफ आर्टिस्ट" वर्ग में अनेक प्रकार के कर्मचारी आते हैं । इनमें संगीतकार तथा कलाकार से लेकर आकाशवाणी के निचले वर्ग के अनेक कर्मचारी भी आते हैं । इसमें एक संवर्ग होता है — प्रोडक्सन स्टाफ । इस वर्ग में प्राय: कला, साहित्य नाटक या मौलिक कार्यों के आधार पर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर लिया जाता है । डॉ० केसकर के कार्यकाल में ऐसे अनेक व्यक्तियों की नियुक्ति "प्रोग्राम स्टाफ" के रूप में की गई । बाद में इन्हें सम्मिलित करके एक प्रोड्यूसर संवर्ग बनाया गया । "स्टाफ आर्टिस्ट" में उद्घोषक तथा समाचार वाचक-अनुवादक भी होते हैं । इन वर्गों में प्राय: मतभेद बने रहते हैं । इनके वेतनमानों में अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं । इस प्रकार की विभिन्नताओं के कारण इन कर्मचारियों में आपस में मनोमालिन्य होता रहता है ।

आकाशवाणी में केन्द्रीय सूचना सेवा के भी अधिकारी होते हैं । इन अधिकारियों की नियुक्ति प्राय: समाचार सेवा प्रभाग के सम्पादकीय पदों पर होती है । सम्पादकीय कार्य करने वाले इन अधिकारियों का आए दिन अन्य विभागों में स्थानान्तरण होता रहता है, इससे उनकी सम्पादकीय क्षमता का विभाग को इतना लाभ नहीं मिल पाता है, जितना मिलना चाहिए । इस सेवा के कुछ अधिकारी पदोन्नति का अवसर मिलते ही अन्य विभागों जैसे—पत्र सूचना कार्यालय, प्रकाशन विभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, विज्ञापन और दृश्य

प्रचार निदेशालय आदि में चले जाते हैं। उन स्थानों पर अन्य विभागों के कर्मचारी स्थानांतरित होकर आ जाते हैं। वे कुछ समय तो आकाशवाणी की सम्पादकीय कला से परिचित होने तथा उसमें विशेषज्ञता हासिल करने में लगाते हैं परन्तु अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के कुछ ही दिनों बाद उनका स्थानान्तरण अन्य विभागों में हो जाता है। इससे प्रसारण संगठन को कुशल और अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित हो जाना पड़ता है। प्रोग्राम (कार्यक्रम) कर्मचारियों के बारे में भी लगभग यही स्थिति है। जैसे—कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्यक्रम तैयार करने वाला प्रोड्यूसर है, पदोन्नति मिलने के बाद वह व्यक्ति सहायक केन्द्र निदेशक बन जाता है और वहां पर "फाइल वर्क" के अतिरिक्त कार्यक्रम तैयार करने से उसका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रह जाता। विभाग को दो प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, एक ओर तो एक अच्छा प्रोड्यूसर कम हो जाता है तो दूसरी ओर प्रशासन के मामले में एक अनुभवहीन व्यक्ति को फाइलों के अम्बार से जूझना पड़ जाता है और उसे काफी समय टिप्पणी लिखने (नोटिंग-ड्राफ्टिंग) की नई कला सीखने में खर्च करना पड़ता है।

आकाशवाणी एक प्रसारण संगठन है तथा इसकी स्थिति अन्य विभागों से काफी भिन्न होती है। यहां पर प्रसारकों की एक सम्मिलित सेवा बनाई जानी चाहिए जिसका नाम "भारतीय प्रसारण सेवा (इंडियन ब्राडकास्टिंग सर्विस) अथवा इस प्रकार का कोई अन्य उपयुक्त नाम दिया जा सकता है। इसमें प्रायः ऐसे व्यक्तियों को उनकी अभिरुचि को देखते हुए लिया जाना चाहिए जिनमें कला, साहित्य, भाषा, अनुवाद, पत्रकारिता आदि की योग्यताएं हों, उनका एक सम्मिलित संवर्ग हो तथा उनकी अभिरुचि के अनुसार उन्हें प्रसारण कार्यक्रमों को सौंपा जाए। जिन कार्यक्रमों को तैयार करने में वे अधिक दक्ष हो जाएं, उन्हीं के लिए बाद में उनकी नियुक्तियां की जाएं। उनके पद-नामों में चाहे भले ही परिवर्तन हो, वेतनमान प्रायः एक जैसे रखना चाहिए। ऐसा करने से उनमें एक-दूसरे के प्रति मनोमालिन्य नहीं रहेगा। वे आपस में अपेक्षाकृत अधिक सहयोग करेंगे तथा विभाग का कार्य अपेक्षाकृत अधिक ताल-मेल और चुस्ती से होगा। इन दिनों उद्घोषक (एनाउन्सर) अपने मन में समाचार-वाचक (न्यूज रीडर) से द्वेष-भाव रखता है। उद्घोषक

का काम भी कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। वह प्रसारण संगठन का एक ऐसा कर्मचारी होता है जो श्रोताओं से प्रमुख सम्पर्क रखता है। सम्बद्ध विषय पर रुचि जागृत करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्घोषणा में जितनी ही अधिक रुचि जागृत की जाएगी, कार्यक्रम सुनने में श्रोताओं की उतनी ही दिलचस्पी बढ़ेगी। यही कारण है कि प्रसारण संगठन का यह विशिष्ट व्यक्ति अपने को किसी अन्य स्टाफ अर्टिस्ट से कम महत्वपूर्ण नहीं मानता। इतना ही नहीं वह स्टूडियो में घंटों बैठता है। दूसरी ओर, समाचार वाचक (न्यूज रीडर) स्टूडियो में केवल कुछ मिनटों का समाचार पढ़कर चला जाता है तो उद्घोषक के मन में उसके प्रति एक अजीब-सी भावना पैदा होती है कि इतने समय स्टूडियो में उद्घोषणा करने के बावजूद उसे समाचार वाचक से बहुत कम वेतन मिलता है। इसी प्रकार ट्रांसमीशन एक्जीक्यूटिव और 'प्रोड्-यूसर के बीच भी थोड़ी बहुत गलत धारणाएं पनप जाती हैं। केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों (विशेषतया समाचार सम्पादकों) तथा समाचार वाचक-अनुवादकों के, बीच भी कहीं-कहीं मनोमालिन्य देखने को मिल जाता है। इन सब बातों का असर प्रसारण कार्यक्रमों पर पड़े बिना नहीं रहता। अत: यदि कोई सम्मिलित प्रसारण सेवा बना दी जाये जिसमें सभी प्रसारण-कर्मियों को शामिल किया जाये तो विभिन्न प्रसारण कार्यक्रमों में पर्याप्त सुधार लाया जा सकता है। सम्मिलित प्रसारण सेवा के कर्मचारियों को समय-समय पर एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। इससे, कुल मिलाकर, प्रसारण में पर्याप्त सुधार किया जा सकता है। स्टाफ आर्टिस्टों की पदोन्नति की सम्भावनाओं तथा वेतनमानों के बारे में अध्ययन के लिए जनवरी 1981 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया। यह अध्ययन दल उद्घोषकों (एनाउन्सर्स) की मांग पर भी विचार कर रहा है जिसमें उन्होंने समाचार-वाचकों/अनुवादकों जैसे उच्च वेतनमानों की मांग की है।

1980-81 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आकाशवाणी के कैजुअल आर्टिस्टों के बारे में एक फैसला किया। इस फैसले में बताया गया है कि 1977-81 की अवधि में जिन कैजुअल आर्टिस्टों ने 200 दिन से अधिक कार्य किया है तथा जो अन्य प्रकार की अर्हताएं पूर्ण करते हैं तो इन्हें नियमित बनाने पर विचार किया जा रहा है। आकाशवाणी ने यह पक्का निश्चय किया

है कि यथासम्भव "फ्रीलांसर कजुअल आर्टिस्टों' को काम पर नहीं लगाया जाएगा और यदि उन्हें काम पर लिया भी जायेगा तो महीने में 6 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा।

आकाशवाणी में अनेक वर्गों के कर्मचारी काम करते हैं, इसलिए उन्हें आपस में वैमनस्य की भावना नहीं रखनी चाहिए। नियमित कर्मचारियों को हमेशा यह सोचना चाहिए कि स्टाफ आर्टिस्ट हमसे कोई भिन्न नहीं हैं। उसी प्रकार स्टाफ आर्टिस्टों के मन में सर्वदा यह धारणा होनी चाहिए कि यह संस्था हमारी ही है।

आकाशवाणी के जितने भी प्रसारण कार्यक्रम हैं, उनमें सबसे अधिक व्यापक ग्रामीण कार्यक्रमों को कहा जा सकता है। हमारे देश की लगभग 77 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा 23 प्रतिशत लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। परन्तु हमारे प्रसारण कार्यक्रम ढांचा इस प्रकार से विकसित हुआ है कि उसमें अधिक से अधिक समय शहरी श्रोताओं के वर्गों को दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में श्रोताओं को देश की सामाजिक-आर्थिक विकास प्रतिक्रिया से भली-भांति जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि रेडियो प्रसारण उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान करें और वह योगदान तभी कर सकता है, जब वह श्रोताओं से अच्छी प्रकार जुड़ा हो। 1956 में महाराष्ट्र में रेडियो ग्रामीण मंच बनाए गए। मंच बनाने के इस कार्यक्रम का संचालन यूनेस्को के तत्वाधान में किया गया। इसमें श्रोताओं की बड़ी दिलचस्पी पाई गई, बाद में देश के अन्य भागों में भी कृषि तथा गृह इकाइयों की ओर से अनेक रेडियो ग्रामीण मंच बनाए गए। कुछ प्रसारण केन्द्रों में तो ये बहुत अच्छी तरह चलाए जा रहे हैं लेकिन कुछ जगह केवल नाममात्र को चल रहे हैं। इस समय देश में 19 हजार से अधिक रेडियो ग्रामीण मंच हैं परन्तु इनके श्रोताओं से नियमित सम्पर्क बनाए रखने से ही अभीष्ट लाभ प्राप्त हो सकता है। राष्ट्रीय चैनल शुरू होने के बाद अनेक स्थानों पर स्थानीय प्रसारण केन्द्र खोले जा सकते हैं। तथा हर क्षेत्र को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रसारण कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोगों को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यक्रमों में शामिल करने का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार रेडियो प्रसारण जन-जन तक पहुंच कर अपनी प्रभावी भूमिका निभाने में समर्थ हो सकता है।

परिशिष्ट

# आकाशवाणी, दिल्ली से प्रसारित होने वाले बुलेटिन

वर्तमान स्थिति

| भाषा | प्रसारण-समय | प्रसारण अवधि |
|---|---|---|
| हिन्दी | 06·00 | 5 मिनट |
| | 07·00 | 5 मिनट |
| | 08.00 | 10 मिनट (सभी केन्द्रों से रिले) |
| | 09·00 | 5 मिनट |
| | 09·10 | 5 मिनट |
| | 09·20 | 5 मिनट (राज्यों की चिट्ठी) (लोकरुचि केवल रविवार को प्रसारण 20.20 पर) |
| | 10·00 | 5 मिनट |
| | 11·00 | 5 मिनट |
| | 13.05 | 5 मिनट |
| | 14·10 | 10 मिनट |
| | 14.40 | 20 मिनट (पहले 25 मिनट का होता था) |
| | 15·05 | 5 मिनट |
| | 17.00 | 5 मिनट |
| | 18·05 | 5 मिनट |
| | 19·00 | 5 मिनट |
| | 19.05 | 5 मिनट (खेल) |

| भाषा | प्रसारण-समय | प्रसारण-अवधि |
|---|---|---|
| हिन्दी | 19.30 | 5 मिनट युवा |
| | 19.35 | 10 मिनट (सामयिकी) |
| | 19.50 | 10 मिनट (प्रादेशिक) |
| | 20.25 | 5 मिनट (कार्यक्रम समाचार-पत्रों से–सोमवार को नहीं) |
| | 20.30 | 15 मिनट (संसद समीक्षा-केवल संसद के दिनों में दिल्ली 'ए') |
| | 20.45 | 15 मिनट (सभी केन्द्रों से रिले) |
| | 22.00 | 5 मिनट |
| | 23.05 | 5 मिनट |
| | 00.05 | 5 मिनट |
| अंग्रेजी | 06.05 | 5 मिनट |
| | 08.10 | 10 मिनट (सभी केन्द्रों से रिले) |
| | 09.05 | 5 मिनट |
| | 10.05 | 5 मिनट |
| | 12.00 | 5 मिनट |
| | 13.00 | 5 मिनट |
| | 14.00 | 10 मिनट |
| | 14.20 | 20 मिनट (धीमी गति) |
| | 15.00 | 5 मिनट |
| | 16.00 | 5 मिनट |
| | 17.05 | 5 मिनट |
| | 18.00 | 5 मिनट |
| | 20.00 | 5 मिनट |
| | 20.05 | 5 मिनट (खेल) |
| | 20.25 | 5 मिनट (आज के संसद समाचार) |
| | 21.00 | 15 मिनट (सभी केन्द्रों से रिले) |
| | 21.15 | 5 मिनट (युवा) |
| | 23.00 | 5 मिनट |
| | 00.00 | 5 मिनट |

| भाषा | प्रसारण-समय | प्रसारण-अवधि |
|---|---|---|
| अरुणाचली | 16·45 | 15 मिनट |
| असमिया | 07·05 | 10 मिनट |
| | 13·10 | 10 मिनट |
| | 19·05 | 10 मिनट |
| बंगला | 07·25 | 10 मिनट |
| | 13·30 | 10 मिनट |
| | 19·35 | 10 मिनट |
| डोगरी | 08·30 | 10 मिनट |
| | 19·15 | 15 मिनट |
| गुजराती | 07·45 | 10 मिनट |
| | 13·20 | 10 मिनट |
| | 19·50 | 10 मिनट |
| कन्नड़ | 07·35 | 10 मिनट |
| | 13.10 | 10 मिनट |
| | 19·35 | 10 मिनट |
| कश्मीरी | 07.45 | 10 मिनट |
| | 18.25 | 10 मिनट |
| मलयालम | 07·25 | 10 मिनट |
| | 12·50 | 10 मिनट |
| | 19·25 | 10 मिनट |
| मराठी | 08·30 | 10 मिनट |
| | 13·30 | 10 मिनट |
| | 20·05 | 10 मिनट |
| नेपाली | 19·25 | 10 मिनट |
| ओड़िया | 07·15 | 10 मिनट |
| | 13·20 | 10 मिनट |
| | 19·15 | 10 मिनट |

| भाषा | प्रसारण-समय | प्रसारण-अवधि |
|---|---|---|
| पंजाबी | 08.30 | 10 मिनट |
| | 13.40 | 10 मिनट |
| | 19.30 | 10 मिनट |
| संस्कृत | 07.00 | 5 मिनट |
| | 18.10 | 5 मिनट |
| सिंधी | 08.40 | 10 मिनट |
| | 18.15 | 10 मिनट |
| तमिल | 07.15 | 10 मिनट |
| | 12.40 | 10 मिनट |
| | 19.15 | 10 मिनट |
| तेलुगु | 07.05 | 10 मिनट |
| | 12.30 | 10 मिनट |
| | 19.05 | 10 मिनट |
| उर्दू | 08.50 | 10 मिनट |
| | 13.50 | 10 मिनट |
| | 21.15 | 15 मिनट |